Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का १८ वां दिवस [संख्या १२

सोमवार, दिनांक ९ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(श्रम, शिक्षा, यातायात, वन, वित्त, पंचायत, देवस्थान, सहकारी, समाज कल्याण एवं विकास–विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री केदार नाथ।

एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज, गंगानगर

२५७. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गंगानगर एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में १९६२–६३ में कितने उम्मीदवारों को रजिस्टर किया गया और उनमें से कितनों को काम दिलवाया गया ?

इसमें हरिजनों का क्या प्रतिशत है ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : श्री गंगानगर एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज में १९६२–६३ में ४,९३३ उम्मीदवारों को रजिस्टर किया गया और इस ऑफिस द्वारा इस समय में ९८० उम्मीदवारों को काम दिलाया गया।

इस अवधि में ३८३ हरिजनों को रजिस्टर किया गया और ६९ को काम दिलाया गया।

रजिस्ट्रेशन में हरिजनों का प्रतिशत ८ प्रतिशत है व जिनको काम दिलाया गया उनमें हरिजनों का ७ प्रतिशत है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसमें जो काम दिलाया गया है क्या वह सरकारी क्षेत्र में दिलाया गया है या प्राइवेट क्षेत्र में भी दिलाया गया है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : यह सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जानकारी

Page No. 2

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि यह जो एम्पलॉयमेंट के थ्रू काम दिलाया जाता है, मैं एक सदस्य के नाते जानना चाहता हूं कि प्राइवेट क्षेत्र में काम ज्यादा मिला या सरकारी क्षेत्र में काम ज्यादा मिला ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : सरकारी क्षेत्र में ही ज्यादा मिलता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विशनोई ।

फीसों में भिन्नता

२५८. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि माध्यमिक पाठशाला में छठी कक्षा में भर्ती होने वाले विद्यार्थी से करीब सात रुपये फीस जमा कराई जाती है, जब कि उच्चतर माध्यमिक पाठशाला में छठी कक्षा में भर्ती होने वाले विद्यार्थी से करीब बाइस रुपये कुल मिलाकर फीस के रूप में जमा कराई जाती है ? अगर हां, तो इतने बड़े अन्तर के क्या कारण है ?

(२) क्या यह सच है कि एक ही समान शुल्क जमा कराने पर भी छोटी कक्षा वाले विद्यार्थियों को बड़ी कक्षा वाले विद्यार्थियों के बराबर खेलने की सहूलियतें नहीं दी जाती हैं और छोटे बच्चों से फालतू ज्यादा शुल्क वसूल किया जाता है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया जाता है ?

(३) क्या सरकार उपरोक्त एक ही कक्षा वाले विद्यार्थियों की फीसों में इतनी बड़ी भिन्नता को कम करने का विचार रखती है और एक समान शुल्क करना चाहती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा और अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) माध्यमिक शालाओं में छठी कक्षा के विद्यार्थी से ७) रु० और उच्च तथा उच्चतर मा. शा. में छठी कक्षा के विद्यार्थियों से १४.५६ रु. शुल्क लिया जाता है। अंतर का कारण नीचे लिखी तालिका से विदित हो जावेगा। छठी से ८ वीं तक के बालकों को उच्च तथा उच्चतर विद्यालयों में भी वही सुविधायें देनी पड़ती हैं जो नवीं कक्षा से ग्यारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को—

	मा. शा.	उच्चतर मा. शा.
१. प्रवेश शुल्क	१ रु.	१ रु.
२. खेलकूद शुल्क	२ रु. प्रतिवर्ष	४ रु. ५० पैसा प्रतिवर्ष।
३. वाचनालय शुल्क	१ रु. प्रतिवर्ष	२ रु. प्रतिवर्ष।
४. परीक्षा शुल्क	३ रु. (प्रत्येक परीक्षा १.५० रु.)	३ रु. (प्रत्येक परीक्षा १.५०) रु.
५. पुस्तकालय शुल्क	कुछ नहीं	१ रु. प्रतिवर्ष।
६. वार्षिक पत्रिका शुल्क	कुछ नहीं	१ रु. प्रतिवर्ष।
७. यूनियन शुल्क	कुछ नहीं	१ रु. प्रतिवर्ष।
८. आमोद प्रमोद शुल्क	कुछ नहीं	१ रु. ५० पैसा प्रतिवर्ष
	७)	१४.५० रु.

Page No. 3

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

(२) जी नहीं। एक ही समान शुल्क जमा कराने पर छोटी कक्षा वाले विद्यार्थियों को बड़ी कक्षा वाले विद्यार्थियों के बराबर खेलने की सहूलियतें दी जाती हैं, परन्तु जहां साधन उपलब्ध नहीं हैं वहां पर पारी-पारी से खेलने का आयोजन किया जाता है ।

(३) प्रश्न नहीं उठता। ऐसा कोई प्रश्न सरकार के पास विचाराधीन नहीं हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि छोटी कक्षा वाले विद्यार्थियों को बड़ी कक्षा वाले विद्यार्थियों के बराबर खेलने की सुविधा दी जाती है, परन्तु जहां साधन नहीं हैं वहां उच्चत्तर माध्यमिक शाला के बराबर सहूलियतें नहीं दी जातीं। तो जो मिडल सेक्शन के लड़के हैं उनसे इतनी ज्यादा फीस नहीं लेने के बारे में सरकार सोचेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उच्चतर माध्यमिक शाला के स्तर पर, उनके समान सुविधायें देने का प्रयास किया जाता है। पुस्तकालय शुल्क, वार्षिक पत्रिका शुल्क, यूनियन शुल्क, आमोद–प्रमोद शुल्क–यह अधिक उच्चतर माध्यमिक शाला में आता है इसलिए शुल्क बढ़ जाता है। रहा सवाल खेलने का, जैसा मैंने निवेदन किया, साधन उपलब्ध नहीं हैं तो वहां पर पारी-पारी से खेलने का आयोजन किया जाता है। छोटे बच्चों, आठवीं, सातवीं के बच्चों, की अलग से व्यवस्था की जाती है। जहां कठिनाई है वहां उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है, मंत्री महोदय बतायें, यह शुल्क लिया जाता है और जो खर्च किया जाता है, अगर खर्च कम आता है तो उसका नतीजा यह होता है कि काफी रुपया जमा हो जाता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की मैं जांच करा लूंगा। अगर अधिक जमा हो गया है तो उसका उपयोग किस प्रकार होता है और क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : उपयोग यह होना चाहिए कि खेल–कूद में समानता लानी चाहिए। जितना जमा हो उसमें से थोड़ा खर्च करके और कामों में खर्च करने की नीयत सरकार की नहीं हो सकती !

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं जांच कर लूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सरकार ऐसे स्थानों पर,जहां खेलने–कूदने के साधन हैं, खेल–कूद शुल्क लेती है। लेकिन जहां साधन नहीं दिये जाते हैं, ऐसे स्थानों पर भी खेल–कूद के लिए पैसा लेती है। क्या यह उचित है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैंने नहीं कहा कि साधन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : साधन तो यह है, आप फुटबॉल दे दें जिससे वे खेल लें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : क्या यह सही है कि लोकल ऑडिट फंड की रिपोर्ट है, उसमें यह लिखा है कि जो रुपया दिया

Page No. 4

(श्री भैरोंसिंह)

जाता है वह ब्लॉक होता है और उसका मिस-यूज होता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसको मैंने नहीं देखा ।

श्री भैरोंसिंह : आपने क्या किया ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है····

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न है उसका जवाब आने दीजिए ।

श्री भैरोंसिंह : आपके सामने लोकल ऑडिट फंड की रिपोर्ट तीन वर्ष से आ रही है । उसमें लिखा है कि मिस-यूटीलाइजेशन होता है, मनी–ब्लॉक होता है । ये चार्जेज रिपोर्ट में लगाये जाते हैं और उसको आप न देखें तो आपने एक्शन क्या लिया होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है वह है । आपका जो प्रश्न है वह इस प्रश्न से पैदा नहीं होता इसलिए मैंने कहा कि मैंने देखा नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : आपने देखा या नहीं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : विभाग ने देखा होगा, ऐसी मेरी मान्यता है । मैं जांच करा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : विभाग देखने का मतलब - आपने देखा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने उच्चत्तर माध्यमिक शाला का शुल्क १४.५० रु० बताया । मेरी जानकारी के अनुसार यह गलत है । कुल मिलाकर करीब २१ रुपये शुल्क के रूप में वसूल किये जाते हैं । यह मेरी पर्सनल जानकारी है, आप जांच कर लें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों की पर्सनल जानकारी है । मैंने अलग–अलग बताया है कि दोनों में अलग अलग क्या क्या लिया जाता है, उपाध्यक्ष महोदय····

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह आदेश का सवाल है, यह मिडल सेक्शन में और उच्चत्तर सेक्शन में····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : सात दिन में उपाध्यक्षजी हो गये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इतना अन्तर नहीं होना चाहिए ; इतना फासला नहीं दिया जाय, इसके बारे में सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिदत्तसिंह ।

ट्रेक्टर्स की रजिस्ट्रेशन फीस

२५६. **श्री हरदत्तसिंह** (नौहर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:— राजस्थान में कृषि के उपयोग में आने वाले मैसी फरग्यूसन ट्रेक्टर मय ट्रॉली व फोर्डसन मेजर ट्रेक्टर मय ट्रॉली की रजिस्ट्रेशन फीस क्या है और सालाना क्या टैक्स लिया जाता है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह): (१) राजस्थान में कृषि के उपयोग में आने वाले ट्रेक्टर मय ट्रॉली की रजिस्ट्रेशन फीस निम्न प्रकार है :—

Page No. 5

(श्री भीमसिंह)

(१) केवल कृषि के उपयोग में आने-वाले ट्रैक्टर के लिये कुछ नहीं।

(२) यदि ट्रॉली के साथ हो तो ५ रुपये।

और टैक्स निम्न प्रकार है :—

(१) सिर्फ ट्रैक्टर कृषि के काम के लिये २० रुपये सालाना।

(२) ट्रैक्टर मय ट्रॉली के कृषि के काम लिये ५० रुपये सालाना।

श्री हरदत्तसिंह : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि जो सालाना फीस लगती है वह नहीं ली जावे।

श्री भीमसिंह : आपने जो सूचना चाही थी वह मैंने निवेदन कर दिया।

श्री हरदत्तसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार खेती को प्रोत्साहन देने के लिये यह २० रुपये सालाना माफ करना उचित नहीं समझती ?

श्री भीमसिंह : यह पिछले वर्ष आप सब लोगों की स्वीकृति से लागू किया गया था।

श्री हरदत्तसिंह : यह स्वीकृति कब ली गई थी ?

श्री भीमसिंह : यह फाइनेन्स एक्ट १९६३ को पास किया उस समय ली गई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बारां में एकत्रित घास तथा उसका उपयोग

२६०. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : Will the Forest Minister be pleased to reply:—

1. Is it a fact that approximately 45000 maunds of grass was collected in the year 1962-63 by the D. F. O., Baran and maintained in the stock at the headquarters ?

2. How much Government money was involved in the collection of grass and at what rate per maund ?

3. How has this stock been utilised and how much it has been used for Famine Relief work in 1963-64 and where ?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री-महोदय यह बतलायेंगे कि जब मई १९६२-६३ में घास इकट्ठा नहीं किया गया तो बारां डी० एफ० ओ० के हैड क्वाटर पर ४५ हजार मन घास कैसे स्टॉक हुआ ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वह ६०—६१ में कटा था।

श्री जुझारसिंह : कितना कटा था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ४४,७२६ मन।

Page No. 6

श्री जुझारसिंह : इसके अगेन्स्ट में फेमिन रिलीफ के लिये कितना घास बाहर भेजा गया और कितना कितना ६३–६४ में दिया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पहले फेमिन रिलीफ के लिये १५ हजार मन दिया गया और ६३–६४ में ७४६ मन दिया गया।

श्री जुझारसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि सन् ६०–६१ में कितना घास इकट्ठा किया और कितना घास दे पाये हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह जानकारी अलग है। जो आपने प्रश्न पूछा था उसकी जानकारी करके आपको बता दी है।

श्री जुझारसिंह : एक साल का अर्सा हो गया है। करीब ६५ हजार मन घास ६०–६१ में था। आपने अभी तक जो घास दिया है उसको निकाल दिया जाए तो तो भी ३२–३३ हजार मन घास के एकाउन्ट का क्या हुआ ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : अभी पता नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (छाबड़ा) : बाकी का पता नहीं चला, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : डिपार्टमेन्ट में लाखों रुपयों का खर्चा होता है। ५० हजार मन घास काटा जाय और वह किस काम में लिया गया माननीय मंत्री महोदय को यह भी पता नहीं कि घास कटा या नहीं। हमारे यहा डी. एफ. ओ. हैड क्वार्टर पर ४५ हजार मन के करीब घास इकट्ठा किया और इसके अगेन्स्ट में २० हजार मन रिलीफ में दिया गया और बाकी २५ हजार मन घास बचा उसकी कोई जानकारी नहीं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जानकारी करके आपको दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : आप विश्वास रखिये, मंत्री महोदय घास नहीं खाते हैं।

श्री भीखाभाई (वन मन्त्री) : बहुत सा घास बिगड़ गया था और उसको बेचने के लिए बोली भी १७ बार लगाई गई थी, मगर उसको ऑक्शन में कोई लेने के लिये तैयार नहीं हुआ, यही कहते थे कि यह घास खाने के काम का नहीं है। उस वक्त रिलीफ में देते तो काम में नहीं आता। मिलिट्री को कहा गया कि आप ले लें, मगर किसी ने घास को लिया नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : यह किसकी लापरवाही से बिगड़ गया और क्या सरकार ने जिसकी लापरवाही से यह घास बिगड़ा उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया ?

एक माननीय सदस्य : आप फरमाते हैं कि किसी ने बोली नहीं लगाई क्योंकि घास बिगड़ गया था। ७५ परसेन्ट घास बिगड़ गया था तो क्या घास को आपने बिगड़ने के लिये इकट्ठा किया था ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है। इसकी इन्क्वायरी की जा रही है।

Page No. 7

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उप-मन्त्री महोदय ने कहा कि उनको जानकारी नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय ने जानकारी दे दी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का नहीं है कि जवाब जो उपमन्त्री जी ने दिया वह सही था या माननीय मन्त्री महोदय ने दिया वह सही था। प्रश्न यह है कि आपने उप-मंत्रीजी को आधी जानकारी ही दी और आधी जानकारी अपने पास रखी और ऐसा करके आपने उनकी स्थिति सदन में खराब की। आपको पूरी सूचना उप-मन्त्री को देनी चाहिये थी और उन पर पूरा भरोसा करना चाहिये था।

श्री भीखाभाई : उप-मंत्री ने जवाब दिया है वह भी ठीक है और मैंने जवाब दिया वह भी ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप दोनों के जवाब में इतना ही फर्क है जितना दोनों के रंग में फर्क है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दो साल का समय लगा और घास खराब हो गया और इस वजह से यह नहीं बांटा गया कि वह खराब हो गया। क्या माननीय सदस्यों ने सरकार को इस बात की सूचना दी कि यह घास खराब हो रहा है, और उस पर क्या एक्शन लिया गया ? माननीय मंत्री इसकी भी जानकारी करेंगे और अन्य कोई····।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करेंगे।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कोशिश करेंगे कि माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में समय पर जानकारी दी थी कि घास खराब हो रहा है ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जानकारी दी कि शाहबाद में घास इकट्ठा किया हुआ है वह घास सड़ रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक महिला झूठ नहीं बोल सकती, पुरुष बोल सकते हैं।

उपमन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) :

Oscar Wilde.

श्री मुरलीधर व्यास : इस तरह की इत्तला मिलने के बाद सरकार ने क्या कदम उठाया और अगर कोई कदम नहीं उठाया तो जिस व्यक्ति ने कोई कदम नहीं उठाया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भीखाभाई : मैंने यह कहा है कि १७ बार उसको बेचने के लिये नोटिफिकेशन निकाले ६.८. ६२, १८.८. ६२, १६.११.६२, १०. १२. ६२, ३. १. ६३, ६. २.६३ आदि तारीखों को बराबर बेचने की कोशिश की गई। उसके बाद हमने कहा कि यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया जावे तो अकाल की स्थिति है उसमें काम आ जावेगा, तो कहा गया कि वह काबिल खाने के नहीं है, और वह दिया नहीं गया।

श्री अध्यक्ष : आप भविष्य के लिये ठीक नीति निर्धारित करें।

Page No. 8

श्री भीखाभाई : मैं यह कहता हूं कि इसके सम्बन्ध में इन्क्वायरी की जायेगी और दोषी को सजा दी जावेगी।

श्री भैरोसिंह (किशनपोल जयपुर) : क्या यह सही है कि घास कटने के बाद कभी भी आपने फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं कराया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : एक प्रश्न। कितने रुपयों का घास हुआ और कितना रुपया खर्च हुआ।

श्री भीखाभाई : इसमें ८८ हजार का खर्चा हुआ।

६१ में १५०० मन घास हुआ था, बाकी का घास खराब होने से नुकसान हुआ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसका मतलब यह हुआ कि ६० हजार का नुकसान किया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मूर्तियों की चोरी, मैंणाल मन्दिर जिला भीलवाड़ा .

२६१. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या मंत्री, पुरातत्व विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा के मैंणाल के भव्य मन्दिर केन्द्रीय आर्कियोंलोजिक डिमार्टमेंट के तहत होने पर भी वहां किसी चौकीदार का प्रबन्ध नहीं होने के कारण वहां से मूर्तियों की चोरियां होती रहती हैं ?

(२) यदि हां, तो चोरी कब हुई और उक्त मूर्तियां बरामद हुई या नहीं ?

उप-मन्त्री, पुरातत्व विभाग (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं। राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सरकार को इसकी जानकारी नहीं हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि राज्य सरकार को इसका पता नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं है ?

श्री भैरोसिंह (किशनपोल, जयपुर) : चोरी का पता राज्य सरकार को नहीं और माननीय सदस्या को मालूम है, इसमें क्या राज है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे मालूम नहीं, क्या राज है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

आंवल से होने वाली आय

२६२. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आंवल से होने वाली आय को ग्राम पंचायतों को वितरित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जा चुका है ? यदि हां, तो ऐसे निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) जिला जालौर में मार्च १९६२ तक

(श्री भगराज चौधरी)

किन किन ग्राम पंचायतों को कितनी कितनी रकम दी जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) क्या रानीवाड़ा पंचायत समिति तथा जिला परिषद् जालौर ने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की मांग पेश की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मन्त्री, वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिला जालौर में मार्च, १९६२ तक किसी भी ग्राम पंचायत की रकम नहीं दी गई है।

(३) जी नहीं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री भगराज चौधरी : सरकार ने यह निर्णय लिया कि पंचायत समिति के नीचे वहां की जो नेशनल पैदावार होगी उसकी रकम उसी पंचायत को लौटा दी जावेगी, मगर अभी तक वह नहीं दी गई है, उसका क्या कारण है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एरिया की जानकारी की जा रही है और उसके बाद जानकारी होने पर रकम पंचायत को लौटाने की व्यवस्था की जावेगी।

श्री भगराज चौधरी : इसमें जानकारी का प्रश्न नहीं है। ठेका होता है और दरख्वास्तें आती है। पंचायत समिति वसन्तपुरा और रानीवाड़ा में हर साल ठेका होता है और आपके द्वारा इस सम्बन्ध में सर्क्यूलर जारी किया हुआ है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने कहा कि एरिया की जानकारी की जा रही है और उसके बाद में रकम लौटाने की व्यवस्था की जावेगी।

श्री भगराज चौधरी : क्या मेरे प्रश्न पूछने के बाद भी आपने इसमें कोई व्यवस्था जल्दी नहीं की ? आपके ध्यान में है या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसकी जल्दी व्यवस्था की जावेगी।

श्री मोहनराज (बाली) : जो गोचर भूमि है वह तो निर्धारित की हुई है और यह तो आपको मालूम ही है। फिर भी उनको हिस्सा नहीं दिया जाना यह तो उचित प्रतीत नहीं होता और इसमें जानकारी का बहाना लेना कतई वाजिब नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी है और फॉरेस्ट का भी है। इसकी जल्दी जानकारी की जावेगी।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत एक्ट में गौचर भूमि की पूरी मिलकियत पंचायत को दी गई है तो क्या इस तरह गौचर भूमि में आंवल का ठेका गवर्नमेंट देती है वह कानून के खिलाफ नहीं है ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : नहीं, कानून के खिलाफ नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें उल्लेख है कि

(श्री भीखाभाई)

गौचर भूमि वगैरह की आंवल छाल का ठेका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देगा और उसकी क्लेक्शन के चार्जेज जो ४ पर्सेन्ट होते हैं वह काट कर गौचर भूमि की आवंल छाल का रुपया पंचायतों को दे दिया जायगा। इस मामले में गौचर भूमि कितनी हैं क्योंकि दूसरी भूमि भी उसके साथ मिली हुई होती है, इसलिये गौचर भूमि का अलग से मालूम करने के लिए कलेक्टर को लिखा गया है। ज्योंही जवाब आ जायगा उनको रुपया सौंप दिया जायगा।

श्री भगराज चौधरी : रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पंचायतों का चार्ज दिया है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आसानी से पता चल सकता है कि गौचर कितना है।

श्री रविशंकर याज्ञिक : मेरा प्रश्न यह है कि गौचर भूमि पर मालिकाना हक पंचायतों को पंचायत एक्ट के अनुसार दिया गया है तो कानून के अनुसार फोरेस्ट डिपार्टमेंट को गौचर भूमि की आंवल छाल का ठेका देने का कोई अधिकार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : लीगल बहस कि कानून क्या ठीक हैं क्या ठीक नहीं है, यह इस समय नहीं होनी चाहिये। जो जानकारी चाही गई थी सरकार की ओर से वह दी गई है कि पंचायतों को जल्दी ही वितरण कर दिया जायगा। कानूनी बहस करना इस समय उचित नहीं होगा।

नेक्स्ट, प्रश्न संख्या २६३। श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल !

प्राइमरी स्कूलों का मिडल स्कूलों में परिवर्तन, तहसील सिकराय

२६३. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार तहसील सिकराय में मिडल स्कूल खोलने का विचार रखती है ? और क्या (१) टोरड़ा (२) गण्डरावा (३) गुमानपुरा (४) घुमना (५) टीकरियां (६) बैरावड़ (७) कालो खां के प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल में परिवर्तित किया जायेगा ? अगर हां, तो कब और यदि नहीं तो क्यों ?

उपमंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी नहीं।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : क्या सरकार का सिकराय तहसील की कुछ प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूल करने का पिछले साल विचार था और क्या इस साल वहां की कुछ स्कूलों को मिडल स्कूल बनाने का विचार सरकार रखती है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ६४-६५ के बजट में कोई प्रावधान नहीं है इसलिये सरकार का कोई विचार नहीं है; फिर भी गांव वाले उन कुछ शर्तों को पूरा करें तो सरकार विचार कर सकती है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : वे क्या शर्तें हैं, जिन पर सरकार विचार करने को तैयार है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : १३०००

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

रुपया सालाना के हिसाब से तीन साल के लिये रेकरिंग एक्स्पेंसेंज जमा कराये । ८ कमरों की बिल्डिंग स्कूल के लिये गांव वाले दें जिसमें आधा खर्चा वे दें और कुछ विद्यार्थियों की भर्ती के सम्बन्ध में शर्तें हैं ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : क्या यह सही है कि टोरडा मिडल स्कूल के बारे में गवर्नमेंट ने आश्वासन दे रखा है कि बना दी जायगी ? पंचायत समिति ने अध्यापक भी भेज दिये, फिर भी आज तक नहीं खोलने के क्या कारण हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आश्वासन दिये जाने का तो मुझे पता नहीं है पर क्योंकि ६४-६५ के बजट में प्रॉविज़न नहीं है इसलिये यदि आश्वासन है तो वह इस मजबूरी के कारण आश्वासन ही चल रहा है ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : मकान मौजूद है तो फिर क्या कारण है कि अभी तक मिडिल स्कूल नहीं बनाया गया है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया न कि आर्थिक संकट उसका कारण है ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : १३,००० रुपया सालाना तीन साल के लिये और ८ कमरे आदि की शर्तें हैं, यह राजस्थान में सब जगह के लिए हैं क्या ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सब जगह लागू हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, प्रश्न संख्या २६४ । श्री कृष्णकुमार गोयल ।

मवेशियों की चराई शुल्क

२६४. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :—

(१) क्या मवेशियों की चराई शुल्क के सम्बन्ध में कोई मामला सरकार के विचाराधीन है ?

(२) अगर हां, तो वह किस स्टेज पर है तथा उस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानी शंकर नंदवाना) : (१) जी हां ।

(२) मामला एक कमेटी के विचाराधीन है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार चराई के सम्बन्ध में कौन कौन से प्रश्नों पर विचार कर रही है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : कमेटी की रिपोर्ट आने पर पता लगेगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कमेटी किन किन बातों की जांच करने के लिये बैठाई है ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : रेशनेलाइजेशन आफ रेट्स करने के लिये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह

Page No. 12

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सही है कि चराई की रकम वसूल करने के लिये कोई नियम सरकार के पास नहीं हैं। जो मवेशियों की चराई का पैसा लिया जा रहा है उसके लिये कोई नियम नहीं हैं, फॉरेस्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पर ही चराई की रकम ली जा रही है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : फोरेस्ट एक्ट में है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फॉरेस्ट एक्ट के किस क्लाज के आधीन ?

श्री भीखाभाई : वसूली करने के गवर्नमेंट को पॉवर्स हैं, डिफ्रेंट यूनिट्स में रेट्स थीं उन्हीं के आधार पर चराई वसूल की जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : लॉ बताईये।

श्री भीखाभाई : फॉरेस्ट एक्ट के तहत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि फॉरेस्ट एक्ट और उसके नियमों के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को चराई वसूल करने के कोई अधिकार नहीं हैं ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : अधिकार तो हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून की धारा बताइये।

श्री अध्यक्ष : कानून का इम्तिहान तो नहीं होना चाहिये, पर यह सवाल कई बार सदन में आ गया है। चराई कहीं बहुत ज्यादा है तो कहीं कम है, सरकार कब तक जवाब दे देगी, यह आश्वासन दे दें।

श्री भीखाभाई : दो महीने में दे देंगे, जांच के लिये कमेटी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट आ जायगी। दो–तीन महीने में बना देंगे।

श्री अध्यक्ष : दो से तीन तो अभी हो गये, तीन महीने से आगे तो नहीं होंगे न ?

श्री भीखाभाई : क्योंकि कमेटी को काफी बातों की जांच करनी है, इसलिये टाइम लगेगा। तीन महीने, मैं एश्योर करता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह पूछ रहा हूं कि कोई नियम हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : तीन महीने का एश्योर किया है।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या मंत्री महोदय को जानकारी हैं कि कोटा डिविजन में चराई शुल्क १ रु० गाय और दो रु० भैंस थी वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तीन रुपये से ६ रुपये वसूल कर रहा है जब कि दो रुपये भैंस और एक रुपया गाय का कन्वेन्शन रहा है ?

श्री अध्यक्ष : यह गाय–भैंस का मामला ३ महीने में तय हो जायगा।

नेक्स्ट, प्रश्न संख्या २६५ !

एजुकेशन कोड

२६४. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या शिक्षा विभाग की ओर से एजुकेशन कोड तैयार किया गया है? अगर हां, तो क्या इसे जनता की जानकारी के लिये कभी राजपत्र में प्रकाशित कराया गया था? अगर नहीं, तो क्यों?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त कोड में बार बार परिवर्तन होते रहते हैं? अगर हां, तो जनता की जानकारी हेतु शिक्षा कोड को प्रकाशित कराने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है? कृपया उक्त कोड की संशोधित प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) एजुकेशन कोड, १९५७ में छपा तथा पब्लिश किया गया इस कोड को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित नहीं कराया गया था, क्योंकि यह ऑफिशियल पब्लिकेशन शिक्षा विभाग की संस्थाओं के लिये है।

(२) जी हां। कोड में कई बार संशोधन हुए हैं। कोड में संशोधन करने का कार्य किया जा रहा है और आशा है कि जल्दी ही कार्य समाप्त होने पर पब्लिश कर दिया जायेगा।

श्री भीमसेन : दो साल पहले भी यह आश्वासन दिया था, फिर क्या कारण है कि यह पब्लिश नहीं कराया गया और आज भी यह कहा जा रहा है कि जल्दी ही कार्य समाप्त होने पर पब्लिश कर दिया जायगा?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आश्वासन जरूर दिया गया था....

श्री अध्यक्ष : फिर भी दिया जा रहा है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आश्वासन समिति के समक्ष पुनः रखा गया है और समय की मांग की गई थी। ग्रान्ट-इन-एड के रूल्स नये प्रकाशित हुए इसलिये उन्हें इसमें शामिल करने के लिये और समय मांगा गया है।

श्री अध्यक्ष : कितना समय और लगेगा?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सेक्रेटेरियेट में कोड की किताब संशोधनों के साथ भेजी गई थी वह गायब हो गई, फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि पांच-छः महीने में प्रकाशित हो जायगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : शिक्षा उपमंत्री यह बतावें कि एजुकेशन कोड की किताब ही गायब हो गई, तो क्या राजस्थान में एजुकेशन कोड लागू ही नहीं है?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जहां तक संशोधनों के प्रस्ताव हैं, वे इधर-उधर रख दिये गये हैं; बाकी पहले का तो कोड है।

श्री भीमसेन : क्या एजुकेशन कोड के माफिक कार्य सारे राजस्थान में हो रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हो रहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप बता सकते हैं कि जो ग्रान्ट इन एड से लेने वाले इन्स्टीट्यूशन्स हैं उन पर भी यह लागू है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके कहने से थोड़े ही करेंगे। सन् ५७ का कोड तो है। संशोधनों के साथ जो नया कोड तैयार किया जा रहा था उसके लिये मैंने कहा था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह ग्रान्ट इन एड दी जाती है उसके नियम सख्ती से आपने इसमें नये में बनाये हैं और यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट देने पर दिये जाने का प्रावधान था इसलिये तो ये गायब नहीं कर दिये गये हैं उन इन्फ्लुएन्शियल संस्थाओं द्वारा ?

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष महोदय। क्या आपने इसकी जांच की है जो फाइल या कोड मिसप्लेस होने की बात आप कहते हैं, उसमें किसी अधिकारी या व्यक्ति का हाथ तो नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जांच करनी अवशेष है कि क्या स्थिति है।

श्री भैरोंसिंह : यह कब डिटेक्ट हुआ ?

श्री निरंजननाथ आचाय : ८-८-६३ को ज्ञात हुआ। ८-८-६३ को तो भेजी गई। बाद में हमें ज्ञान हुआ।

श्री भैरोंसिंह : ८-८-६३ को ज्ञान हो गया तो आज तक एन्क्वायरी क्यों नहीं कराई गई कि इसको मिसप्लेस करने में किसका हाथ है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रयत्नशील हैं। गायब होने की बात मैंने नहीं कही।

श्री भैरोंसिंह : यह सीरियस मामला है। मिनिस्टर के कमरे में से यों कागज गायब हो जावें और छ महीनों तक तलाश करने के बाद भी पता न लगे। यह सीरियस टाइप की गलती है और यों कहना चाहिये कि सरकार की इनएफीशियेन्सी है। अब छः महीने बाद आप क्या इन्क्वायरी करावेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एन्क्वायरी का केस अभी तक नहीं है। पत्रावलियां कहीं मिसप्लेस हो गई हैं, यह मानकर हम चल रहे हैं। इसलिये उसे तलाश करने में प्रयत्नशील हैं। यह भी किया जा रहा है कि नहीं मिलने पर नये संशोधन फिर से तैयार कराये जावें। फिर यह ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर से इन संशोधनों को अलग अलग एम्बोडीड करके बना लेंगे।

श्री भैरोंसिह : यह किसके ऑफिस से हुआ है ?

श्री निरजननाथ आचाय : सेक्रेटेरियेट के।

श्री भैरोंसिंह : सेक्रेटेरियेट में किसके दफतर से ?

श्री निरजननाथ आचार्य : सैल से हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बाजार, जयपुर) : किसका सैल ? किसके कमरे का सैल ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एज्युकेशन के सैल से ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर क्या जांच की है ? आप कह रहे हैं कि तलाश कर रहे हैं । इस हद तक भी तलाश नहीं हुई, फिर क्या जांच करेंगे आगे भी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सवाल तो मिसप्लेस का है । फिर यह कोई ऐसा वेल्यु-एबल डाक्यूमेंट भी नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह डॉक्यूमेन्ट किसके चार्ज में था, क्या इसका भी फिक्सेशन आपने किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इसकी जांच कराने का आश्वासन देता हूं कि कहां से वह गया । यह मैं और स्पष्ट कर दूं कि यह डॉक्यूमेन्ट ऐसा वेल्यूएबल नहीं है जिसमें कोई इन्टरेस्टेड हो और लेकर चला जावे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह रिपोर्ट आपको किसने दी कि यह मिसप्लेस हो गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डाइरेक्टर ने भेजा ८-८-६३ को ; तो मालूम हुआ यहां पर पहुंचा ही नहीं है लेटर के साथ और पहुंचा है तो मिसप्लेस हो गया है । चूंकि डाइरेक्टर को वापिस लिखा कि कोड की प्रतिलिपि भेजो तो पता लगा कि वहां पर कहीं मिसप्लेस हो गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने तो यह बतलाया कि सेक्रेटरियट से हो गया ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सबसे पहले तो डाइरेक्टर ने भेज दिया, फिर इसके बाद कहते हैं यहां पर मिला नहीं । तो दोनों के बीच में यह मामला कहां तक ठीक है ? भेजा या नहीं भेजा, या भेजा तो आपके यहां से कहां गया, किसने रिसीव किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वहां से भेजा, इसके तो लेटर के नम्बर हैं । इसलिये यह तो कहा जा सकता है कि वहां से तो भेज दिया, अब यहां पर पहुंचा, पर कहां पर रुक गया, किधर रह गया, यह विचाराधीन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो जांच की उससे क्या यह साबित हो गया कि यहां तो आया, रिसीट रजिस्टर में इन्द्राज मौजूद हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जांच, मैंने निवेदन किया, जिस तरह से आप तरीका बतला रहे हैं, उस तरह से नहीं की गई है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एजुकेशन मिनिस्टर साहब ज्यादा सही शायद बता सकते हैं, इनकी जानकारी कम है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या आपने इसमें भी सजगता और सतर्कता रखी है ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह समझ में नहीं आता कि इस तरह का संशोधित कोड यों गायब हो जावे और इतने दिनों के बाद

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस तरह का जवाब सदन में दिया जावे, यह बिल्कुल अशोभनीय है इस सरकार के लिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि डाइरेक्टर साहब ने डिस्पेच नम्बर अपने लेटर के बता दिये और इसके आधार पर यह कोड डिप्टीमिनिस्टर, एजुकेशन के नाम से भेजा था और वहां से यह गायब हो गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह निराधार है। केवल ख्याल पर आधारित हैं।

श्री भैरोंसिंह : फिर किसके नाम से यह भेजा गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सेक्रेटरी, इजुकेशन के नाम से भेजा गया।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा।

प्रश्न संख्या २६६

श्री मूलचन्द चौधरी

(अनुपस्थित)

राजकीय महाविद्यालय, दौसा का भवन

२६७. श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि दौसा राजकीय महाविद्यालय के भवन में पर्याप्त स्थान की कमी के कारण दो शिफ्ट छात्रों की चलती है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस असुविधा को समाप्त करने के लिये दूसरे भवन का निर्माण का विचार रखती है ?

(३) यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूरा हो जावेगा ?

(४) क्या भवन निर्माण का पहले निर्णय हो चुका था ?

(५) यदि हां, तो किस वजह से यह कार्य रुका हुआ है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां

(३) (४) एवं (५) अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है क्योंकि जनता के आश्वासन के अनुसार उसको ५०,०००) रुपये की धन राशि जमा करनी थी; उसने केवल २५,०००) रुपये जमा किये हैं। इस संकटकालीन स्थिति में सरकार भी अपनी बजट में प्रावधान करने में असमर्थ है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : २५ हजार तो जमा करा दिये। आधा भी पूरा कर देंगे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : २५ हजार जमा करा दिये और कितना बड़ा आपका पेट है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पेट बड़ा नहीं है। २५ हजार का फर्क है। इस पेट की केवल पचास हजार की खुराक है।

मंहगाई भत्ते आदि में बढ़ोत्तरी

२६८, **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : (१) क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भांति क्या राज्य सरकार जयपुर स्थित कार्यालयों में काम करने वाले राजकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते आदि में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो कब से ?

(३) इस प्रकार की बढ़ोत्तरी से राजकीय कोष पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा ?

(४) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार से इस दिशा में आर्थिक सहायता के लिये कोई बातचीत की गई है। यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

उप-मन्त्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा) : (१) राज्य सरकार ने समस्त निम्नश्रेणी के कर्मचारियों को जिनका मासिक वेतन ३००) रुपये तक है-उनके महंगाई भत्ते में पांच रुपयों की वृद्धि करने का निश्चय किया है। परन्तु वेतन तथा भत्ता मिलाकर (मार्जिनल एड-जस्टमेन्ट) ३२०) रुपये तक होगा। जयपुर स्थित राज्य कर्मचारियों को जिनका मासिक वेतन ३२०) रुपया से अधिक नहीं है, कम्पेन्सेटरी भत्ता पांच रुपया प्रतिशत के सिटी हिसाब से मिलेगा परन्तु न्यूनतम दर पांच रुपया प्रति माह और अधिकतम दर १०) रुपया प्रति माह होगी।

(२) एक मार्च १९६४ से। सिवाय उन सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को जो श्रम कानून के अन्तर्गत आते हैं और जिनको यह वृद्धि १-२-१९६४ से दी गई है।

(३) ११० लाख।

(४) जी हां। भारत सरकार ने इस अतिरिक्त व्यय के लिये हिस्सा देना स्वीकार नहीं किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो पांच प्रतिशत की वृद्धि की गई है उसमें २००) रुपया मासिक से ऊपर पाने वाले कमचारियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : पांच प्रतिशत सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउन्स में की गई है और जिनकी बेसिक पे ३२०) तक है उनको इसका लाभ मिलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि आपने मैग्ज़ीमम लिमिट दस रुपया की रख दी है।

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब फिर यही हुआ कि दो सौ रुपये से ऊपर पाने वालों को इसका लाभ नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : क्यों नहीं है ? पांच परसेन्ट के हिसाब से ३२०) पाने वाले का १६) होता, पर मैग्ज़ीमम लिमिट बांध देने से उनको १६) नहीं मिलकर १०) ही मिलेगा। वे भी एन्टाइटल्ड तो हैं। अगर दो सौ रुपये वालों तक ही होता तो इनको कुछ नहीं मिलता। पर इनको भी १०) मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) :

(श्री भैरोंसिंह)

क्या यह सही है कि सरकार ने जयपुर में रहने वालों को ही यह सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउन्स दिया है और क्या इसका कारण यह है कि जयपुर को 'बी' क्लास सिटी घोषित किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अपनी बजट स्पीच में वित्त मन्त्री जी ने कह दिया था।

श्री भैरोंसिंह : 'बी' क्लास होने से कम्पेन्सेटरी अलाउन्स कियो है न ? इसीलिये किया है न ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह जयपुर को 'बी' क्लास सिटी चार महीने पहले घोषित किया गया है तो तब से दिया जावेगा ? इस हिसाब से तो तब से पांच रुपया प्रतिशत से बढ़ाना था ? तब से क्यों नहीं बढ़ाया ?

वित्त मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल) : श्रीमान् यह मानना कि जयपुर के बी २ श्रेणी का घोषित होने के कारण से यह कम्पेन्सेटरी अलाउन्स दिया है। क्योंकि गवर्नमैन्ट आफ इन्डिया ने यह घोषित किया है, यह पूरा प्रश्न इस रूप में नहीं लेना चाहिये। मैं अपने भाषण में पहले कह चुका हूँ कि यह हमारे लिये कोई लाजमी नहीं है कि जो गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया घोषित करें हम उसको मान लें। लेकिन यहां के हालात को देखते हुए इस खर्चे का इतना इम्पेक्ट हो रहा है कि जिसके सबब से सरकार ने यह मुनासिब समझा कि यह कम्पेन्सेटरी अलाउन्स दिया जाय। यह कहना कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने पहली जनवरी से दिया है इसलिए हम पर भी कोई आयद है। यह तब ही आयद हो सकता था कि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की घोषणा हमारे लिये लाजमी होती। हमने यह मुनासिब समझा कि हालात को देखकर हमने उस तारीख से घोषित किया।

श्री भैरोंसिंह : सरकार चूंकि जयपुर नगर 'बी' क्लास का घोषित हुआ है, इसे वेतन - वृद्धि का कारण नहीं मानती, फिर कौनसा फैक्टर है कि सिर्फ जयपुर के लोगों को ही ५) रु. मिले ?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मैं अभी अर्ज कर चुका हूँ कि इसी दलील को नहीं माना है पूरा, कि यह बी २ हो गया है इसलिए दिया जाय। जयपुर के जो हालात हैं, यहां खर्चा ज्यादा है, और बातें ज्यादा हैं, लिविंग स्टेन्डर्ड ज्यादा है, मंहगाई ज्यादा है। उन सब बातों को देखते हुए ये बहुत से फेक्टर्स हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्या यह नहीं समझते कि अजमेर में भी कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, मंहगाई ज्यादा है, वहां क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):— कोटा में भी ज्यादा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर में भी ज्यादा है।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, खर्च का कोई हमारे पास एक स्टेन्डर्ड नहीं है जिसके अनुसार फैसला कर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्राइस इन्डेक्स हैं।

Page No. 19

श्री बालकृष्ण कौल : यह देखने में है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यहां जितनी चीजें महंगी मिलती हैं, अजमेर में उतनी नहीं मिलती हैं। यह फेक्ट है। माननीय सदस्य यह समझते होंगे कि अजमेर के नाम से मुझे नरवसनेस हो जायगी, इसलिए कह दूंगा; यह विचार नहीं करना चाहिये। खर्चा जयपुर में ज्यादा है। यहां खर्चे का इम्पेक्ट हर एक पर ज्यादा है इसलिए यह किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : हाउसिंग अलाउन्स का जहां तक सवाल है सिटीज़ में देते हैं। यहां मंहगाई मकानों की ज्यादा है इसलिए उसके अनुसार देते हैं। लेकिन जहां तक मंहगाई का दूसरा सवाल है वह जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में कम नहीं है, कोई फर्क नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : इसको मैं नहीं मानता।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने यह जांच की कि इन सारे बिग सिटीज़ का कम्पेरेटिवली कॉस्ट ओफ लीविंग क्या आता है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो प्रश्न पर प्रश्न है, जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत सही प्रश्न है। सरकार कोई कयास पर चलती है या वैज्ञानिक तरीके से चलती है। इन्डेक्स पर चलती है। प्रश्न पर प्रश्न आयगा और आपको

(व्यवधान)

जवाब देना होगा।

श्री बालकृष्ण कौल : या तो मैं समझ नहीं सका............

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका क्या मतलब है, अध्यक्ष महोदय भी नहीं समझा सके।

श्री बालकृष्ण कौल : यह खर्चे पर इम्पेक्ट है........

श्री अध्यक्ष : यह तो आप कह चुके है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसा वैज्ञानिक आधार नहीं है कि सारे शहरों का अन्दाज लगाया जा सके ? जयपुर की ही क्या खास विशेषता है ? इस पर सरकार की क्या राय है ? यह तो एक वेग तरीका है कहने का कि खर्चा ज्यादा है, इम्पेक्ट ज्यादा है। खर्चा ज्यादा है तो क्या सारे शहरों की जांच कराई गई ?

श्री बालकृष्ण कौल : एक इन्डेक्स पर जांच नहीं करायी है।

श्री भैरोंसिंह : कॉस्ट ओफ लिविंग बेसिस नहीं है, जयपुर को 'बी' क्लास घोषित किया यह बेसिस नहीं है, फिर कौनसा बेसिस है ?

(विराम)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):— आपको जवाब देना होगा।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मैं कह चुका हूं कि एक फेक्टर नहीं है। खाली प्राइस इन्डेक्स ही नहीं है। लोकल इखराजात ऐसे हो चुके हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जिसमें हैं, आपके यहां कोई सेपरेट इन्डेक्स नहीं है जिसके

(श्री बालकृष्ण कौल)
बेसिस पर यह मालूम हो कि अजमेर का क्या इन्डेक्स है, कोटा का क्या है, उदयपुर का क्या है।

श्री भैरोंसिंह : सब की कोस्ट ऑफ लिविंग तैयार होती है, आप चाहें तो मैं बता सकता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल : सिर्फ फूड का बतायेंगे, और नहीं बता सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी सबके हैं।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर के किस प्रकार इन्डेक्स हैं, यह बतायें ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह बजट के वक्त बहस होगी तब बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : उस वक्त इस तरह के प्रश्न नहीं हो सकेंगे।

प्रश्न संख्या २६६

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २६५ सम्बन्धी

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : On a point of Privilege, Sir, शिक्षा मन्त्रीजी ने अपने उत्तर में कहा था कि कोई सूचना नहीं है। यह किस आधार पर कहा, मैं उनको आधार बताना चाहती हूं। ६–७ महीने पहले मैनाल से मूर्तियां चोरी हुई थीं। एक आदमी मूर्तियां लेकर आ रहा था। वह मांडल के पास पकड़ा गया। उसको पुलिस को सौंप दिया गया। यहां के आर्कियोलोजिकल विभाग को चिट्ठी लिखी। मैनाल का मन्दिर सेन्टर का है और इस प्रकार मूर्तियों की चोरी हो रही है। यहां एस० पी०, जयपुर को सूचना दी गई। उसको दबाया गया मामले को, क्योंकि जयपुर का कोई खास आदमी है। माननीय गृह मन्त्री जी और शिक्षा मन्त्री जी इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह में इन सब का जवाब देंगे।

(विराम)

श्री विट्ठल।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह कौनसे प्रश्न से जुड़ा हुआ था ?

श्री अध्यक्ष : आप आये उससे पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ था।

अध्यापकों की नियुक्तियां, जिला बांसवाड़ा

२७०. **श्री विट्ठल** (बांसवाड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला बांसवाड़ा में शिक्षा विभाग की ओर से सन् १९६३ में कितने नये अध्यापक लिये गए और कुल कितने प्रार्थना पत्र आये ?

(२) उक्त अध्यापकों में से कितने आदिवासी वर्ग के थे और कितने प्रार्थना-पत्र आदिवासियों के थे ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) कुल १५६ आशार्थी सिलेक्शन बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए उनमें से कुल ६७ अध्यापक चुने गये।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) आदिवासियों के १४ आशार्थी उपस्थित हुए थे उनमें से १० चुन लिये गये।

श्री विट्ठल : इधर बातें कर रहे थे इसलिये सुना नहीं गया। आदिवासियों की कितनी दरख्वास्तें आयीं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपका जवाब नहीं सुना गया। दुबारा कहें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (१) कुल १५६ आशार्थी सिलेक्शन बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए, उनमें से कुल ६७ अध्यापक चुने गये।

(२) आदिवासियों के १४ आशार्थी उपस्थित हुए, थे उनमें से १० चुन लिये गये।

प्रश्न संख्या २७१

श्री अध्यक्ष : कुं० श्री महेन्द्रसिंह

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल।

अजमेर-श्रीनगर रूट का परमिट

२७२. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि अजमेर-श्रीनगर रुट का परमिट श्री अभयमल साड के नाम पर आर० टी० ए० से मिला था, परन्तु गाड़ी श्री सोहन देवी व्यास की चलती है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो परमिट में गाड़ी नम्बर तथा जिसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है, बताया जावे।

(२) क्या यह सही है कि आर० टी० ओ० जयपुर द्वारा जनवरी फरवरी सन् १९६२ में परमिट परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? किस तरह और किस की आज्ञा से ?

उप–मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां। यह सही है कि अजमेर-श्रीनगर रुट पर परमिट श्री अभयमल सांड के नाम पर आर० टी० ए० जयपुर ने मन्जूर किया था। गाड़ी नम्बर आर० जे० जेड० ३११ उसी के नाम पर उस परमिट पर है।

(२) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सरकार ने कभी जांच की है कि इस नम्बर की गाड़ी का परमिट मिला था वह गाड़ी रुट पर चलती है ?

श्री भीमसिंह : आज की तारीख में वह नहीं चल रही है, इससे पहले वह चल रही थी।

श्री भैरोंसिंह : आज की तारीख में नहीं और इससे पहले चल रही थी तो पैन्सेजर टैक्स दूसरी गाड़ी के नाम से लिखा है, जमा कराया ?

श्री भीमसिंह : पेसेन्जर टैक्स की सूचना मांगी नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : गाड़ी वही चल रही थी ?

श्री भीमसिंह : गाड़ी जो नम्बर पूछा था, आर० जे० जेड० ३११ वह चल रही थी।

श्री अध्यक्ष : किसके नाम रजिस्टर थी ?

श्री भीमसिंह : सोहनदेवी के नाम पर है।

श्री भैरोंसिंह : परमिट उनको नहीं दिया था, फिर इसके नाम से कैसे चल रही है ?

श्री भीमसिंह : सांड ने फ्रॉड करके उसका नाम करा दिया। नोटिस दिया है, कार्यवाही चल रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : फ्रॉड के सिलसिले में क्या क्रिमिनल कार्यवाही की गई ?

श्री भीमसिंह : आर० टी० ए० के पास कार्यवाही चल रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्रिमिनल कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री भीमसिंह : इसको एग्ज़ामिन करा लिया जायगा और कोई ऐसी क्रिमिनल कार्यवाही बनती होगी तो की जायगी।

पंचायत समिति, पाटन द्वारा निर्माण-कार्य के लिए रकम

२७३. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाटन पंचायत समिति द्वारा पिछले तीन साल में निर्माण कार्य के लिये कौन कौन सी पंचायत को कितनी रकम कब दी गई थी ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि अधिकतर रकम सरपंचों के द्वारा अपने पंचायत क्षेत्र में खर्च करने हेतु दी गई थी किन्तु उनका निर्माण–कार्य नहीं करवाया गया और रकम निजी उपयोग में ली जा रही है ?

(३) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पाटन के प्रधान श्री कल्याणजी भायजा ने ग्राम में औषधालय निर्माण व अन्य निर्माण कार्य के नाम पर रकम ले रखी है ?

(४) यदि हां, तो यह रकम कब प्राप्त हुई थी, निर्माण–कार्य करवाया या नहीं और रकम पोस्ट ऑफिस में जमा है या अपने पास रख कर उसका उपयोग किया जा रहा है ?

(५) पाटन पंचायत समिति के द्वारा निर्माण–कार्य में जो रकम दी गई थी उसमें कौन सी जगह का निर्माण काय हो चुका है ?

उप–मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। कुछ निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुए हैं। अधिकतर कार्यों की प्रगति हो रही है। रकम का व्यक्तिगत उपयोग नहीं पाया जाता है।

(३) जी हां।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, जिसमें निर्माण–कार्य कराने की सूचना भी है। रकम पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं है।

(५) सदन की मेज पर रखी गई सूची में यह सूचना भी अंकित है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि जो सूची मुझे दी गई, ५०-६० की दी है; उसके आगे लिखा है काम शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं शुरू हुआ ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने सूची में बताया है कि काम शुरू नहीं हुआ है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : काम शुरू नहीं हुआ है, तो क्या वह पंचायत समिति का पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां।

श्री अध्यक्ष : पंचायत में जमा है, इसका मतलब यह हुआ पोस्ट ऑफिस में है। सारा खाता पोस्ट ऑफिस में होना चाहिये। क्या वह रकम भी पोस्ट ऑफिस में जमा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पोस्ट ऑफिस में तो नहीं, पंचायत में है।

श्री अध्यक्ष : संबन्धित व्यक्तियों के पास है तो उनसे वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वसूल अब करेंगे।

श्री अध्यक्ष : साल, दो साल, तीन साल; कब तक आप समझते हैं काम शुरू हो जाना चाहिये। अगर काम शुरू नहीं हुआ है तो क्या उन्होंने घर में पैसा रख रखा है, कम से कम वह पैसा तो जमा करायें पंचायत कोष के खाते के अन्दर।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पंचायतों को जो पैसा दिया जाता है वह किश्तों में दिया जाता है। एक किश्त के लग जाने के बाद जब सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसके बाद में दूसरी किश्त दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : दूसरी किश्त नहीं दी, उसमें तो एक साथ ही दो—दो हजार रुपये दिये गये।

कॉलेज भवन, दौसा

२७४. श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) [श्री दुर्गालाल बाददार (हवा-महल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : Will the Education Minister please reply:—

(1) Whether any scheme for the construction of a separate college building at Dausa was prepared and approved and an amount of Rs. 25, 000 was paid by T. I. B., Dausa for it ?

(2) If so, what are the reasons for not starting the construction work so for ?

(3) Is it also a fact that Degree College classes are being run in the old High School Building in double shifts against the report of the Supervisor and at the cost of great inconvenience due to inadequate accommodation for various sections of High School and Middle classes ?

(4) Does the Government intend to include the expenditure in the bud-

Page No. 24

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

get and start the construction of the building at an early date?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं, अभी तक कोई स्कीम अलग कॉलेज भवन बनाने की नहीं बनी है, जनता ने कॉलेज खोलने से पहले ५०,००० रु. देने का वायदा किया था, अभी केवल २५,००० रु० जमा किये गये हैं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी हां।

(४) अर्थाभाव के कारण अगले बजट में इसका प्रावधान नहीं किया जा सकता।

श्री केसरीसिंह (पाली) : यह जो ५० हजार का वादा किया था। वह लिखित में था या जुबानी था?

श्री निरंजननाथ आचार्य : लिखित में उनकी दर्ख्वास्त थी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जमा होना राज्य सरकार मानती है। यह कॉलेज काफी अरसे से चल रहा है। यह भी मानते हैं। उसी के अन्दर हाई स्कूल की बिल्डिंग है। एक स्कूल चलता है, कॉलेज उसी में चलता है। क्या इतने पर भी सरकार भवन बनाना आवश्यक नहीं समझती?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सवाल प्रश्न संख्या २७६ श्री मूलचन्द चौधरी ने पूछा है। उसमें भी यही है कि अर्थाभाव के कारण यह स्थिति है जो हमारे हाथ से परे है। हाईस्कूल, कॉलेज चलता है। राज्य सरकार सिलेक्शन ऑफ लैंड के बारे में विचार कर रही है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक तरफ तो आप कहते हैं कि भवन अर्थाभाव के कारण हम नहीं बना सकते, दूसरी तरफ पंचायतों को अनाप-शनाप पैसा देदेते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। शिक्षा की उन्नति का प्रश्न आता है उसमें अर्थाभाव आ जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कॉलेज बिल्डिंग बनाने का सवाल है। यह कोई ४००;, ५०० रुपये का सवाल नहीं है, न हजार दो हजार का ही प्रश्न है। मैंने निवेदन किया, ६४-६५ के बजट में कोई प्रावधान नहीं है। आप इसका मुकाबला तीन-चार हजार से कर रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो केवल आंकड़ों के आधार पर स्कूल क्यों चला रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

डबल रोकड़ बही की बरामदगी, सरपंच ऑफिस बीचूण

२५७. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील दूदू में बिचून सरपंच के ऑफिस से निरीक्षक पंचायत ने डबल रोकड़ बही बरामद की थी?

(२) क्या इस मामले की जांच पड़ताल भी करवाई गई थी? यदि हां, तो जांच का क्या नतीजा निकला?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) जी हां । इस संबन्ध में कलेक्टर जयपुर की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, उन्हें पुनः विस्तृत जांच के लिये लिखा गया है ।

श्री अमरसिंह : यह जांच-पड़ताल कब से चल रही है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ४१ से चल रही है । कलेक्टर को लिखा गया है इसकी पुनः इन्क्वायरी करने के लिये ।

श्री अमरसिंह : कलेक्टर साहब द्वारा सिफारिश की गई थी कि इनको ससपेन्ड किया जाय ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कलेक्टर की रिपोर्ट पर ही आरोप-पत्र दिया जाता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या कलेक्टर ने यह सिफारिश की थी कि इनको सस्पेन्ड किया जाय ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सिफारिश की जानकारी नहीं है । अगर आरोप साबित हुए तो एक्शन लिया जायगा ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : पंचायत एक्ट में यह प्रावधान है कि इस प्रकार का आरोप हो तो सस्पेन्ड किया जा सकता है । क्या उनको सस्पेन्ड किया गया ?

पंचायतमंत्री (श्री भीखाभाई) : वैसे सस्पेन्ड करने के बहुत से कानून हैं । लेकिन जब हम पंचायत राज को जीवित रखना चाहते हैं तो हमें इन अनियमितताओं को गबन न मानना चाहिये ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कानून में प्रोविजन है, लेकिन आप अपनी मर्जी से इन्टरप्रिटेशन करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने तथ्यपूर्ण बात कही है कि छोटे से मामले को लेकर गबन न माना जाय, इस प्रकार के सैकड़ों केसेज़ हो सकते हैं जिनको आप तय नहीं कर पा रहे हैं ।

श्री भीखाभाई : तारीख में कुछ गलती हो सकती है । पहली बार मुआयना २७ अप्रेल, ६२ को हुआ था । हमें कलेक्टर ने क्या लिखा था इसकी जानकारी मुझे नहीं है । मार्च ६३ के बाद में फिर लिखा गया, फरवरी में लिखा गया कि आप इसकी विस्तृत जानकारी करें । जो सरपंच ने और सचिव ने जवाब दिया है वह ज्यादा कन्विंसिंग लगता है इसमें दो या तीन बात का झगड़ा है । जहां तक मैं समझ पाया हूं माननीय प्रश्न कर्ता महोदय की मर्जी का काम नहीं हो पाया इस कारण यह प्रश्न पूछा गया है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय फरमाते हैं कि सदस्य महोदय की मर्जीसे काम नहीं किया गया , इसलिये यह प्रश्न पूछा गया है यह बड़े शर्म की बात है और सीरियस मामला है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो सवाल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पूछा गया उसका सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, उल्टा मंत्री महोदय किसी माननीय सदस्य पर मोटिव इम्प्यूट करते हैं, यह बहुत आब्जेक्शनेबल बात है: इन शब्दों को वापिस लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सरकार के अधिकार में यह है कि वह चाहे जो निर्णय ले; लेकिन माननीय सदस्य के प्रति संशय प्रकट करना उचित नहीं है।

श्री भीखाभाई : I am sorry. Sir, I withdraw my words.

श्री अध्यक्ष : Thank you.

प्रश्न संख्या २७६.

जयपुर में स्कूलों के लिए किराये पर मकान

२७६. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर नगर में शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए कितने मकान किराये पर ले रखे हैं और राज्य सरकार को इसमें प्रति वर्ष कितना किराया देना पड़ता है ?

(२) इन किराये के लिए गए मकानों में से कितने मकान ऐसे हैं कि जिनके विषय में किराया और खाली करने का विवाद चल रहा है ?

(३) कितने किराये लिये गये मकानों के बारे में मकान मालिक विभाग को दफा ८० जा० दी० का नोटिस दे चुके हैं ?

(४) क्या कोई विभागीय सरक्यूलर ऐसा है कि जिसके अनुसार दफा ८० जा० दी० का नोटिस मिलने के पश्चात् उत्पन्न विवादों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ? यदि हां, तो देरी का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्कूलों के किराये के संबन्ध में है। यह सी० पी० सी के सेक्शन ८० के तहत आता है माननीय सदस्य जो प्रश्न कर्ता हैं उन्होंने ८० सी० पी० सी० के अन्तर्गत नोटिस दिया है। मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस को मैंने देखा है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं यह जो प्रश्न है वह परम्पराओं से संबन्धित है. .

"It is contrary to the usage and derogatory to the dignity of this House that any of its Members should bring forward, promote or advocate in this House any proceedings or measure in which he may have acted or been concerned for or in consideration of any pecuniary fee or reward."

यह पीक्युनियरी रिवार्ड है। इसलिये मेरा निवेदन है कि परम्पराओं और व्यवस्थाओं को कायम करने के लिये यह प्रश्न माननीय सदस्य न पूछें तो अच्छा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। इस प्रश्न के सिलसिले में यह कहा गया कि मैं इसकी वकालात कर रहा हूं और

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

मेरे द्वारा नोटिस गवर्नमेन्ट को सर्व किया गया है। इस दृष्टिकोण से कि इसमें पिक्यूनियरी इन्टरेस्ट इन्वोल्व होने चाहिये और सही व्यवस्था को कायम रखने के लिये ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये।

लेकिन मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। यह प्रश्न सारे शिक्षा विभाग से संबंधित है, किसी व्यक्ति विशेष का इसमें मामला इन्वोल्वड नहीं है और ऐसे दृष्टिकोण से जो आरोप लगाया जाता है, वह निराधार है।

श्री अध्यक्ष : आप तो माननीय सदस्यों को केवल इतना बता दें कि आपका इससे क्या संबंध है ? आपने नोटिस दिया है ? यदि हां, तो किस स्थिति में ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : जो पोइन्ट उपमंत्री ने उठाया है उसके लिए मैं निवेदन करूं नोटिस प्रश्न के बाद का है।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर फिर ठीक तरह से नहीं दे रहे हैं। उपमंत्री महोदय ने जो आपत्ति उठाई है जिसका जवाब देने के लिए आप उत्सुक हैं, वह आपत्ति यह है कि माननीय सदस्य ने इसके लिए सरकार को नोटिस दिया है तो आप केवल यह बताएं कि नोटिस किस हैसियत से दिया है ? आपका इसमें पिक्यूनियरी इन्टरेस्ट है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस प्रश्न से संबंधित कोई नोटिस नहीं दिया। किराये की वसूली के संबंध में जयपुर के किसी स्कूल के बारे में नोटिस दिया है सरकार को।

श्री अध्यक्ष : यही तो प्रश्न है। मेरा तो निवेदन था कि आप सोच समझ कर पढ़ कर जवाब देते। आप जवाब देने के लिए इन्सिस्ट कर रहे तो वे फिर ठीक तरह से जवाब दें।

श्री दुर्गा लाल बाढ़दार : जिस स्कूल बिल्डिंग के सिलसिले में यह नोटिस दिया है, उसमें दरअसल पोजीशन यह थी कि वह कस्टोडियन आफ इवेक्यू पोपर्टी की बिल्डिंग थी उस प्रोपर्टी को परचेज किसी अन्य व्यक्ति ने किया और वह प्रोपर्टी एक आदमी के मोर्टगेज में है। मोर्टगेजर और मार्टगेजी की हैसियत से तीसरी पार्टी को नोटिस दिया है। उसका इस स्कूल से संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : किसी भी स्कूल बिल्डिंग के किराए की रिकवरी के लिए आपने अपने क्लाइन्टस की तरफ से नोटिस दिया है या नहीं ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : वह तो केवल एविक्शन के सिलसिले में है। किराये के संबंध में नहीं है। उसका संबंध मोर्टगेजर और मोर्टगेजी से है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Government has received a notice.

श्री अध्यक्ष : Eviction and arrears of rent, both ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : It is only in respect of eviction.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां कई तरह के प्रश्न माननीय सदस्य उठाते हैं, कई सार्वजनिक महत्व के होते हैं उनको पूछने का उनको अधिकार है।

कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें उनका

Page No. 28

(श्री अध्यक्ष)

डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरेस्ट इन्वोल्वड होता है। वे प्रश्न सार्वजनिक महत्व के भी हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं, जैसे कि यह है। फिर सामान्य तौर से यह होना चाहिये कि इस तरह से माननीय सदस्य जिसमें स्वयं डाइरेक्टली इन्वोल्व्ड हों किसी भी तरह से जिसके लिए उनको कहा जा सके कि उन्होंने सदन की कार्यवाही को अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उपयोग किया उससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों को ऐसे प्रश्न स्वयं न पूछकर कोई अन्य माननीय सदस्य पूछें। इसलिए भविष्य के लिये मैं निवेदन करूं कि स्वयं इस बारे में पश्न नहीं करेंगे। उनको सार्वजनिक महत्व की चीज मानते हुए अगर कोई और माननीय सदस्य पूछें तो ज्यादा उचित होगा क्योंकि यहां हर माननीय सदस्य आते हैं, सार्वजनिक महत्व की बातें करने के लिए और प्रश्नों का मतलब है सार्वजनिक महत्व की बातों के बारे में सरकार स्पष्टीकरण करे। साथ साथ इसके जहां माननीय सदस्य का स्वयं का स्वार्थ निहित है तो एक भ्रम पैदा हो जाता है। मेरा कहना एक मार्गदर्शन के रूप में है, माननीय सदस्य जिस तरह से चाहें, उसे स्वीकार करें। लेकिन मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि वे इसका उत्तर दें।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जयपुर नगर में स्कूलों के लिए ३६ मकान किराये पर ले रखे हैं और सालाना १५,६६०) रु० किराया देना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) माननीय उपमंत्रीजी उत्तर दें, इसमें मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन इसमें प्रश्न यह है कि जब तक यह निर्णय नहीं होता कि जो पोइंट ऑफ ऑर्डर माननीय उपशिक्षा मंत्री ने उठाया वह किस हद तक सही है, तब तक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर ज्यों का त्यों स्टेंड करता है। प्रश्न यह है कि ऐसा सवाल पूछा जा सकता था या नहीं उसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ, उसका निर्णय होना चाहिए। नहीं तो ये प्रोसीडिंग्ज माननीय सदस्य पर सदा के लिये रिफलेक्ट करती रहेगी। जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा उससे बिल्कुल साफ है कि उनको कोई पिक्यूनियरी इन्टरेस्ट नहीं था। लेकिन जो कुछ प्रोसिडिंग्स में है वह उनके कैरेक्टर पर रिफलेक्ट करेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय उप मंत्रीजी ने यह आपत्ति उठाई पोइंट ऑफ आर्डर के द्वारा कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। अगर उनको उस तरह से हम सोचें तो वह इस ओर संकेत करता था कि ऐसा करने से संभवतः ब्रीच ओफ प्रिविलेज होता है। एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पोइंट ऑफ ऑर्डर के द्वारा नहीं उठाया जा सकता। अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न पैदा होता है या नहीं, उसमें जाना उचित नहीं। लेकिन जो पोइंट ऑफ ऑर्डर था उसे अस्वीकार किया गया, क्योंकि वह पोइंट ऑफ ऑर्डर सही माने में नहीं था। उन्होंने एक प्रिविलेज की तरफ संकेत किया था, उस पर मेरी व्यवस्था मानी जानी चाहिए। और प्रिविलेज के संबंध में जो स्थिति है वह सदन के समक्ष नहीं है। मैंने अपने विचार सदन के समक्ष रखे हैं कि पोइंट ऑफ ऑर्डर अस्वीकार कर दिया गया। उपमन्त्रीजी उत्तर दे दें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य या बात कही थी कि इसमें माननीय सदस्य का व्यक्तिगत इन्टरेस्ट थोड़ा बहुत है। ये शब्द आपने कहे थे। इसलिये इसका महत्व हो जाता है....

श्री अध्यक्ष : इसलिए तो महत्वपूर्ण है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब इस प्रकार का........

श्री अध्यक्ष : आपने मेरा मतलब नहीं समझा। सवाल विधान का है, प्रोसीजर का है। माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने केवल यह पूछा है कि पोइंट ऑफ ऑर्डर डिस्पोज ऑफ हुआ या नहीं, क्या स्थिति है। उस पर मेरा निर्णय यह है कि पोइंट ऑफ ऑर्डर अस्वीकार किया गया है, क्योंकि पोइंट ऑफ प्रिविलेज जैसी चीज पोइंट ऑफ ऑर्डर द्वारा नहीं उठायी जा सकती।

(विराम)

मंत्री महोदय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (१) जयपुर नगर में स्कूलों के लिए ३६ मकान किराये पर ले रखे हैं और सालाना १५,९६०) रु० किराय देना पड़ता है।

(२) तीन।

(३) ६। इनमें नोटिस दिये जा चुके हैं।

(४) जी हां। ऐसे मामलों में देरी नहीं की जाती।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, कोटा, पर पैसेन्जर्स टैक्स का बकाया

२७१.श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा ट्रांस्पोर्ट कम्पनी लिमिटेड, कोटा में पैसेन्जर्स की किस किस वर्ष की कितनी २ बकाया है और क्यों ?

(२) इस टैक्स की अदायगी न होने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा) : (१) कोटा ट्रांस्पोर्ट के जिम्मे यात्री कर की बकाया निम्न प्रकार से है।

साल	टैक्स	पैनेल्टी	योग
६२-६३	९९,६९१-८९	३२,७७०	१,३२,४६१-८१
६३-६४	७९,७३३-७४	३८,०६५	१,१७,७९८-७४
	१,७९,४२५-६३	७०,८३५	२,५०,२६०-६३

पार्टी के द्वारा रकम जमा न कराने से रकम बकाया चली आ रही है।

(२) समय पर टैक्स जमा न कराने पर समय समय पर पैनल्टी लगाई गई। वसूली की कार्यवाही पब्लिकडिमांड रिकवरी एक्ट के तहत चल रही है व विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : इतनी रकम जो बकाया रही है वह जिस समय रूल्स के अनुसार जमा

(श्री भैरोंसिंह)

करानी चाहिए थी क्या उस समय उन्होंने नहीं करायी ?

श्री **परसराम मदेरणा** : हां, रकम जमा नहीं कराई रूल्स के अनुसार, तभी तो पी० डी० आर० के तहत रिक्वीज़ीशन भेजा गया।

श्री **भैरोंसिंह** : क्या सरकार के पास सिवाय पैनल्टी इम्पोज करने के और कोई साधन नहीं हैं सिवाय पी० डी० आर० को छोड़कर ?

श्री **परसराम मदेरणा** : २६-४-६३ के पहले सरकार के पास इस तरह के साधन नहीं थे कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट डाइरेक्टली वसूली कर सकता है, लेकिन २६-४-६३ के बाद राजस्थान फाइनेन्शियल एक्ट के पारित होने के बाद और अकोर्डिंगली राजस्थान पैसेंजर्स एण्ड गुड्स एक्ट के अन्तर्गत यह अमेन्डमेंट करने के बाद मूवेबल प्रोपर्टी को अटेच करने का अधिकार असेसिंग ऑथोरिटी को है और वह तब ही है जब कि कमिश्नर से इसके लिए आज्ञा प्राप्त कर ले।

श्री **भैरोंसिंह** : असेसिंग ओथोरिटी से अभी तक अटेचमेंट के बारे में कार्यवाही क्यों नहीं कराई ?

श्री **परसराम मदेरणा** : कार्यवाही भी हुई है और ४ बसें अटेच हुई हैं जो कि असेसिंग ऑथोरिटी ने की हैं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) :१६६२–६३ की बकाया के संबंध में आपको अधिकार मिल गए तो कमिश्नर महोदय से इजाजत लेने के बारे में कब लिखा और इतने दिनों से कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री **परसराम मदेरणा** : प्रश्न यह है कि यह एक्ट में अमेन्डमेंट होने के पहले कलेक्टर कोटा को इस टैक्स की वसूली के लिए रिक्वीज़ीशन हमने पहले दे दिया था इसलिए मुनासिब नहीं समझा। क्योंकि ७–१–६३ को रिक्वीज़ीशन भेज दिया था। परन्तु यह सोचा गया कि रिक्वीज़ीशन को तो हम विथड्रॉ करें और जो पॉवर्स डिपार्टमेन्ट के पास आए हैं उनका इस्तेमाल किया जाये और कम्पनी ने ७६,१४४ रुपये जमा करा दिये और उसके बाद कलेक्टर के और उनके बीच में बातचीत होने के बाद यह तय हुआ कि यह कम्पनी १६–१२–६३ तक १०,००० रुपया पहले जमा करा देगी और १००० रुपया रोज जमा करायेगी। लेकिन कम्पनी ने इस वादे को पूरा नहीं किया। उसके बाद डिपार्टमेंट ने एक्शन लिए। इसलिए जो पॉवर्स सदन ने सरकार को दी थी उनका उस समय इस्तेमाल करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री **भैरोंसिंह** : यह जो बसों का अटेचमेंट किया, क्या इसके बारे में मंत्री महोदय बता सकते हैं कि वह कब किया गया ?

श्री **परसराम मदेरणा** : यों तो अटेचमेंट की कार्यवाही १३–१–६४ को की थी डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन उनसे बातचीत करके यह तय हुआ कि २५ फरवरी, ६४ तक १५,००० रुपया जमा करा दें और २००) रु. रोज जमा करायें और जो यह इकरारनामा

Page No. 31

(श्री परसराम मदेरणा)।

हुआ, यह भी पूरा नहीं रहा इसलिए २८-२-६४ को कुर्की की गयी।

श्री **भैरोंसिंह** : ये जो ४ बसें अटेच कीं इनका वैल्युएशन कितना होगा और कितने अमाउन्ट के अगेन्स्ट में उनका अटेचमेन्ट हुआ है ?

श्री **परसराम मदेरणा** : वैलुएशन हमारे करने से नहीं होता है। लेकिन अटेचमेन्ट के बाद प्रोपर्टी नीलाम होती है और पहले जो कलेक्टर ने अटेच की थी उसने इसलिए नीलाम नहीं की कि प्राईज बहुत थोड़ी आ रही थी। इसलिए उन्होंने बातचीत से ही मामला सुलझाना ठीक समझा। क्योंकि वह अभी तक नीलाम नहीं हुई हैं इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उससे राजस्थान सरकार को कितना रुपया प्राप्त हो जायेगा।

श्री **भैरोंसिंह** : क्या गवर्नमेन्ट ने इस बात का विचार किया है कि इस कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी में गवर्नमेन्ट के शेयर्स हैं और उन शेयर्स के एवज में क्या गवर्नमेन्ट इसके लिए रेस्पोन्सीबल नहीं होती है कि शेयरहोल्डर्स के नाते यह गवर्नमेन्ट अपनी ही गवर्नमेन्ट को टैक्स का पेमेन्ट नहीं करे ?

श्री **परसराम मदेरणा** : यह मुझे जानकारी नहीं है।

श्री **भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय वित्त मन्त्री जी इसको स्पष्ट करेंगे कि गवर्नमेन्ट के इसमें शेयर्स हैं और गवर्नमेन्ट शेयरहोल्डर के नाते गवर्नमेन्ट टैक्स का पेमेन्ट नहीं करती उसकी क्या स्थिति है ?

श्री **अध्यक्ष** : शेयरहोल्डर में नहीं डाइरेक्टर्स में।

श्री **भैरोंसिंह** : न तो मैनेजिंग एजेन्ट में हैं, न डाइरेक्टर्स में हैं और शेयर्स हैं और गवर्नमेन्ट की इतनी प्रोपर्टी का मिसयूज़ हो रहा है कि जिसकी देखभाल करने वाला राजस्थान में कोई नहीं दीखता।

श्री **परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि वस्तुस्थिति क्या है ?

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो प्रश्न पूछे थे तो फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा था कि इतनी जितनी भी बकाया राजस्थान में है उनकी ३ महीने में वसूली कर लेंगे। फिर यह पैसा क्यों बाकी है ?

वित्त मन्त्री (श्री बालकृष्ण) : मैंने यह कहा था कि जितनी जल्दी हो सकेगा करेंगे और कर रहे हैं और काफी मैंने रिकवरी भी की है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह सही है कि जो पैसेंजर्स टैक्स वसूल किया जाता है वह गवर्नमेन्ट के बिहाफ पर वसूल किया जाता है और वह गवर्नमेन्ट का रुपया होता है, क्या यह सही है? और गवर्नमेन्ट को नहीं देना यह पैसा मिसएप्रोप्रियेशन की तारीफ में आता है। उस व्यक्ति के खिलाफ तो इस प्रकार क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन होना चाहिए।

श्री **परसराम मदेरणा** : इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह रुपया गवर्नमेन्ट का होता है और यह रुपया सरकारी खजाने में जाना

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहिए। जमा नहीं कराया, इसलिए तो कार्यवाही हो रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पैनल्टी इम्पोज़ की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पैनल्टी का सवाल नहीं है........

श्री परसराम मदेरणा : टैक्स नहीं दिया तो पैनल्टी इम्पोज़ की है। क्योंकि उन्होंने यह टैक्स जमा नहीं कराया इसलिए यह पैनल्टी इम्पोज़ की है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह पैनल्टी आपके किसी अधिकारी के द्वारा उस पर इम्पोज़ की गयी और क्या इस प्रकार का प्रावधान है कि पैनल्टी इम्पोज़ करने से पहले रूल्स के तहत उसे नोटिस दिया जाना चाहिए कि यह पैनल्टी आपके ऊपर इम्पोज़ की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : इस टैक्स की वसूली के लिए क्योंकि कई जगह इसका बहुत पैसा बकाया है तो या तो कोई एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की तरह या पैसेंजर्स से वसूल कर लें लेकिन यह देखा गया है कि इस तरह सरकार का पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है इसके लिए कोई रिफोर्म करने की सोचें ताकि बकाया न रहे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, पहले उदयपुर के बारे में सवाल आया था उस समय भी वित मन्त्री महोदय ने कहा था कि जल्दी से जल्दी वसूल करेंगे। आज भी यह नहीं हो रहा है और यह हाल एक ही जगह नहीं है, सभी जगह यही हाल है।

श्री बालकृष्ण कौल : इस वसूली के लिए आइन्दा के लिए इन्तजाम किया है........

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां) : वसूल कर लें तो दावतें कहां से मिलें ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : प्रश्न यह है कि कितने अर्से के अन्दर यह वसूली कर ली जायेगी ? जब कि आप के एक्ट में भी प्रावीजन हो गया। आप एक पीरियड बतायें कि जिन लोगों के ऊपर इस प्रकार का पैसा है वह वसूल कर लेते हैं बीच वाले गवर्नमेन्ट के नाम पर और गवर्नमेन्ट के पास जमा नहीं करते तो जो पैसा जनता का है, यह सरकार उस पैसे को लेने में क्यों हिचकिचाहट करती है जबकि उसे पूरे अधिकार मिले हुए हैं।........

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न समझ गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या वित्त मन्त्री महोदय ने कभी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के सामने या केबीनेट के सामने यह रखा कि इसमें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के शेयर्स हैं और पैसेंजर्स टैक्स की वसूली नहीं हो रही है ? आपने कभी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर को लिखा है ?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, जो हमारे पास इनफोरमेशन आती है वह ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री से ही आती है लेकिन यह, जितने एरियर्स हैं........

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको बता दूं कि यह इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट के अन्दर में है।

श्री बालकृष्ण कौल : ये जितने एरियर्स हैं, ये पुराने हैं और जितने नये आते हैं उनमें करीब करीब रुपया वसूल हो जाता है और पुराने एरियर्स के भी बहुत से केसेज़ चल

Page No. 33

(श्री बालकृष्ण कौल)

रहे हैं और यह कहना कि फलां तारीख तक हम वसूली कर लेंगे यह तारीख देना नामुमकिन है क्योंकि इन मामलों में बहुत सी में लीगल इम्प्लीकेशन्स हैं, अपीलें हैं, कभी रेवेन्यू बोर्ड में चले जाते हैं, कभी हाईकोर्ट में चले जाते हैं, स्टे हो जाते हैं हमारे केसेज़ में, इसलिए हमारी कोशिश इस बात की है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम वसूली करेंगे और इस कोशिश में हम कामयाब हैं।

श्री भैरोसिंह : क्या यह सही है कि कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी पर पैसेंजर्स टैक्स का बकाया और पैसेंजर्स टैक्स के साथ ही साथ गवर्नमेन्ट के शेयर्स—इन दोनों के मिलाने के बाद जो गवर्नमेन्ट की लाएबेलिटी कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के ऊपर होती है उसके मुकाबले में कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के असेट्स नीचे चले गये हैं और जो भी असेट्स बचे हुए हैं उनके ऊपर कोर्ट की डिक्री आ चुकी है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इतना अर्ज कर दूं कि कोशिश हमारी यह है कि हमारे सब पैसे वसूल हों और जैसा कि अभी प्रश्न के उत्तर में बताया कि कलेक्टर ने भी यही कहा है कि हमने लारी अटेच की और उससे पूरा रुपया नहीं हो रहा था इसलिए उन्होंने यही मुनासिब समझा कि किसी तरह से म्युचुअल सेटलमेन्ट होकर पैसा वसूल हो। इसलिए यह कहना तुरन्त इस समय कि उनके असेट्स कितने हैं और हमारी लाएबिलिटी कितनी है यह मेरे लिए नामुमकिन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने तो एक सामान्य समस्या की ओर संकेत किया है जो कि एक आम समस्या है कि सरकार के जहां जहां इन्वेस्टमेंट्स हैं तो कोई भी स्पेशियेलाइज्ड मशीनरी सरकार के पास होनी चाहिए किसी भी विभाग में जो कि कन्टिनुअसली यह देखती रहे और जांचती रहे कि शेयरहोल्डर के नाते अथवा किसी तरह से भी सरकार का इन्ट्रेस्ट सुरक्षित है या नहीं, तो उस ओर विशेष ध्यान है ही और ज्यादा विशेष ध्यान दें तो और भी अच्छा रहेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : राजस्थान सरकार क्या इस बात पर विचार नहीं कर रही है कि जो यह मोटर विहीकल्स रखने वाले हैं, जो भी बसेज चलाते हैं रूट्स पर ये यदि टैक्स न दें तो उनको टोकन न दिया जाय और इस बात का रूल्स में प्रावधान किया जाय कि वह गाड़ी उस रूट पर नहीं चल सके।

श्री बालकृष्ण कौल : यह प्रावधान है। ६३ से यह चल रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो क्या राजस्थान में किसी एक भी ट्रान्सपोर्टर के खिलाफ इस प्रावधान के अन्दर कार्यवाही की गई है?

श्री अध्यक्ष : यह तो यातायात मंत्री बताएंगे और आश्वासन भी दिया गया है और आयन्दा टोकन इश्यू नहीं होगा तब तक।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उस एक्ट को एमेंड करने का उस रूल को एमेंड करने का कोई रूल नहीं है। इन सालों में

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

एक भी बस ओपरेटर के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई और एक भी ट्रान्सपोर्टर की गाड़ी को नहीं रोका गया है चलने से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और वे ट्राफिक एड्वाइज़री कमेटी के मेम्बर बना दिये जाते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : काफी माल था और पैसा बकाया था वह वसूल नहीं हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १५०० रुपया बकाया है वह धारीवालजी का मामला है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) :— एक प्रश्न २८५ है, उसमें गबन का मामला है। उसका लिखित उत्तर मिल जाय तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : लिखित में सबका उत्तर मिलेगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नौ गांवां नाके से आमदनी

१०४. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६२—६३ में नौ गांवां अलवर नाके पर किन किन लोगों को बिना टैक्स अदा किये बाहर पंजाब को माल ले जाने पर पकड़ा गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) इस नाके पर साल में औसतन कितनी आमद होती है तथा सन् ५० से अब तक प्रत्येक वर्ष माहवार कितनी आमद हुई है ?

उत्तर

(१) जून १९६२-६३ में नौगांवा (अलवर) नाके पर कोई भी केस नहीं पकड़ा गया।

(२) यात्री कर नाका की स्थापना अगस्त, १९५९ में हुई तथा उसके बाद जनवरी १९६१ से बिक्री कर नाका भी स्थापित किया गया।

यात्री कर व बिक्री कर की वार्षिक आय इस प्रकार है :—

५९—६०	१३८१९.६६
६०—६१	२७५१९.४३
६१—६२	३३०६२.९४
६२—६३	३१४६४२.४२
	३८९०४४.४५

इसकी औसतन वार्षिक आय ९०२६१.११ आती है।

अगस्त १९५९ से जनवरी ६१ तक केवल यात्री कर व जनवरी १९६१ में बिक्री कर नाका की स्थापना के बाद यात्री कर व

Page No. 35

(आबकारी एवं कर मंत्री)

बिक्री कर की टोनों की माहवार आमदनी की सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

कोटा ट्रान्सपोर्ट कं० के विरुद्ध शिकायतें

१०५. श्री भैरोंसिंह, (किशनपोल, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) हाडोती परिवहन श्रमिक संघ, कोटा द्वारा कोटा ट्रान्सपोर्ट कं० के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अब तक श्रम विभाग को किस २ प्रकार की शिकायतें की गई हैं और कब २ ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) इन शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

हाडौती परिवाहन श्रमिक संघ कोटा द्वारा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अब तक श्रम विभाग को जो शिकायतें आई उनका ब्यौरा तथा उन पर जो कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा की गई है उसका विवरण सदन की मैज पर रख दिया गया है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मिनिमम वेजेज एक्ट के अधीन नियुक्त समितियां

१०६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मिनिमम वेजेज़ एक्ट, १९४८ के आधीन राज्य सरकार ने कितनी समितियां नियुक्त की हैं और उनमें से कितनी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ? समितियों की नियुक्ति की तारीख, रिपोर्ट पेश करने की अवधि, रिपोर्ट पेश करने की तारीख और रिपोर्ट पेश करने की अवधि में वृद्धि की संख्या आदि के विवरण की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि कुछ समितियों में जो व्यक्ति सर्व प्रथम नियुक्त किये गये उन्हें बाद में हटा दिया गया और दूसरे व्यक्ति नियुक्त किये गये ? यदि हां, तो कितनी समितियों में ऐसा किया गया और क्यों किया गया ?

(३) क्या इनमें कुछ एम. पी. और एम. एल. एज. भी हैं ? यदि हां, तो नान-कांग्रेसी कितने और कांग्रसी कितने हैं ? इनको नियुक्त करने का आधार क्या है ?

उत्तर

(१) मिनिमम वेजेज़ एक्ट १९४८ के अधीन सरकार ने निम्न लिखित १० रिवीज़न कमेटियों का गठन किया:—

१. एग्रीकल्चर उपयोग के लिये

२. बीड़ी उद्योग के लिये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

३. पब्लिक मोटर ट्रांस्पोर्ट

४. स्टोन पेकिंग एंड स्टोन क्रसिंग

५. कान्ट्रक्टशन और मेन्टीनेन्स ऑफ रोडस एन्ड बिल्डिंग आपरेशन्स

६. लोकल ऑथरिटी

७. व्रूलन कार्पेट मेकिंग और शाल वीविंग

८. राइसफ्लोर एण्ड दाल मिल्स

९. माइका वर्क्स

१०. आइलमिल्स

उपरोक्त १० रिविजन कमेटियों में से पहली १ से ६ कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इनमें से कमेटी सं० १-२ के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर रिवाइज्ड वेजेज़ लागू की जा चुकी हैं। कमेटी संख्या ३ से ६ द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अभी न्यूनतम वेतन सलाहकार मंडल के समक्ष विचाराधीन है। कमेटी संख्या ३ और ६ की प्रस्तुत रिपोर्टों के ऊपर सलाहकार मंडल ने खूब अच्छी तरह से विचारविमर्श किया और कुछ संशोधन के लिये सुझाव दिया, संशोधन के पश्चात् ये रिपोर्ट सलाहकार मंडल ने स्वीकार करली हैं बाकी रिपोर्टों, पर मंडल की ओर से विचार किया जा रहा है मंडल की बैठक बुलाने की कार्यवाही जारी है। अन्य ४ रिवीज़न कमेटियों की रिपोर्ट अभी प्राप्त नही हुई है परन्तु आशा की जाती है कि वे शीघ्र ही प्राप्त हो जायेंगी। आवश्यक सूचना सदन की मेजपर रख दी गई है।

(२) जी हां। कुछ व्यक्ति जिन्हें स्वतंत्र मेम्बर की हैसियत से कार्य करने को लिया गया था उनकी अनुमति समय पर प्राप्त न होने के कारण अन्य व्यक्तियों को लगाया गया जो उस समय उपलब्ध थे। चूंकि कमेटी का गठन शीघ्र करना आवश्यक था अतः एव जो कोई भी योग्य व्यक्ति उपलब्ध थे उन्हें स्वतंत्र मेम्बर की हैसियत से कमेटी पर ले लिया गया। कुछ अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति में परिवर्तन केवल इस कारण से किया गया कि या तो उनमें से कुछ व्यक्ति मर चुके थे अन्यथा वे प्रतिनिधित्व नहीं करते थे चूंकि उनकी यूनियन का रजीयन रद्द हो चुका था।

(३) जी हां, नान कांग्रेसी कोई भी नहीं है। इनकी नियुक्ति श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधियों की हैसियत से की गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

बेरोजगारों को रोजगार-एम्प्लयॉमेंट एक्सचेन्ज, कोटा

१०७. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६१–६२ व ६२–६३ में कोटा जिले में रोजगार दिलाने हेतु एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज में कितने मैट्रिक से लेकर बी. ए. तक व कितने बिना पढ़े-लिखे बेरोजगारों को रजिस्टर किया गया है और इनमें कितने अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के हैं सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त वर्षों में कितने रजिस्टर्ड बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है और उनमें से कितने अनुसूचित जाति व पिछड़ी

(श्री दयाचन्द सोन)

जाति के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

जिस रूप में ये आंकड़े मांगे गये हैं वैसे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। पढ़े लिखे बेरोजगारों के और अनुसूचित जाति के आंकड़े छमाही अंतर से जून और दिसम्बर तक के ही एकत्र किये जाते हैं । पिछड़ी जाति के अलग आंकड़े नहीं रक्खे जाते हैं। किन्तु इस संबन्ध में निम्न तालिका में दिये गये आंकड़े उपलब्ध हैं ये आंकड़े वित्तीय वर्ष के न होकर १९६१, १९६२ व १९६३ के पूरे वर्षों के हैं ।

बेरोजगारों के आंकड़े जिनका नाम रोजगार दिलाने के लिए कोटा नियोजन कार्यालय में रजिस्टर किया गया ।

	१९६१-१९६२-१९६३
मैट्रिक और उससे उपर तक पढ़े हुए ।	४६३६-४३३०-३७९९
मैट्रिक से नीचे पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे ।	५८८३-६८४७-७६६२
जोड़:—	१० ५१९ ११११७७ ११४६१
इनमें अनुसूचित जाति के बेरोजगारों की संख्या :—	५९४-६८३-८१८

बेरोजगारों की संख्या जिनको रोजगार दिलाया गया

	१९६१	१९६२	१९६३
मैट्रिक और उससे उपर तक पढ़े हुए ।	१०१३	७२७	३०७
मैट्रिक से नीचे पढ़े लिखें तथा बिना पढ़े लिखे ।	५३९	७६९	१०३२
जोड़:—	१५५२	१४९६	१३३९
इनमें अनुसूचित जाति के	७६	१२८	९२

पंचायत भवन निर्माण हेतु अनुदान—जिला भरतपुर

१०८. श्री **मजलिस खाँ** (कामां) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भरतपुर जिले में कितनी ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन निर्माण के लिए अनुदान दिया गया है ?

(२) उनमें से कितने भवन निर्मित हो चुके हैं ?

(३) कितने अधूरे पड़े हुए हैं और अधूरे पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

(४) पंचायत समिति वाइज़ उपरोक्त सूची सदन की मेज पर रक्खी जावे।

(५) ६३—६४ में कितनी पंचायतों को पंचायत समितिवार भवन निर्माण के लिये अनुदान दिया जावेगा ?

उत्तर

१— सूची संलग्न है ।

(पंचायत मंत्री)

२— यह सूचना भी संलग्न सूची में अंकित है।

३— यह सूचना भी संलग्न सूची में अंकित है।

४— यह सूचना भी संलग्न सूचि में अंकित है।

५— यह सूचना भी संलग्न सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

ग्राम पंचायतों का ऑडिट–जिला जालौर तथा बाड़मेर

१०६. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा):- क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जालौर तथा बाड़मेर जिलों की कितनी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनका ऑडिट अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) ग्राम पंचायतों का स्पेशल ऑडिट किन किन वजूहात पर किया जाता है ? जिन ग्राम पंचायतों का उक्त जिलों में स्पेशल ऑडिट किया गया हो तथा उस पर जो कार्यवाही की गई उसकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) क्या यह सही है कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार भूतपूर्व सरपंचान श्री नाहरसिंह व भूरसिंह, ग्राम पंचायत राखो (पंचायत समिति, सिवाना) द्वारा पंचायत को सहायतार्थ दी गई धनराशि का गबन किया गया है ?

(४) यदि हां, तो कितनी धनराशि का ? क्या सरकार अब शीघ्र ही उक्त रकम की वसूली कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) जब किसी पंचायत के विरुद्ध पंचायत कोष में गबन अथवा दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होती है तो उस ग्राम पंचायत का स्पेशल ऑडिट किया जाता है। जिन पंचायतों का स्पेशल ऑडिट किया गया है उनकी सूची संलग्न है।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वन समितियां–जिला बांसवाड़ा

११०. **श्री विठ्ठल,** (बांसवाड़ा) क्या वन यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बांसवाड़ा में सन् ६२ व ६३ में कितनी वन समितियां बनी और कहां कहां ?

(२) क्या उन समितियों ने वन विभाग से जंगल लेने की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या उन वन समितियों को सरकार ने जंगल दिये ? यदि नहीं दिये, तो क्यों ?

उत्तर

१—जिला बांसवाड़ा में सन् १९६२ में २ वन श्रमिक सहकारी समितियां तथा सन् १९६३ में १ वन श्रमिक सहकारी समिति बनी जिनकी सूची निम्न प्रकार है :

नाम	स्थान	बनने का वर्ष
१—वन श्रमिक सहकारी समिति	बारी	१९६२
२— ,, ,,	नहाली	,,
३— ,, ,,	पनियाला	१९६३

२— (i) जी हां। वन श्रमिक सहकारी समिति बारी ने गत वर्ष लालपुरा-बारी के कल्चरल आपरेशन की कटी लकड़ी लेने की मांग की थी। किन्तु वन विभाग द्वारा निर्धारित रकम में समिति ठेका लेने को तैयार नहीं थी। इसी बीच में समिति के अध्यक्ष ने अपने पत्र दिनांक १०—६—६३ द्वारा ठेका लेने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार गत वर्ष समिति को कोई ठेका नहीं दिया जा सका। सन् १९६३—६४ के लिये समिति ने सरवनडेरी कुटुम्बी कम्पार्टमेंट नं० ३ की कल्चरल आपरेशन की लकड़ी लेने का आवेदन किया है जो अभी विचाराधीन है।

(ii) वन श्रमिक सहकारी समिति पनीयाला द्वारा सन् १९६३—६४ के लिये त्रिवार्षिक औसत आय पर समाई माता कूप नं० १ की मांग करने पर राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान करदी है।

(iii) वन श्रमिक सहकारी समिति नहाली ने अब तक कोई जंगल लेने की मांग नहीं की।

दी भारत उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, अजमेर

१११, श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर):—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दी भारत उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, अजमेर का पंजीयन कब हुआ और इसके कौन कौन व्यक्ति अब तक सेक्रेटरी रहे हैं और कितने समय के लिये?

(२) यह समिति किस लिए बनाई गई थी और उस दिशा में अब तक क्या क्या प्रगति हुई है?

(३) क्या यह सही है कि इस समिति को सन् ५६-५७ में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा १०,४०५) रु० का ऋण तथा ७,९०५) रु० की सबसिडी मिली थी? यदि हां तो किस कार्य के लिये, क्यों और किसके द्वारा? इस ऋण का अब तक कितना भुगतान कर दिया गया है?

(४) क्या यह सही है कि इस समिति का सहकारी विभाग द्वारा पहला ऑडिट सन् १९६१ में कराया गया? यदि हां, तो इस ऑडिट रिपोर्ट में क्या कमियां पाई गई और उस सम्बध में अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? कृपया उस ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(श्री भैरोंसिंह)

(५) इस समिति के असेट्स और लाइबिलिटीज क्या क्या हैं ?

उत्तर

पंचायतों को सार्वजनिक कार्यों के लिए अनुदान, पंचायत समिति कामां

११२. **श्री रामकिशन** (बैर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति कामां (भरतपुर) के अन्तर्गत अब तक कितनी ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक कार्यों के लिये कितना अनुदान दिया गया है। अनुदान किस तारीख में और किस अधिकारी की रिपोर्ट पर दिया गया है ?

(२) अनुदान किस किस कार्य के लिये दिया गया है ? तफ़सील सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(३) जिन कामों के लिये अनुदान दिया गया है उनमें से कितने काम पूरे हो चुके हैं और काम पूरा हो चुकने की रिपोर्ट किस अधिकारी द्वारा हुई है ? तफ़सील सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) यह सूचना भी संलग्न सूची में अंकित है।

(३) यह सूचना भी संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सहरिया परिवारों को अनुदान

११३. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील किशनगंज की परानिया बस्ती में बसे हुए सहरिया परिवारों को समाज कल्याण विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान अर ऋण सन् १९६२ व ६३ में दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो किस किस को कितनी कितनी रकम किस कार्य हेतु दी गई। सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि समय पर उन लोगों के लिये अच्छे बीज की व्यवस्था नहीं होती है ?

(उत्तर)

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

वैलफैयर एक्सटेन्शन प्रोजेक्ट्स का ऑडिट

११४. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने अथवा समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान ने वैलफेयर एक्सटेन्शन प्रोजेक्ट खोले हैं ? यदि हां, तो कहां २ और कब २ से ?

(ख) इन प्रोजेक्ट्स को सरकार अथवा बोर्ड से अब तक कितनी २ और किस किस प्रकार की आर्थिक सहायता दी गई है ?

(ग) किन किन प्रोजेक्ट्स के एकाउन्ट्स नियमानुसार ऑडिट हुए हैं और किन किन के नहीं और क्यों ?

(घ) किन किन प्रोजेक्ट्स में हिसाब किताब में अनियमिततायें, गबन, रकम के अथवा प्रोजेक्ट्स के सामान के दुरुपयोग के मामले बोर्ड अथवा सरकार के ध्यान में लाये गये हैं और उन पर क्या क्या एक्शन लिया गया है ?

(ङ) इन प्रोजेक्ट्स के कन्वीनर अथवा चेयरमैन कौन २ हैं और ऐसे व्यक्तियों को वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधायें क्या क्या प्राप्त हैं ?

(च) किन किन प्रौजेक्ट्स ने सरकार तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित वित्तीय शर्तों को पूरा कर लिया है ?

(छ) इन प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले कर्मचारियों पर कौन कौन से नियम कब से लागू हैं ?

(ज) इन प्रोजेक्ट्स के एकाउन्ट्स रखने चैक करने तथा ऑडिट करवाने के सम्बन्ध में क्या कोई नियम हैं ? यदि हां, तो कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(क) राज्य सरकार समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं को दी गई सहायता की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) राज्य में चल रही सभी समाज कल्याण योजनाओं के हिसाब महालेखापाल कार्यालय द्वारा नियमानुसार ऑडिट हुए हैं ।

(घ) सिर्फ समाज कल्याण योजना, छोटी बाटू और हनुमानपुरा के हिसाबों में कुछ कमियां थी जिनकी ओर कार्यवाही की जाकर योजनाओं को बन्द कर दिया गया है ।

(ङ) सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं । समस्त अध्यक्षायें अवैधानिक कार्य करती हैं इन्हें केवल नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जाता है ।

(च) सभी योजनाओं ने बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यों को पूरा किया है ।

(छ) प्रविष्ट के कार्य का संचालन राज्य बोर्ड द्वारा किया जाता है जो कि एक आटोनामस बोर्ड द्वारा हैं कर्मचारियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय समय पर प्रसारित तत्सम्बन्धी आदेशों का पालन किया जाता है ।

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

(ज) सामान्य एकाउन्ट सम्बन्धी नियमों के पालन के अतिरिक्त समय समय पर केन्द्रीय बोर्ड के तत्सम्बन्धी प्रसारित आदेशों के अनुसार समस्त कार्य किया जाता है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

समाज कल्याण विभाग, जयपुर के अन्तर्गत संस्थाओं पर वार्षिक व्यय

११५. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जयपुर नगर में कितनी संस्थायें कार्य कर रही हैं ? कृपया सबकी नामावली सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त संस्थाओं का वार्षिक व्यय कितना है ?

(३) क्या जयपुर नगर में इन संस्थाओं की देख रेख के लिए कोई बोर्ड है ? यदि है तो उसके सदस्य कौन कौन हैं और इनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है ?

उत्तर

(१) समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जयपुर नगर में जो संस्थायें कार्य कर रही हैं उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) उपरोक्त संस्थाओं का वार्षिक व्यय सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है।

(३) इन संस्थाओं की देखरेख के लिए कोई बोर्ड नहीं है। इनकी देखरेख समाज कल्याण अधिकारी, जयपुर करते हैं तथा महिला सदन जयपुर की देखरेख के लिए श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। महिला सदन की मेनेजिंग कमेटी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

ठिकाना बड़ी सादड़ी में देवस्थान ट्रस्ट

११६. श्री शंकरलाल (सादड़ी) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी ठिकाने में पहले देवस्थान के नाम की ट्रस्ट थी और अब भी है ? यदि हां, तो उसके कौन अध्यक्ष, मंत्री व अन्य कितने प्रबन्ध कार्यकारिणी के सदस्य हैं और ट्रस्ट के पास कितनी प्रोपर्टी है ?

(२) क्या उपरोक्त ट्रस्ट में जनता के प्रतिनिधि को भी लिया जा सकता है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

जिला शिक्षा निरीक्षणालयों पर खर्चा

११७. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कितने जिला शिक्षा निरीक्षणालय हैं ?

(२) प्रत्येक निरीक्षणालय का माहवारी कितना कितना खर्चा है ?

(३) इन निरीक्षणालयों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(४) सन् १९६२-६३ में इन निरीक्षणालयों में निरीक्षक व उप-निरीक्षकों ने कितना कितना टी. ए. व डी. ए. प्राप्त किया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(५) एक निरीक्षक व उप-निरीक्षक साल में कितना टी. ए. व डी. ए. प्राप्त करने का अधिकारी है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में २१ जिला शिक्षा निरीक्षणालय हैं जिनकी सूचि संलग्न है।

(२) प्रत्येक निरीक्षणालय का माहवारी खर्चे की सूची संलग्न है।

(३) सूची संलग्न है ।

(४) सूची संलग्न है।

(५) ऐसा कोई नियम नहीं है। शिक्षा निरीक्षकों को एक निश्चित कोटे के अनुसार स्कूलों के निरीक्षण करने होते हैं जो क्रमशः १५० व १२० दिन हैं ये टी. ए. रूल्स के अनुसार टी. ए. डी. ए. पाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

गर्ल्स मिडिल स्कूल, निवाई

११८. **श्री जयनारायण खालोदिया,** (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गर्ल्स मिडिल स्कूल, निवाई में कौनसी क्लास में कितनी कितनी लड़कियां हैं ? कक्षावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इस स्कूल में किस किस योग्यता की कितनी अध्यापिकाएं काम करती हैं ? ग्रेड सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या इस स्कूल में गत कई महीनों से श्रीमती आशादेवी नागर, प्रधानाध्यापिका का कार्य कर रहीं है ? यदि हां, तो कब से ?

(४) श्रीमती आशादेवी नागर की योग्यता क्या है ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(५) क्या यह सच है कि श्रीमती आशादेवी प्रधानाध्यापिका की योग्यता पूर्ण नहीं है और बार बार विभाग का ध्यान आकर्षित करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ?

उत्तर

(१) राजकीय कन्या माध्यमिक शाला, निवाई में कक्षावार छात्रा संख्या निम्न प्रकार हैं :—

कक्षा	छात्राएं
१	३१
२	१८
३	१३
४	२६
५	१५
६	१६
७	१२
८	७
टोटल	१३८

(२) उक्त शाला में वर्तमान में ८ अध्यापिकायें कार्य कर रही हैं। जिनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :—

क. संख्या	नाम अध्यापक	योग्यता	ग्रेड
१)	श्रीमती आशादेवी नागर	प्रवेशिका	७५-१६०
२)	,, विद्यादेवी नागर	प्रवेशिका	,,
३)	,, फूलादेवी शर्मा	पोंटीसी	,,
४)	,, प्रेमदेवी वर्मा	प्रवेशिका	,,
५)	,, सीतादेवी शर्मा	मैट्रिक	,,
६)	,, कान्ति जैन	,,	,,
७)	,, कस्तूरी सालोदिया	बी० ए०	,,
८)	,, सोहन सालोदिया	बी. ए.	,,

(३) श्रीमती आशादेवी नागर इस शाला में गत २८-८-६३ से कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्य कर रही हैं।

(४) श्रीमती आशादेवी नागर प्रवेशिका पास हैं।

(५) हां, यह सच है कि श्रीमती आशा-देवी नागर की योग्यता प्रधानाध्यापिका के पद के लिए अयोग्य हैं। दिनांक २८-८-६३ से यह कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्य कर रही हैं। इस पद पर श्रीमती सावित्रीदेवी शर्मा (एल० एस० ई० ओ०) की नियुक्ति की गयी परन्तु उसने उस जगह पर हाजीरी नहीं दी। तब कस्तूरी सालोदिया, बी० ए० को अस्थाई तौर नियुक्ति के २९-२-६४ को हुक्म कर दिये गये हैं।

वेतन का भुगतान—शिक्षा विभाग, जयपुर डिवीजन

११९. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर डिवीजन में कितने व कौन अध्यापक या अध्यापिकाएं कार्यालयों के लेखक अथवा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जिनसे नियुक्ति के स्थान से अन्यत्र काम लिया जाता है और वेतन का भुगतान नियुक्ति के स्थान से कराया जाता है ? कृपया सूची

(श्री भैरोंसिंह)

मय स्थान समय के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) यह कार्यवाही किसकी आज्ञा से होती है और क्यों ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह कार्यवाही उपशिक्षा अध्यक्ष स्थानीय निरीक्षकों की आज्ञा से होती है। निरीक्षकों व उपाध्यक्ष के कार्यालय में किसी विशेष कार्य जैसा एरियर क्लेम्स, फिक्सेशन आदि के लिए लगा दिये जाते थे। शिक्षा अध्यक्ष को अक्टूबर, ६३ में इस प्रकार के आदेश दिये गये हैं कि अध्यापकों को शिक्षा कार्यालय में न लगाया जाय। जहां तक एक एक अध्यापक का नियुक्ति स्थान से अन्य स्थान पर डेपूटेशन का प्रश्न है वह उचित ही है क्योंकि वजट में माध्यमिक व प्राथमिक शालाओं के लिए कुल अध्यापकों की संख्या ही होती है और स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटती बढ़ती रहती है इसलिए जहां छात्र संख्या कम होती है अध्यापक को डैपूट कर दिया जाता है ताकि अध्यापक का उपयोग हो सके और छात्रों को पढ़ाई में भी नुकसान न हो। यह कार्यवाही छात्रों के व सरकार के हित में ही की जाती है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जोधपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रथम परिनियम की प्रति सदन की मेज पर रखना

श्री निरन्जनाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १६६२ की धारा २२ के अन्तर्गत जोधपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित परिनियम की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्रीमान्, एक मोशन था बजट के लीकेज के सम्बन्ध में।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of Order, Sir. अभी आपने जोधपुर युनिवर्सिटी एक्ट की धारा २२ के अन्तर्गत बने हुए स्टेट्यूटस हाउस की टेबिल पर रखने का प्रपज़ल किया है। मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हाउस के प्रिविलेज के ब्रीच का एक मोशन ऑलरेडी आपके सामने पेंडिंग है, और आपके द्वारा इस तरह से हाउस की टेबिल पर इन स्टेच्यूट्स को रख देने से यह संभव है कि उस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मोशन को शायद इन्फ्रक्चुअस करार दे दिया जाय। मेरा निवेदन यह है कि इस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पर आपके फाइंडिंग और आदेश पहले प्राप्त होने चाहिए और इसके बाद में उनको इजाजत देनी चाहिए कि हाउस की टेबिल पर वे स्टेच्यूट रखे जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल:—(जौहरी बाजार, जयपुर) स्टेच्यूट को टाइम पर नही रखा, इसलिए वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो हो गया। यह ऑफेन्स हो गया तो होगया। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किसी तरह से कन्डोन नहीं हो सकता है। हाउस ब्रीच आफ

सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रिविलेज पर एक्शन ले सकती हैं। वे उससे क्षमा-याचना कर सकते हैं। वह अलग चीज है वह उनके रखने से प्रभावित नहीं होता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपकी तरफ से आब्जेक्शन चाहता हूं जो कि सतीशचन्द्रजी ने अभी किया है।

श्री अध्यक्ष:—माननीय सदस्य श्री मानिकचन्द सुराणा ने यह आपत्ति की है कि उन स्टेच्यूट्स को सदन के समक्ष रखने की इजाजत नहीं दी जाय, क्योंकि इसी संबंध में उन्होंने एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दिया है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के नोटिस में इस बात का उल्लेख है कि इन स्टेच्यूट्स को सदन की मेज पर बहुत पहले रखा जाना चाहिए था। चूंकि नहीं रखा गया, इसलिए सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कानून में और इसके सिलसिले में जो व्यवस्था है उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि देरी से रखना एक अनुचित चीज अवश्य है, लेकिन उसके कोई विशेषाधिकार का हनन हो तो ऐसी स्थिति नहीं पाई जाती है। इसलिए अगर माननीय सदस्य अभी व्यवस्था चाहते हैं तो वह यह है कि विशेषाधिकार का प्रश्न अस्वीकार कर दिया गया है, और जो मंत्रीमहोदय ने रखा है उनको रखने की अनुमति दी गई है।

लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि यह बहुत ही अनुचित बात है कि सदन द्वारा पारित किसी कानून के अन्तर्गत स्टेट्यूट या जो भी प्रावधान सरकार को करना है या सदन की मेज पर रखना है उसमें इतनी देरी होती है तो निश्चित यह एक अनुचित बात है, और मैं समझता हूं कि सरकार आयन्दा ध्यान रखेगी विशेष तौर से, इस विभाग के मंत्री महोदय, कि इतनी देरी या और कोई भी देरी भविष्य में न हो, और जो भी सदन का अधिकार है, हक है किसी भी बात की जानकारी पाने का या सदन की मेज पर किसी स्टेच्यूट इत्यादि के रखे जाने का वे जल्दी से जल्दी सदन की मेज पर आजायं ताकि जो कानून की मन्शा है, उसकी सीमा है उसका किसी प्रकार का उल्लंघन न हो।

अब चूंकि विशेषाधिकार का प्रश्न है वह अस्वीकार कर दिया है इसलिए जो आपत्ति माननीय सदस्य ने रखी है वह भी अस्वीकार की जाती है, और जो बात मैंने कही उसके लिए भविष्य में सरकार सचेत रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनको सदन की मेज पर रखने की आज्ञा प्रदान की गई थी, और अब वे सदन की मेज पर रखे गये हैं जिनको माननीय सदस्य देख सकते हैं। इसलिए यह आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(द्वितीय संग्रप)

अनुपूरक अनुदानों की मांगों, पर मतदान विषयक व्यवस्था

श्री अध्यक्ष:—माननीय सदस्यों को विदित है कि मांगें काफी हैं और उन पर कटौती—प्रस्ताव भी काफी आये हैं एक बजे तक अनुदानों की मांगों पर बहस होकर वे स्वीकृत होंगी और उसके पश्चात् एप्रोप्रियेशन बिल प्रस्तुत कियां जायगा और उस पर विचार करके उसको पारित किया जायगा। समय को

(श्री अध्यक्ष)

ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य जो अपने कटौती-प्रस्ताव हैं उन पर कृपया बहुत सी संक्षेप में बोलें ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इस बहस में भाग ले सकें।

सबसे पहले मांग संख्या ४६ ली जायगी।

(१.७२ म. पू.)
अनुपूरक अनुदानों की मांगे-संख्या ४६

राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के संबंध में ३१ मार्च, १९६४, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १, ३९, २३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[मांग संख्या ४६ पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुएः

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):-

1. Demand No. 49., Major Head P-Loans and Advances by the State and Union Territory Governments be reduced by Rupee one (to discuss inadequate arrangements for giving advances where there are scarcity conditions)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

२ मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार की विभिन्न Housing Schemes के अन्तर्गत कर्जा देने की प्रणाली पर बहस करने हेतु)।

३. मांग संख्या ४६, शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती की जाय (स्वर्णकारों के प्रति सरकार के दुर्लदयपूर्ण व्यवहार पर बहस करने हेतु)।

४. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती की जाए (कमी वाले क्षेत्रों में विशेष तकावी वितरण की पर्याप्त व्यवस्था करने में सरकार की असमर्थता पर बहस करने हेतु)।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) :

५. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती की जाए (कृषकों को समय पर खरीफ के बीज के लिये कर्जे नहीं मिलने पर बहस करने हेतु)।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) :

६. मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती की जाए

श्री मुरलीधर व्यास)

(बेकार स्वर्णकारों को तकावी वितरण की प्रणाली पर बहस करने हेतु) ।

७. मांग संख्या ४९, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती की जाय (आईटम (९) में मदिरा प्रदाय हेतु ऋण पर बहस करने हेतु) ।

८. मांग संख्या ४९, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती की जाय (क्रय विक्रय संघ द्वारा वितरण का समुचित प्रबन्ध न होने की व हिसाब न रखनेकी स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

९. मांग संख्या ४९, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीयदल सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु. की कटौती की जाए (अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य की स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) :
१०. मांग संख्या ४९, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती की जाए (अकाल सहायता के निमित उपलब्ध सहायता का पूर्ण उपयोग न होने के कारणों पर बहस करने हेतु) ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

११. मांग संख्या ४९, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती की जाए (ऋण वसूली में पक्षपात तथा ढिलाई पर बहस करने हेतु) ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :
१२. मांग संख्या ४९, मुख्य शीर्षक था-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती की जाय (स्वर्णकारों को दी जाने वाली तकावी पर अभी तक व्यवस्था ठीक नहीं हुई पर बहस करने हेतु) ।

श्री मानसिंह मद्दार (आमेर) :

13. Demand No. XLIX, Major Head P-Loans and Advances by the State Union Territory Governments be reduced by rupee one (to discuss the failure of the Government in checking the misuse of the amount of loans under item (12) by panchayat Samitis.)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष, महोदय, मैंने एक कटौती प्रस्ताव पंचायत समितियों के चुनावों के सिलसिले में प्रस्तुत किया है । मैं इसके महत्व पर इसलिए जोर देना चाहता हूं कि आज जो अधिनायकवाद ....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : on a point of order, sir, his cut motion is on Demand No 49.

श्रीमुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अभी जो डिमाण्ड ४९ रखी गई है उस पर आपका कटमोशन नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : ४६ पर कट मोशन माननीय सदस्य का है, "to discuss irregularities in conducting elections of Panchayats."

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दो दफा बोलने का चान्स नहीं मिलेगा, इसलिये जिस को मैं ज्यादा महत्व का समझता हूं उस पर ज्यादा समय लगाऊंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि डिमाण्ड ४६ ली जाय लेकिन वे सारों को रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : केवल ४६ ही ली जा रही है और उस पर ही माननीय सदस्य बोलेंगे। जो मांग प्रस्तुत की गई है केवल उस पर जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्य का है उस पर बोलेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करता हूं कि उसका महत्व आज और अधिक बढ़ गया है और इसलिए भी बढ़ गया है कि आज जो हालत हो रही है कि उधर पाकिस्तान यह कर रहा है, और हमारी जो पंचायत समितियां हैं उनका जो उद्देश्य था उसका महत्व यह था कि ये जो हमारी जड़ें मजबूत करेंगी हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें आज कुछ पार्टियें हैं जो इसी के जरिये, राजस्थान के जरिये, जो अधिनायकवाद में विश्वास करती हैं उन पार्टियों का बढ़ावा हो रहा है। बढ़ावा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी सांठ-गांठ पाकिस्तान के साथ है। मैं साफ कहूंगा कि स्वतन्त्र पार्टी का·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पाकिस्तान और स्वतन्त्र पार्टी की तरफ न जावें, कटौती प्रस्ताव है उसी पर बोलें। यह भाषण नहीं है सामान्य तौर पर·······

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने चुनाव की बात रखी है। आज चुनाव टल रहे हैं। टल ही नहीं रहे हैं अजमेर के बारे में मैं स्पष्ट बात कहना चाहता हूं। पहले भी ८६ पंचायतों के चुनाव वहां नहीं कराये गये। उन्होंने पहले एक साल की मियाद बढ़ाई थ उसको बाद में ३ साल बढ़ाया और उसके बाद आज फिर २ साल की बढ़ाई जा रही है। पहले पंचायत मन्त्री थे सम्माननीय हरिभाऊजी, उस वक्त अजमेर की ८६ पंचायतों को जो है, पहले जो चुनाव अजमेर के वक्त हुए थे, उनको आगे बढ़ा दिया था, आज उसके बाद फिर २ साल का प्रोविज़न करके बढ़ाया जा रहा है। मैं यह भी कहूं कि इन पंचायतों को इतना महत्व दिया जाता है जिनके लिए कहा जाता है राजस्थान में पहले ही से इसमें कानून ले आते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह का हाल इन चुनावों के साथ और पंचों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उसमें इस कटौती प्रस्ताव के जरिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार को बताना चाहता हूं कि व्यवहार में किस तरह से चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह से उसमें इरेंगुलेरिटीज करने की तैयारियां की जा रही हैं और उसको कितना महत्व दिया जा रहा है। अभी पंचायत के मिनिस्टर साहब यहां मौजूद नहीं हैं, आज आप उनकी योग्यता को समझ सकते हैं। इसको ऊंचा उठाने के लिए अभी अभी यह डिपार्टमेन्ट उनको दिया गया है भीखाभाई को मैं उनकी दाद देता हूं। उनके सुदृढ हाथों में

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

यह विभाग आया है और वह इसके ऊपर किस तरह का व्यवहार करेंगे, इस पंचायत डिपार्टमेन्ट की क्या हालत होगी और इस पर कितना असर पड़ने वाला है, यह सब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

आज मैं कह सकता हूं कि इस सदन के सम्माननीय सदस्यों के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी है, मिनिस्टरों के लिए कोई ट्रेनिंग या क्वालिफिकेशन प्रेस्काइब्ड नहीं है लेकिन, इनके खुद हाथों में पंचायतों के लिए यह किया जारहा है कि पंचों को पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है, पंचायत ट्रेनिंग के लिए कालेज स्टार्ट कर दिये हैं। इनकी लीडरशिप में, ट्रेड करने वालों की लीडरशिप में उनकी ट्रेनिंग होगी लेकिन इन ट्रेनिंग देने वालों को खुद को किसी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, चाहे जैसा आदमी मिनिस्टर बन जावे पर उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है................

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कौनसा मिनिस्टर लगा आपको जिसे ट्रेनिंग की जरूरत है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन बगैर ट्रेनिंग पाये हुए लोग ट्रेनिंग देते है पंचों को। ये पंच लोग कहते हैं कि हम पर तो रहम करो, हम खुद मिनिस्टरों को पढ़ा सकते हैं, हमको क्यों परेशान करते हो। लेकिन उनको यहां बुलाया जाता है, यह शर्म की बात है। इसके लिए एक तो प्रिवेन्टिव ढंग होता है ट्रेनिंग नहीं लेवें तो भी पेनल्टी नहीं देनी होती है लेकिन यदि सरकार किसी के साथ नाराज हो जाय और वह ट्रेनिंग नहीं ले तो उसको अपने पद से अलग हटा दिया जा सकता है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विषय पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं उसका ताल्लुक इस मांग से कुछ भी नहीं है। इलेक्शन से इस मांग का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्रीज्वालाप्रसाद शर्मा : आप समझने की कोशिश करिए।

श्री अध्यक्ष : आप भी समझने की कोशिश करिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ताल्लुक हो जायेगा; आपसे सम्बन्ध है या नहीं, आपको सारी जानकारी करनी चाहिए। वित्त मन्त्री को सभी मन्त्रियों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। रुपये, आने, पाई, जेब में रखने की बात से आपका ताल्लुक है, लेकिन वह बात यहां नहीं है। सवाल यह है कि आप खर्चा करते हैं.......

श्री बालकृष्ण कौल : मेरा निवेदन यह है कि इस मांग से पंचायत इलेक्शन्स का ताल्लुक नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ताल्लुक यह है कि अजमेर का मिनिस्टीरियल ग्रुप ऐसे आदमियों को इलेक्शन में नहीं जाने देना चाहती। सरकार उनका उपयोग उनको अपने पदों से हटाकर करती है। जब इलेक्शन आता है वे ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो उनको चुनने का मौका नहीं देते। मैं आपसे पूछना

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

चाहता हूं कि आप ट्रेन्ड हैं क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसके माने यह हैं कि इर्रिगेशन के लिए रुपये नहीं दिये जावें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप उन पर चार्ज लगाते हैं, चुनाव नहीं होने दिया।

श्री अध्यक्ष : यहां इलेक्शन ऑफ पंचायत की चर्चा थी, इर्रिगेशन के बारे में आप क्या कह रहे थे ?

श्री बालकृष्ण कौल : यदि डिमान्ड को आप देखें तो इसका इलेक्शन से सम्बन्ध नहीं है। पंचायतों को माइनर इर्रिगेशन के लिए जो रुपया देते हैं........

श्री अध्यक्ष : No. आप पढ़कर बताइये कौनसा है ?

श्री बालकृष्ण कौल : ये ये चीजें रिप्रेजेन्ट करती हैं :

(i) Purchase of Kharif seeds, (ii) Loans to Panchayat Samitis under minor irrigation works, (iii) Pilot Projects......

अगला पायलेट प्रोजेक्ट, चौथा है फाइनेन्स, पांचवा है स्कॉलरशिप, फिर है कमानी ब्रदर्स, फिर है राजस्थान क्रय विक्रय संघ, फिर है स्वर्णकार, फिर है रूरल हाउसिंग, लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग से ताल्लुक रखता है। फिर पंचायत कहां आ गई ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अध्यक्ष महोदय, इस बात की तरफ इशारा कर रहा था, ये सब उनके काम की बातें हैं, यह बात कह रहा था इससे रुक नहीं सकता, जनता को मालूम है, आप रोकना चाहें तो मैं अभी रुकता हूं, अभी बतलाना चाहता हूं, दा साहब जानते है। हटूंडी के सरपंच अमीर को, बीमार था इसलिये हटाया गया, यह आप जानते हैं कि उसको क्यों हटाया गया ? क्या चीज है उसको अखबार वाले जानते हैं, मैंने पुट-अप कर दिया था। कानून का सवाल बीच में लाने से बात चलनेवाली नहीं है। मैं रोशनी में लाता हूं। पंचायत चुनावों को टालना बहुत गलत है। अभी टाइम है। आप पूरी तरह से प्रचार करिये जनता को भुलावे में रखने की बात नहीं है। आप ईमानदारी से काम करिये और यह बता दीजिये कि इस बोर्डर में अधिनायकवाद घुसने की कोशिश कर रहा है जिसको रोकना जरूरी है। जनता जाने कि स्वतंत्र पार्टी की पॉलिसी पाकिस्तान से मेल-जोल करने की है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मांग नं० ४६ के संबन्ध में मैंने ३ कट मोशन्स मूव किये हैं। पहला है सरकार की हाउसिंग स्कीम के बारे में, दूसरा है स्वर्णकारों के प्रति सरकार का दुर्लक्ष्य-पूर्ण व्यवहार........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir मैं पोइन्ट आउट करना चाहता हूं कि सभी मांगें एक दम रख दें क्या ? इसलिये मैं रुक गया क्योंकि

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आपकी तरफ से संकेत नहीं मिला। यह कयास है....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : That was not the demand under discussion. We are now discussing the Demand No. 49 only.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह पहले फैसला हो गया जितनी डिमान्ड्स हैं उन पर बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ३५ भी मूव कर दीजिये, ताकि साथ में बोल लें। इसमें इलेक्शन भी आ जायगा, कुछ कटौती प्रस्ताव उस पर हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हौच-पौच हो जायगा। उसका कौन उत्तर देगा।

श्री अध्यक्ष : इतना टाइम नहीं है कि सभी को अलग अलग लें। हमेशा से एक साथ लेने की प्रेक्टिस रही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सबको एक साथ लेने से तो जनरल डिबेट हो जायगी। एक डिमान्ड होनी चाहिये, उस पर स्पेसिफिक बात कह सकें।

श्री अध्यक्ष : ३५ और ले लीजिये।

मांग संख्या ४६ व ३५

राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम एवं विविध

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१- विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २२ लाख १६ हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री रामानन्द अग्रवाल। माननीय सदस्य के कटौती प्रस्ताव भी हैं इस पर।

मांग संख्या ३५ पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नजीराबाद) :

[1. Demand No. XXXV Major Head 71-Miscellaneous be reduced by Rupee one (to duscuss irregularities in conducting General Elections of Panchayats).

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

२. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१ विविध में एक रुपये की कटौती की जाय (पंचायतों के चुनावों पर खर्चे में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :

३. मांग संख्या ३५, मुख्यशीर्षक ७१—विविध में एक रुपये की कटौती की जाय (नगरपालिका को जो ऋण दिया जाता है

(श्री जोधसिंह चौहान)

उसका सही उपयोग नहीं होने पर बहस करने हेतु) ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ४. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१- विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायतों के चुनावों पर अनुचित ढंग से खर्च की गई रकम पर बहस करने हेतु) ।

५. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१- विविध में १) रु० की कटौती की जाय (आइटम (१) की सरकारी रकम की वसूली में असफलता पर बहस करने हेतु) ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : ६. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१- विविध में एक रुपये की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं को सहायता दिये जाने में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु) ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : ७. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१- विविध में १) रु० की कटौती की जाय (आइटम (१) की सरकारी रकम की वसूली में असफलता पर बहस करने हेतु) ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थाना गाजी) : ८. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१— विविध में एक रुपये की कटौती की जाय (ऑर्डनेन्स फैक्ट्री अलवर को दी गई राशि पर बहस करने हेतु) ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : ९. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१— विविध में एक रुपये की कटौती की जाय (मंडी समिति से प्राप्त राशि में से नगर-पालिका कोटा को दी जानेवाली सहायता पर बहस करने हेतु) ।]

श्री अध्यक्ष : ३५ और ४९ ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने तीनों कटौती प्रस्ताव फोर्मल तौर से मूव करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की हाउसिंग के सम्बन्ध में जो नीति है वह नीति इस आधार पर नहीं है कि समाज के उन तबकों को जो वास्तव में मकान बनाने में अपनी आर्थिक स्थिति के कारण असमर्थ हैं उन क्षेत्रों में जिनमें वास्तव में मकानों की बहुत भारी कमी है,प्राथमिकता दी जाय । बजाय इसके सरकार की नीति अधिक से अधिक उन लोगों को मदद देने की है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, जो किसी न किसी रूप में अपने मकान स्वयं बना सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, इस रूप में आप देखेंगे कि सरकार ने जो अपनी नीति बनाई हुई है मकानों के बारे में उसमें कुछ कर्जा वह मिडल इन्कम ग्रुप वालों को देती है जिन लोगों की आमदनी छः हजार रुपये से लेकर १२ हजार रुपये सालाना है, उन लोगों को मदद देती है । दूसरी कैटेगरी में लो-इन्कम ग्रुप वालों को मदद हाउसिंग के लिए देते हैं, इसमें जिन लोगों की आमदनी छः हजार रुपये सालाना से कम है उन लोगों को मदद देते हैं । और फिर रूरल हाउसिंग स्कीम के तहत भी कुछ पैसा खर्च करते हैं, जिन देहातों में मकानों की अधिक से अधिक कमी है, जहां की आमदनी, पर-केपिटा इन्कम बहुत कम है शहरों की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

निस्बत–उनको हमारी सरकार की इन नीतियों के कारण जो एलोकेशन होता है इन फंड्स में वह बहुत ही कम है या बिल्कुल ही नहीं मिलता है। आमदनी के आधार पर तो लो इन्कम ग्रुप की मद में से देहातों को मिलता ही नहीं है, यहां तक कि टाउन्स को भी नहीं मिलता है। लो इन्कम ग्रुप स्कीम केवल जिला हेड क्वार्टर तक लागू की गई है। इसके अलावा और टाउन्स उसके अन्दर कवर नहीं किये जाते, उसकी कोई वजह नजर नहीं आती। क्या वजह है कि केवल जिला हेड क्वार्टर्स तक ही इस स्कीम को लागू किया जाय जब कि लो इन्कम ग्रुप वाले लोग ज्यादा और दूसरी जगहों के अन्दर भी मिल सकते हैं? मैं निवेदन करूं कि जो मात्रा अभी खर्च की है सरकार ने इसमें अगर उसके आंकड़ों को देखें तो १९६०–६१ में जहां लो इन्कम ग्रुप के ऊपर सरकार ने ३५ लाख ७१ हजार रुपये खर्च किये वहां मिडल इन्कम ग्रुप के ऊपर ५७ लाख ६३ हजार खर्च किये हैं। अध्यक्ष महोदय, २२ लाख रुपया मिडल इन्कम ग्रुप वालों को राजस्थान में ज्यादा दिया है मदद के तौर पर बनिस्वत लो इन्कम ग्रुप वालों के। १९६१-६२ में लो इन्कम ग्रुप वालों पर २६ लाख ६७ हजार रुपये खर्च किये हैं जब कि मिडल इन्कम ग्रुप वालों पर ३६ लाख ६७ हजार के करीब। इस प्रकार करीब १० लाख रुपये ज्यादा सरकार ने दिये हैं। यह तो जो सरकार की पूंजीवादी नीति है उसके अनुकूल थी लेकिन हमें, कहने और इस बात को पोइन्ट आउट करने की इसलिए आवश्यकता पड़ी····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं जिससे इस आर्गुमेंट को एडवान्स करने में सहूलियत हो। मिडल इन्कम ग्रुप के लिए पैसा दिया जाता है वह आउट साइड सीलिंग है वह एल.आई.सी. की तरफ से एडवान्स किया जाता है, जो सेविंग होती है उसमें से हर साल इसमें हमें लो इन्कम ग्रुप के लिए प्रोवाइड करना चाहिए That is far the State plan और उसमें जितने रिलीसेज हैं within that limit we can limit. it. इसलिए लो इन्कम ग्रुप और मिडल इन्कम ग्रुप को प्रायोरिटी देने का प्रश्न गवर्नमेंट के जरिये नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हां, यह बात तो मैं खूब समझता हूं कि पूंजीपतियों के अर्थ शास्त्री और उनके नैतिक समर्थक कोई न कोई दलील चाहे टेक्नीकल अकाउन्ट्स की हो चाहे किसी प्रकार की हो--जरूर निकाल लेंगे। लेकिन देहातों की जनता, आम जनता आपकी इस दलील से सहमत नहीं हो सकती। मुझे खुद ताज्जुब है इस बात का, अलवर जिले में पिछली साल से हाउसिंग के लिए लोन डिस्बर्समेंट की कमेटी का एम. एल. ए. होने के नाते मैं भी मेम्बर हूं। पिछली साल जब कर्ज बांटने लगे तो लो इन्कम ग्रुप वालों के लिए केवल २३ हजार रुपया था और मिडिल इन्कम ग्रुप के लिए हमारे पास ७० हजार रुपया था। लो इन्कम ग्रुप वालों को हम तीन तीन हजार से अधिक नहीं दे सके और केवल सात आदमियों को दिया जब कि मिडल इन्कम ग्रुप वालों को सात आदमियों को दस दस हजार रुपये दिये। बाहर सैंकड़ों आदमी खड़े थे। उन्होंने कहा, कॉमरेड, आपको कम्युनिस्ट पार्टी से भेजा, आप भी सेठों और बड़े बड़े

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लोगों को दस दस हजार रुपये देते हो। ये लोग खड़े हैं बेचारे, इनको तीन हजार से ज्यादा नहीं देते। इसलिए आपकी इस दलील, कि आपके प्लान के यह बाहर है और यह स्टेट रिसोंसेज़ के अन्दर हैं, के पीछे कोई नैतिक आधार नहीं है। इसके पीछे कोई इकोनोमिक आधार नहीं है। आप उनको भी रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट और इन्स्टालमेंट के बेसिस पर देते हैं और इनको भी इन्स्टालमेंट और रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट के बेसिस पर देते हैं। आप उस तमाम मनी को, जो मिडिल इन्कम ग्रुप में देते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। फिर कौनसा आधार है कि आप तहसील हैड क्वार्टर, कस्बों के लो इन्कम ग्रुप वालों को न दें और देहातों में व्यवस्था न करें, जो देहातों में बसते हैं इस किस्म के लोगों को न दें। इसके पीछे क्या दलील है सिवाय इस के कि शहरों में रहने वाले लोगों को आपकी शक्ति, कोंसस और पॉलिटिकल तमाम बातों की जानकारी है और वे आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। आपके नेताओं को हराने के लिए, डिफीट करने के लिए आपके सामने समस्या पैदा कर सकते हैं। तो उनके सामने आपने टुकड़ा डाला है और टुकड़ा डालकर आप उनकी जुबान बन्द करना चाहते हैं और करोड़ों जनता, जो देहात में ८४ प्रतिशत जनता बसती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं रखते। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह रूरल हाउसिंग के बारे में सरकार की नीति बिल्कुल शोचनीय है। तो मैं समझता हूं, इन बातों को देखते हुए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, अपनी नीति परिवर्तन करना चाहिए। फिर इस स्कीम के तहत जो एलोकेशन ऑफ फंड्स होता है, जो डिस्बर्समेंट किया जाता है डिस्ट्रिक्टवाइज़, अगर हम उस पर दृष्टिपात करें तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना पड़ता है कि पर-कैपिटा के हिसाब से उसमें भी गवर्नमेंट की जनरली रीज़नल पॉलिसी है, जनरली फेवरिटिज़्म करने की बात है और वह तबकों और तत्वों के हिसाब से चलती है, क्षेत्रों के हिसाब से चलती है-- यह सब इसमें देखने को मिला है। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन आपके कई जिलों के आंकड़ों के आधार पर देखा जाय और पिछले इन सालों का जोड़ा जाय तो इसमें बहुत बड़ा फर्क इस आधार पर मिलेगा।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि स्वर्णकारों के सम्बन्ध में इसमें सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड में एक लाख रुपयों की मांग की गई है। सरकार ने स्वर्णकारों की समस्या को हल करने के लिए इस सदन में कुछ आश्वासन भी दिये थे और इसके लिए कमेटी मुकर्रर की थी और यह कहा था कि जिन लोगों पर गोल्ड कन्ट्रोल रूल्स की वजह से इफेक्ट पड़ा है उनको राहत दी जावेगी। मैं कहूंगा कि गोल्ड कन्ट्रोल रूल्स की वजह से लाखों लोग बेकार हुए हैं—उनको राहत देने की जिम्मेदारी सरकार ने अपनी महसूस की थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सरकार के वे रूल्स केवल फाइलों में फाइलों तक ही महदूद रह गये। जहां तक मेरे जिले का ताल्लुक है मैं कह सकता हूं कि स्वर्णकारों को कोई मदद नहीं मिली। किसी को भी वहां जमीन का अलॉटमेन्ट नहीं हुआ। वे लोग कलेक्टर के पास आते जाते रहे, चक्कर लगाते रहे, मगर उनको कोई राहत नहीं मिली। यह

Page No. 56

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

केअरलैस एटीट्यूड उनका आपके मुहम्मद तुगलकशाही फरमान की वजह से रहा। आप ऑर्डर जारी करके ऐसी समस्या पैदा करते हैं। यदि आप उनकी समस्या को हल नहीं करेंगे तो पब्लिक मजबूर होकर दूसरी समस्या पैदा करेगी और फिर आप लॉ एण्ड ऑर्डर का प्रश्न उठाकर, शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न उठाकर, जनता को दबाने की और दमन करने की कोशिश करेंगे और उसका भयंकर परिणाम होता है उसको सरकार को खुद को समझना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि सरकार की नीति स्वर्णकारों के सम्बन्ध में बिल्कुल केअरलैसनेस की रही हैं, उनको कोई मदद नहीं दी जा रही है और मैंने कम से कम अपने जिले की बात आपके सामने रखी है।

दूसरी बात, एक स्केयर्सिटी एरिया है, उसके लिए सरकार ने ५० लाख रुपया देने का प्रावधान किया है। परन्तु अफसोस की बात है कि इस साल जो बड़े पैमाने पर हमारे राज्य में अकाल की स्थिति पैदा हुई है उस सम्बन्ध में फिर सरकार क्या कर रही है ? वह तो मैं दूसरी डिमान्ड पर, दुर्भिक्ष की स्थिति पर कहूंगा। उस समय बताऊंगा, लेकिन इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि आज इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं--उन क्षेत्रों में जहां खरीफ की फसल पैदा होती थी और वह खराब होने के कारण दुर्भिक्ष की हालत वहां पैदा हो गई और उन क्षेत्रों में जहां शीत लहर के कारण फसलें बरबाद हुईं और खास तौर पर जहां रबी की फसल पैदा होती थी उन क्षेत्रों के बारे में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हालत इस तरह की हो गई कि रबी और खरीफ की फसलें बरबाद होने से किसानों को जो अपने बोहरों से क्रेडिट लेते हैं वह भी नहीं मिला। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से, आप जानते हैं कि लोन उनको मिल नहीं सकता। ज्यादातर उनको मनी लैन्डर्स से और इधर-उधर अन्य व्यक्तियों से लोन लेना पड़ता है। लेकिन जब फसल बरबाद हो जाती है तो बौहरे भी उनको उधार देने से इन्कार कर देते हैं। तो राजस्थान के किसानों से एक तरफ तो, हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के शब्दों में भगवान् रूठ गया और दूसरी ओर हमारी सरकार भी उनसे रूठी हुई है। सरकार इस प्रोसीजर के भूत के बीच में से निकलने के लिए कहती है कि कलेक्टर दौरा करेंगे, एस० डी० ओ० की मीटिंग करेंगे डिक्रीज़ को असेस करेंगे और फिर रिपोर्ट भेजेंगे और फिर यह अन्दाजा लगा कर सरकार यह निर्णय करेगी कि आया सस्पेन्शन दिया जाय या रेमीशन दिया जाय या क्या रिलीफ दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह प्रोसीजर है सरकार का। वह लोगों को वक्त पर राहत नहीं दे सकती। लोगों को वक्त पर राहत मिलनी चाहिए वह सरकार नहीं पहुंचा रही है।

मैं अपने अलवर जिले की बात बताता हूं कि इस जिले में रबी में सरसों की फसल सेन्ट परसेन्ट बरबाद हुई। चने की फसल सेन्ट-परसेन्ट बरबाद हुई और गेहूं, जौ की फसल भी बरबाद हो गई, इससे किसान घबराये हुए हैं और वे सोचते हैं कि नई फसल के बीच ८ महीने का समय है किस तरह से अगली फसल तक वे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। यह

Page No. 57

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कठिन समस्या उनके सामने है। मैंने बहुत से सदस्यों के साथ दौरा किया। किसानों की ऐसी समस्या हो गई कि खाने का कैसे प्रबन्ध करें। सरकार की तरफ से तकावी का इन्तजाम नहीं, बोहरे उनको देने को तैयार नहीं। आज यह समस्या पैदा हो गई है कि किस तरह से इस भयंकर स्थिति का मुकाबला किया जाय। चाहे अपनी सरकार ने ५० लाख का अनुदान रखा है मगर उनकी समस्या का कोई भी हल मुझे नजर नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार को अकाल के सम्बन्ध में, दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में, अपनी नीति में बुनियादी परिवर्तन करना पड़ेगा। आज दुर्भिक्ष के इस साल में आपने क्या प्रोविज़न किया है। कहने को अर्थ मंत्री ने कह दिया कि २ करोड़ ३७ लाख रुपया इसके लिए प्रोवाइड किया है, लेकिन आप देखें कि इस दुर्भिक्ष से कितने लोग पीड़ित हैं। मैं यह कहूंगा कि इस दुर्भिक्ष का असर हमारे देश में ५५ लाख जनता पर होगा और शीत लहर से असर हुआ है। अलवर, सवाईमाधोपुर, कुछ क्षेत्रों में, भरतपुर पर अगर इनको भी लें तो यह संख्या और भी बढ़ जावेगी। यदि आप इन सब आंकड़ों को देखें, अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सारी की सारी मदद मिलकर परकैपिटा ४.३२ नये पैसे प्रति व्यक्ति है। ५५ लाख लोगों की आबादी पर जो इससे प्रभावित हुई है। केवल खरीफ की फसलें खराब हुई उन पर आपने २ करोड़ ३७ लाख का प्रोविजन रखा है और वह प्रति व्यक्ति ४.३२ नये पैसे आता है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या सरकार और यह सदन समझते हैं कि वह जनता जो दुर्भिक्ष से पीड़ित है, जहां अनाज पैदा हुआ नहीं उनको अगली फसल पकड़ने के लिए राहत चाहिए क्या वह राहत ४.३२ नये पैसे में मिल सकेगी और वे अगली फसल पकड़ सकेंगे?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में सामान्य तरीकों से भी देखा जाय तो २६ लाख लोगों की आमदनी ५०) से कम है जो पावर्टी लाइन से नीचा रहता है। मैं यह अपनी तरफ से नहीं कहता। नेशनल इन्कम जिसका एनेलेसिस श्री एस० के० साइन ने अपनी पुस्तक में किया है उसकी बुनियाद पर कहता हूं कि हमारी १७ प्रतिशत पॉप्लेशन ऐसी है जिसकी आमदनी ५०) माहवार से कम है।

श्री बालकृष्ण कौल : ये ५५ लाख के आंकड़े आपने कहां से लिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, खाद्य मन्त्रीजी ने २५ तारीख को जो भाषण दिया उसमें १७ जिलों के आंकड़े ३० लाख सदन में बताये थे।

श्री बालकृष्ण कौल : ३० लाख और ५५ लाख में बहुत फर्क है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अखबारों में उनका जिक्र आया है। सामान्य तौर पर इसको ५५ लाख का फिगर मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर इसको ३० लाख भी मानें तो यह कुल मिलाकर ८) २५ पर कैपिटा बन जावेगा। क्या ८) २५ प्रति व्यक्ति देकर आप अकाल की समस्या को हल करना चाहते हैं। इसमें १७

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रतिशत पॉपूलेशन तो वह है जिसकी सामान्य आमदनी ५०) रु० से कम है। इन लोगों को सामान्य आमदनी से भी ज्यादा मदद की जरूरत है और आप कर क्या रहे हैं? आप करना क्या चाहते हैं? आपका वही पुराना दकियानूसी कानून है, वही सामन्तशाही प्रथा, वही तरीका जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज़्म ने अपनाया था। और फैमिन के जरिये, अपनी पॉलिसी के जरिये, उन्होंने फैमिन पैदा किया और लूटा है ? देश की जनता को। अफसोस की बात है, आप उन्हीं तरीकों को अपना रहे हैं। वह सरकार जो समाजवाद का नाम लेती है वह उन तरीकों को काम में लेती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान टीनेन्सी एक्ट की धारा १२६ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी तहत किसानों को लैंड रेवेन्यू में रेमिशन या सस्पेन्शन करते हैं उसके तहत जो नियम बने हुए हैं उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं इस स्केल ऑफ रिलीफ की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा।

(१०.०० म० पू०)

This is given in Rule 29 as scale of relief.

"When the loss is less than annas 6, the relief is nil.

When the loss in the crop is less then annas six, the relief per rupee is nil.

When the loss amounts to annas 6 but not amounts to annas eight, the relief given only to the extent to annas four.

When the loss amounts to annas ten then the relief is only annas eight.

When the loss amounts to annas twelve then the complete remission is allowed.

There are further instructions that supensi‌on will ordinarily be in the case of calamity affecting the Kharif but it is only in Rabi that remissions are allowed. Then in rule 30 it is said that after three full years have passed since the amount was originally suspended, the report should be made for its remission.

तीन साल तक अगर उसी तरह की अकाल की हालत हो तो सस्पेन्शन हुआ है, उसके कम्प्लीट रेमिशन की बात करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार की आमदनियों में फर्क है उसको टैक्सेशन की पॉलिसी से बदल कर जो इन्इक्वेलिटीज़ हैं उनको खत्म करेगी। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह टेक्सेशन की पालिसी किस आधार पर बनाई है। लैंड रेवेन्यू की पालिसी, इन्कम टैक्स की पालिसी किस आधार पर बनी है, लैंड रेवेन्यू और इन्कम टैक्स किस आधार पर मुकर्रर किये हैं, इस सब की थियोरेटिकल बहस पर मैं नहीं जाता, पर सरकार इससे इन्कार नहीं करेगी कि जो लैंड रेवेन्यू मुकर्रर की है वह जो जमीन जोतता है, मेहनत करता है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उसकी इन्कम के आधार पर मुकर्रर नहीं किया है, जो वह मेहनत करता है, जो खर्चा करता है और उससे जो कुछ उसके पास बचता है, उसके आधार पर लैंड रेवेन्यू मुकर्रर नहीं किया हुआ है। और उस आधार को सरकार फेमीन के समय में भी नहीं छोड़ना चाहती, ६ आना जिसकी फसल बरबाद हो गई है उसको रिलीफ नहीं देना चाहती। २५ मन जिसकी अच्छी से अच्छी फसल हुई है उसकी कीमत लगा लीजिये, ४०० रुपया सारा उसे मिला पांच बीघा का यदि १० रुपया लगान है और उसकी ६ आना फसल बरबाद हो गई है तो उसकी आमदनी २५० रुपया ही रह गई, पर आप उसके लगान में से नहीं छोड़ना चाहते, पूरा लेना चाहते हैं, यह आपका सोशिलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाने का तरीका है? यह वही पुराना तरीका है जिस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पालिसीज़ से यहां फेमीन पैदा करके रॉ मेटिरियल का केन्द्र हमारे देश को बना कर अपनी इन्डस्ट्रीज को फीड करने के लिये अपनी पालिसीज़ के रूप में हमारे यहां पर फेमिन पैदा कर के हमारे देश की जनता को लूटा है। आज उसी तरीके से लोगों को रिलीफ न देकर इस मुसीबत में भी लोगों से लैंड रेवेन्यू वसूल कर के ब्रिटिशर्स की उसी पॉलिसी को हमारी सरकार दोहरा रही है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को अपनी बुनियादी पालिसी पर विचार करना चाहिये और यदि आप विचार नहीं करेंगे तो लोग आपको मजबूर करेंगे। कम से कम आप गांधीजी के भक्त हैं गांधीजी के चेले हैं तो कम से कम पालिसी के तौर पर इस भुखमरी में भी आपका हृदय इन गरीबों के लिए नहीं पसीजता?

तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में जो कुछ सरकार की देने की नीति है, जो प्रावधान ५० लाख के लोन्स देने का, एक करोड़ ८७ लाख रिलीफ वगैरह देने क निश्चय किया है। सरकार अपना डिफेन्स लेती है और इस बिना पर लेती है कि हमारे पास रिसोर्सेज़ कहां हैं। उस रोज खाद्य मंत्रीजी कह रहे थे कि हम अधिक से अधिक मदद देना चाहते हैं पर हमारी सीमाएं हमारे रिसोर्सेज़ पर हैं। यह सही है, पर जहां इतनी बड़ी जनता का इतना बड़ा भाग दुर्भिक्ष से पीड़ित है वहां वास्तव में आपने अपनी सीमाओं को देखा है, क्या यह जरूरत नहीं थी कि आप तमाम खर्चे बन्द कर देते, जो ऐशो-आराम के खर्चे हैं, सैर सपाटे के खर्चे हैं, क्या आप उनको बन्द नहीं कर सकते, जिन जिन जागीरदारों को बड़े बड़े मुआवजे दिये जा रहे हैं उनको इन परिस्थितियों में रोक नहीं सकते, अकाल के कारण उनको सस्पेन्ड नहीं कर सकते थे, राजाओं को जो प्रिवीपर्स दी जाती है उस पर भी इस अकाल की स्थिति में किसी तरह से विचार नहीं कर सकते थे। चाहे राज्यपाल महोदय के खर्चे के सम्बन्ध में, राज्यपाल महोदय तक को सरकार अपील कर सकती थी कि जो ५० हजार रुपये तक का भत्ते का खर्चा है, उसे कम कीजिये, उसको काट सकते थे, कम कर सकते थे। पर सरकार यह सब कुछ न कर के गरीबों के लिये वह दलील दे कि हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, यह सरकार की दलील इस डिसेरिटी को कम नहीं करेगी बल्कि और बढायेगी।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आप हमें कहते हैं कि राजाओं और अंग्रेजों के जमाने से मिलान करें। अंग्रेजों ने बंगाल में ३५ लाख लोगों को भूखों मर जाने दिया, अगर आप उनसे ही अपना मुकाबला करने के लिये हमें मजबूर करते हैं, तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन सवाल है कि अंग्रेज जनता को कोई वायदा करके नहीं आया था, जनता ने उनके कहने पर कोई कुर्बानी नहीं की, कोई इस आजादी की लड़ाई में राजा या अंग्रेज लड़ा नहीं। हिंदुस्तान की जनता, राजस्थान की जनता ने यह जो डेमोक्रेटिक शासनतंत्र की स्थापना की है एक बड़े नारों के आधार, पर बड़े स्वप्नों के आधार पर किया। आप उसको पूरा नहीं करके पुराने ढर्रे पर चलते हैं तो निश्चित तौर से वह नीति स्वीकार नहीं हो सकती। उसमें बुनियादी परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी कमी वाले क्षेत्र सरकार ने अभी घोषित किए हैं वे क्षेत्र दर असल सरकार अपने रिसोर्सेज़ की वजह से समझिए या किसी वजह से समझिए जो क्षेत्र वास्तव में अभी तक अफेक्टेड हैं उनको सरकार ने अभी तक घोषित नहीं किया। पाली जिले में आपने केवल ५४५ गांवों को घोषित किया है जबकि वहां पर पूरे जिले में ८५८ गांव हैं, वह पूरे का पूरा जिला अकालग्रस्त है तो बाकी गांवों को भी आप अकालग्रस्त घोषित करिए।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

इसी तरह से अलवर जिले में जो रबी के अन्दर कोल्ड वेव से नुकसान हुआ है, मालूम पड़ता है कि सरकार ने अभी तक उसकी पूरी इम्प्लीकेशन का अंदाजा नहीं लगाया है। अभी आप रिपोर्ट की इन्तजार में बैठे हैं। इस वक्त मदद की बड़ी जरूरत है। इस प्लान के अंदर आपने अभी भी और मदद मांगी है तो आपको इस तरीके से कोई कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। अलवर के अन्दर एक बहुत बड़ी कान्फ्रेंस ने मांग की है जिसमें सब पार्टियों के एम. एल. एज़. और एम. पीज़. थे, कि अलवर जिले को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय, जो वहां पर इस वक्त नुकसान हुआ है वह संवत् १६८५ में और इस प्रकार का दुर्भिक्ष पड़ा था उसके बराबर है। ऐसी हालत में आपको अलवर जिले को अकालग्रस्त घोषित करना चाहिए। आपने इस मद में ५० लाख रुपये रखे हैं हम आपको और देंगे। सप्लीमेंटरी डिमांड्स और ज्यादा रखिए, लेकिन लोगों को तकावियां देकर उनको इस तरह से मजबूर न करें कि वे बेचारे दर—दर भटकते फिरें। अगर वे वहां को छोड़कर ग्वालियर या नैनीताल जायेंगे तो खरीफ की कौन बोयेंगे ? इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह से सवाईमाधोपुर में तहसील है उसको भी अकालग्रस्त घोषित करना चाहिए। इस बारे में सरकार को कंजूसी का रुख नहीं अपनाना चाहिए। कंजूसी के मामले और बहुत हैं।

अंत में मैं एक और पोइंट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार लोगों की बेबसी का फायदा उठाती है और आज अपने खुद के कानून का उल्लंघन करके इन गरीब लोगों का शोषण करती है। १—२—० रु. पर डे मजदूरों की मजदूरी तय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की है। जो बेचारे गरीब लोग राहत कार्यों पर काम करने जायेंगे उनको केवल १—२—० मिलेंगे। सरकार की जो सामान्य तौर पर मजदूरी की रेट देखें तो २—२॥ रुपये से कम नहीं है। उसके परिवार का कैसे गुजारा हो सकता है। यह सरकार केवल १—२—० मुकर्रर करती है तो इसका मतलब हुआ कि आप नहरें खुदवाने, तालाब बनवाने, सड़कें बनवाने का काम सस्ती रेट में करवाना चाहते हैं और बड़े बड़े पूंजीपति चाहते हैं कि दुर्भिक्ष पड़ने पर जो गरीब सड़कों पर मरते जायेंगे उनकी लाशों को दफनाने के लिए कुछ रुपये दान में दे दें। अगर गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर सरकार उनको कम मजदूरी देती है तो यह उनका शोषण करना है। मैं समझता हूं कि सरकार इस नीति को बदलेगी। लोगों को पूरी मजदूरी देनी चाहिए। इन्हीं बातों पर मैं अपना कट मोशन मूव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित)

श्री विटठल (बांसवाड़ा) : मैं मांग संख्या ४६, पर जो मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बोलना चाहता हूं। जब कि सरकार यह नारा लगाती है कि हम किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अधिक अन्न उपजाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि १० लाख रुपया राजस्थान क्रय-विक्रय संस्था को बीज के लिए, फर्टीलाइजर्स के लिये दिया गया। यह रकम राजस्थान के १॥ लाख किसानों के लिए रखी गई है, और दूसरी तरफ चार लाख रुपये कमानी ब्रदर्स को कर्जा दिया जा रहा है। फिर सरकार कहती है कि हम गरीबों को आगे ले जा रहे हैं। इस तरह से तो सरकार पूंजीवाद पनपा रही है न कि किसानों को। अगर सरकार किसानों के पनपाने के लिए कोशिश करती तो ज्यादा से ज्यादा रकम बीज के लिए रखती।

आज राजस्थान में कई जिलों में अकाल पड़ गया है, कई जिलों में सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी बीज के लिए, खाद के लिए लेकिन सरकार ने बहुत कम रकम रखी है और यह जो रकम है उसको आपके कर्मचारी समय पर खर्च नहीं करते। जब बरसात होती है और किसान बीज बोने जाता है उस वक्त सरकार कोई बीज देने के लिए तैयार नहीं है। उस वक्त तो किसान कहीं से महंगा—सूंगा बनियों से लेकर बीज बोएगा। इसके अलावा जो बीज सरकार देती है वह किसान के उपयोग में नहीं आता। हमारे बांसवाड़ा जिले में ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि सभी जिलों में ऐसी चीज होगी। किसान को तो बरसात से एक माह पहले बीज चाहिए ताकि बीज उपयोग में आ सके।

दूसरी बात यह है कि जब बीज दिया जाता है तो जिलावाइज उपयोगी बीज मिलना चाहिए। बांसवाड़ा जिले में उपयोगी बीज मक्का है। वहीं का मक्का उपयोग में आ सकता है लेकिन सरकार न मालूम बड़े बड़े मक्का कहां से मंगाती है। गत वर्ष एक किलो के ५ रुपये लिये। मुझे नाम उस मक्का का याद नहीं है, वह शायद शंकर मक्का है। तो सरकार ऐसा क्यों करती है? बाहर से लाकर इतना महंगा बीज दे, तो किसानों को मुश्किल पड़ती है। कौनसा फायदा होगा

(श्री विट्ठल)

सरकार को किसानों से ? साहूकार से क्यों नहीं लायगा ? व्यापारियों से लाकर नहीं बोयेगा ? आपको चाहिये कि उनको आप सस्ता बीज दें। आपको ऐसा बीज देना चाहिये जो उस इलाके में अच्छी तरह से पके। लेकिन यह सरकार यह नहीं करेगी। बहुत बड़ी कीमत का बीज लायेगी और कहेगी कि इसको बोओ। इससे किसानों में बहुत बड़ा असंतोष होता है और पैदावार में भी नुक्सान होता है। इसलिए उसी जिले का बीज रख कर उनको दिया जाय, न कि दूसरे जिले का।

अब मैं बांसवाड़ा जिले के अकाल के विषय में थोड़ी सी बात कहूंगा। १३ जिले सरकार ने अकाल के विषय में घोषित किये हैं जहां या तो पानी नहीं बरसा या कुछ कम बरसा। यह बात सही है कि उन्होंने १३ जिले अकालग्रस्त घोषित किये हैं। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि १३ जिलों के सिवाय और भी जिलों में अकाल मौजूद है। यह सही है कि कुछ जिलों में पानी बरसा और सही समय पर पानी न बरसने के कारण चौमासी फसल को नुकसान जरूर हुआ। ज्यादा न कह कर बांसवाड़ा जिले में कुछ क्षेत्र ऐसा है जो पहाड़ी इलाका है और ऐसी जमीन है कि अगर बरसात हो और फिर १५ दिन पानी न बरसे तो फसल सूखने लग जावेगी। हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र में तीन महीने पानी बराबर न बरसे तो मक्का साल वगैरा सूख जाती है। इस साल बरसात हुई और एक पानी के लिए बरसात चली गई। मक्की के भुट्टे बोये हुए थे और साल निकलने लगी थी और पानी चले जाने के कारण मक्का और साल चली गयी। इसमें कोई शक नहीं कि वहां घास की कोई कमी नहीं है। तिल्ली वगैरा सब फसलें नष्ट हो गई। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार को रिपोर्ट जब बांसवाड़ा जिले से आयी होगी, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी हैं, अगर सही रूप में बांसवाड़ा से कलेक्टर या तहसीलदार आदि की रिपोर्ट होती तो मैं मानता कि सरकार वहां पर कुछ कर रही है। लेकिन बांसवाड़ा कलेक्टर ने कोई रिपोर्ट दी होगी वह गलत दी होगी और गलत देने के कारण बांसवाड़ा जिले के लिए सरकार ने कुछ देखा न होगा। पटवारियों ने गश्त गिरदावरी गलत की। कई सरपंचों ने एतराज भी किया है और कहा है कि दुबारा इसकी जांच करायी जाय कि गलत रिपोर्ट किस प्रकार लिखी है। कलेक्टर और तहसीलदार ने कार्यवाही नहीं की। किसान भूखे मरते रहे, उनको कोई परवाह नहीं। सरकार को चाहिये कि ऐसे जिलों के लिए अभी भी जांच करनी चाहिये। लगान तो डंडे के बल पर वसूल कर लिया। अगर सही जांच करा ली जाय तो लोगों के लिए महनत-मजदूरी की व्यवस्था के लिए कदम उठाना चाहिये। यदि वहां के लिए कदम नहीं उठाया गया तो वहां के गरीब आदिवासियों को बाहर जाना पड़ेगा। समय पर सरकार ने नहीं किया तो मैं कह रहा हूं वह सही स्थिति होने वाली है और होकर रहेगी। कुछ दिनों पहले मुख्य मंत्री महोदय बांसवाड़ा क्षेत्र में पधारे थे और श्री हरिदेव जोशीजी, जो घांटोल से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उनके वहां गये थे। उनको कम से कम ऐसे क्षेत्र में

(श्री विट्ठल)

जाना चाहिये, घाटोल इलाका है कुशलगढ़ का इलाका है, वहां जाना चाहिये था। वहां नहीं पधारे। आप कहां पधारे ? घांटोला तालाब का उद्घाटन किया। बांसवाड़ा क्षेत्र में खाडू गांव है वहां १०० बनिये बसते हैं। वहां मीटिंग की। शायद क्या स्थिति पूछी। बांध के लिए कहा। क्या कर रहे हैं ? बांध बना रहा है और हमारे लिये मुश्किलें हो रही हैं। तो मुख्य मंत्रीजी ने सौ बनियों के गांव के लिए तो आश्वासन दिया और कहा कि बांसवाड़ा के पास में पुलिस लाइन्स बना रही है वहां आपके लिए जमीन की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन मुख्य मंत्रीजी को बांसवाड़ा जिले में जो ६१ गांव डूबने जा रहे हैं, उस इलाके की जानकारी लेनी चाहिये थी। क्या स्थिति है ? चार साल से उन लोगों पर बड़ा दुख और दर्द पड़ा हुआ है रात को उनके बाल बच्चों को, औरतों को नींद नहीं आती है, सोचते हैं, हमारी क्या स्थिति होगी, हम कहां जावेंगे, कहां रहेंगे। हमारे लिये कहां जमीन की व्यवस्था होगी। अब तक न तो चार साल से पंचायत समिति की तरफ से सहायता मिली है और न कोई मकान के लिए व्यवस्था हो रही है। किसी भी प्रकार की तकावी चार साल से बन्द है। न नोतोड़ धरती ही उनको मिल रही है। बांध बांधना है तो पहले उनको बसाने की कोशिश करनी चाहिये। कई दफा सदन में प्रश्न भी रखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आज तक सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। आदिवासियों, गरीब लोगों के लिए कोई सुनाई नहीं। इसका कारण जरूर यही है कि वहां समाजवाद का संगठन है। वे ही लोग वहां डूबने जा रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र किसकी है ? सौ घर वाले बनियों की जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिये थे। उनको उन्होंने बसाने की कोशिश की। लेकिन ६१ गांवों के आदिवासी लोग जो वर्षों से जंगलों में रहने वाले हैं उनके लिए मुख्य मंत्रीजी को कोई फिक्र नहीं पड़ी। वह इसलिए कि वह समाजवाद का इलाका है।

(व्यवधान)

हर विषय में हमारे किसानों को, हमारे लोगों को पिछाड़ा जाता है। कई प्रकार के उन पर अत्याचार किये जाते हैं और किये गये हैं। वह इस समय नहीं कहूंगा। हरिदेवजी जोशी की वजह से, तहसीलदार और कलेक्टर को कह कर, विकास अधिकारी को कह कर, हमारे किसानों के, हमारे सरपंचों के साथ क्या क्या षडयन्त्र होते हैं, वह मैं अभी नहीं कहना चाहता। लोग बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बहुत परेशान पीपलकोट पंचायत समिति आदिवासी क्षेत्र है। वहां आदिवासी क्षेत्र में हरिदेव जोशीजी को वोट नहीं मिले। वहां एक इंच भूमि भी काश्तकारों को एलॉट नहीं हुई और जिन क्षेत्रों से जोशीजी को वोट मिले वहां लोगों को भूमि का एलॉटमेन्ट हुआ। यह क्या माजरा है ? बताइये ? यह तहसीलदार को जरूर कहा कि उनको नहीं मिलनी चाहिये। इसके विषय में जांच की जाय और तहसीलदार पर एक्शन लिया जाय। उनको क्यों नहीं जमीन दी गई ? यह आपका प्रजातन्त्र है। आप कहते हैं समाजवाद ला रहे हैं। आदिवासियों को आगे ला रहे हैं। क्या

(श्री विट्ठल)

आगे लाने वाले हैं ? जिन लोगों को १२ महीने में एक बार भी बदलने के लिए बदन पर कपड़ा न मिले, एक टाइम भी जिनको पूरी रोटी न मिले खाने को, वहां क्या समाजवाद लावेंगे आप ? क्या उन्नति करेंगे आप उनकी ? आपके इस प्रकार के व्यवहार के सारे व्यक्ति किसान, आदिवासी, सब दुखी हैं । आप जिस प्रकार का पक्षपात करते हैं वह पक्षपात चलने वाला नहीं है आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा नहीं तो आपकी सरकार को बदलना पड़ेगा और वह बदल कर रहेगी इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम ।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार ।

(अनुपथित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय,मेरे इसमें तीनकटौती के प्रस्ताव हैं । जहां तक स्वर्णकारों से संबन्धित प्रश्न हैं उस पर मैं पहले प्रकाश डाल चुका हूं और कुछ माननीय सदस्यों ने भी प्रकाश डाल दिया है । मेरा यह निवेदन है कि इनके लिये तकावी जो रखी गई है वह बहुत कम रखी गई है और जिस प्रकार से डिस्ट्रिब्यूशन किया गया है वह भी ठीक प्रकार से नहीं हुआ है । मैं बीकानेर की बात आपसे कहता हूँ, बीकानेर में जहां स्वर्णकारों के एक हजार परिवार हैं दो हजार रुपया आप तकावीका देते हैं । दो हजार रुपया तकावी का देकर कहा जाता है कि तुम्हें भैंस या गाय खरीदनी होगी; जहां एक हजार परिवार हैं वहां २हजार की तकावी देरहे हैं और वह भी भैंस खरीदने के लिये । जो रकम वहां के लिये रखी है अगर वह एक हजार परिवार में बांटी जाय तो प्रत्येक परिवार को दो रुपया आता है । दो रुपये में भैंस कैसे खरीदेगे ? इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिये । यह जो तकावी देना है वह किन लोगों को पहले देना है इस बारे में भी कोई प्रायोरिटी फिक्स नहीं की है । इस हालत के अन्दर हम कितने आदमियों को तकावी दे सकते है यह मैंने छोटा सा अनुमान लगाया है । किस तरीके से इसको वितरित करना चाहिये, किसको मिलना चाहिये यह कोई व्यवस्था नहीं की है ।

आज भी इनकी स्थिति वैसी की वैसी ही है । सरकार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिये; स्वर्ण नियन्त्रण कानून में संशोधन जो किया गया है उसके बावजूद उनकी हालत किस प्रकार की हैं । इस बारे में जब मुख्य मंत्री महोदय बीकानेर पधारे थे उस समय इनका डेपूटेशन भी मिला था उसके बाद जब केबीनेट की मिटिंग वहां होने की जब सूचना मिली तो इन बेचारों ने एक मेमोरेन्डम भी तैयार किया था लेकिन मीटिंग नहीं हुई । आज हमें देखना यह है कि कानून में परिवर्तन हो जाने के बाद भी उनकी स्थिति में परिवर्तन क्यों नहीं आया ? इसका कारण यह है कि कानूनी अड़चनें इस प्रकार की हैं कि कोई भी स्वर्णकार किसी सोने को लेता है घड़ने के लिये तो उसी को सारा काम ही करना

(श्रीमुरलीधर व्यास)

पड़ता है, घड़ेगा वही, जड़ेगा वही, मशीन का काम भी वही करेगा, ये जो प्रतिबन्ध लगे हुए है उन प्रतिबन्धों के कारण दिक्कतें हो रही हैं उसकी वजह से उनको बारबार चलान कर दिया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, डराया धमकाया जाता है और उनसे घूंस ली जाती है, इसलिये मेरा सरकार से यह निवेदन है कि जो परिवर्तन हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी जांच करनी चाहिये। जहां तकावी का सवाल है वह बहुत कम है उनकी संख्या को देखते हुए इसको बढ़ाना चाहिये।

यह ठीक है कि सरकार ने कानून में परिवर्तन करके पुराने गहनों को घड़ने की सुविधा प्रदान की है इससे इनको रोजगार मिला है, राहत मिली है, लेकिन इसके साथ साथ यह प्रतिबन्ध कि एक सुनार सब काम करवाये इसको हटाया जाना चाहिये। एक आदमी हर चीज का माहिर नहीं होता है, इसलिये उसको अलग अलग व्यक्तियों के पास जाना होता है। इस तरह से एक गहने को बनाने के लिये तीन चार जगह उसको जाना होता है फिर वह बनाकर देता है। इस छोटी सी कानून की खामी के कारण एक आदमी को सताया जाता है, वह बन्द होना चाहिये। इस प्रकार के परिवर्तन से बहुत कुछ राहत मिल जायगी।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है शराब के वितरण के संबन्ध में इसके लिये दस लाख रुपया रखा गया है। शराब किस प्रकार हर आदमी को मिल जाय।…………

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : सप्लाई के लिये हैं····

श्री मुरलीधर व्यास : मतलब इसका यह कि इसकी सप्लाई बढ़ जाय। और लोग ज्यादा पीने लग जायें। जहां तक इस सप्लाई को बढ़ाने का सवाल है आप इसको भी दूध की बोतलों की तरह बन्द करके घर घर सप्लाई कर दीजिये। दूध और शराब को आप एक ही स्तर पर लाने जा रहे हैं। मिल्क सप्लाई स्कीम की तरह शराब सप्लाई स्कीम भी शुरू होने वाली है। आप किस तरह से सोचते हैं। सप्लाई का आखिर मायना क्या हुआ, आज जहां दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जहां पिछड़ा इलाका है, जहां अन्न का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जहां इनको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है वहां आप शराब की सप्लाई को प्राथमिकता दे रहे हैं। स्कूल्स बिल्डिंग का सवाल आता है तो कहते हैं रुपया नहीं है जब कि पचास हजार रुपया जनता देती है शिक्षा जैसे पवित्र कामों में आपके पास पैसा नहीं है। शराब जैसी निकम्मी चीजों के लिये उसका वितरण करने के लिये आप अनुदान मांगते हैं..

श्री बालकृष्ण कौल : यह कर्जा है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप पच्चीस हजार रुपया कर्जा देकर स्कूल नहीं खुलवा सकते। वैसी हालत में शराब की बिक्री बढ़ाने के लिये कर्जा देते हैं उसको कभी उचित नहीं कहा जा सकता।

श्री बालकृष्ण कौल : गंगानगर शुगर फेक्टरी को कुछ रुपये की जरूरत थी उसको दस लाख रुपया दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : वितरण करने के लिये।

श्री बालकृष्ण कौल : गंगानगर शुगर मिल को दस लाख रुपये की जरूरत थी उसको कर्जे के रूप में दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार की बातें रख कर सदन को गुमराह किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : गंगानगर शुगर फेक्टरी शराब सप्लाई करती है विभाग को। जनता में सप्लाई करने की योजना नहीं बना रहे हैं। शुगर फैक्टरी गंगानगर की उत्पादन क्षमता इतनी नहीं कि वह अलकोहल, मोलासस आदि जो बाहर से मंगाती है वह मंगा सके उसके लिये कर्जे के रूप में दिये गये।

श्री मुरलीधर व्यास : जो कुछ भी इस संबन्ध में बताया गया है उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अधिक कहना मैं उचित नहीं समझता। एक तरफ तो प्रोहीबिशन की बातें करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह से शराब के लिये प्रोत्साहन देते हैं, यह मैं उचित नहीं समझता।

क्रय विक्रय संघ को दस लाख रुपये की ग्रान्ट दी गई है। जहां तक क्रय विक्रय संघ का सवाल है में कहना चाहता हूँ कि क्रय विक्रय संघ को खाद और बीज के लिये जो अनुदान दिया जाता है उसके लिये मैं विरोध नहीं करता। यह नीति का सवाल है। आज क्रय विक्रय संघ द्वारा जो काम किये जा रहे हैं पहला यह कि बीज सप्लाई के लिये पैसा दिया गया, १७ लाख का बीज खरीदने के लिये और उससे सूरतगढ फार्म से बीज खरीदा गया। पब्लिक अकांउन्ट्स कमेटी के सामने जब यह जिक्र आया तो कहा गया कि बीज कृषि विभाग द्वारा खरीदा गया, सूरतगढ़ फार्म वालों से पूछा गया तो वे कहते हैं हमने क्रय विक्रय संघ को दिया। हमने उनको माल सौंप दिया। माल सौंपने के बाद वह पड़ा रहा और सड़ गया, इससे सरकार को नुकसान हुआ। यह ठीक है कि किसी की लापरवाही की वजह से इस प्रकार का मामला हुआ है..

(१०.४० म० पू०)

राव श्री नारायणसिंह (उपाध्यक्ष, पदासीन)

आखिर इसमें किसी की गलती जरूर है आज जब कि दुर्भिक्ष की स्थिति है इस युग में भी इस तरह से सैकड़ों मन अनाज सड़ा दिया जाय फिर भी जो व्यवस्थापक पहले थे वे ही आज भी हैं उनमें कोई फर्क नहीं किया, लाखों मन अनाज इस प्रकार बर्बाद जिन्होंने कर दिया उन्हीं को अभी तक उसमें रख रखा है यह मैं समझता हूँ इस रुपये का दुरुपयोग है। और सरकार का चाहिए कि जो यह क्रय विक्रय संघ को १० लाख रुपया गुड़ की खरीद के लिए दिया था, मैं नहीं समझ पाता वह किस के लिए दिया था, वह तो वित्त मंत्री जी जबाब देंगे, अगर वह गुड़ के लिए रखा है तो उसका भी स्पष्टीकरण कर देना चाहिये क्योंकि यहां कागजों में हम खाद और बीज के लिए लिख दें और फिर वह रुपया गुड़ में इस्तेमाल हो जाये और जहां तक गुड़ की खरीद का सवाल है मुझे स्पष्ट रूप से मालूम पड़ा है कि क्रय विक्रय संघ के द्वारा यू०पी० से गुड़ खरीदा गया। वह गुड़ भी बहुत हल्की क्वालिटी का खरीदा गया जिसके अन्दर एक एक मन के पीछे दस दस रुपये का मार्जिन होता है और उस गुड़ के रूप को वहीं पर

(श्री मुरलीधर व्यास)

परिवर्तित करके जिसमें दस रुपये का मार्जिन होता है और दो रुपये उस पर और विशेष खर्चा लगा कर जिसको कोकोजम गुड़ कहते हैं या नकली गुड़ कहते हैं उसको मेरठ का अच्छा गुड़ बताकर लाया जाता है और हजारों मन लाया गया और फिर किसानों में गांवों में इस प्रकार से वितरण किया गया और जहां तक मेरे पास इस प्रकार की रिपोर्ट है, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से या संबंधित मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा ....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आप जो यह गुड़ की खरीद की बात कहते हैं मैं आपको बताऊं कि क्रय विक्रय संघ ने एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया। वह तो उन्होंने पार्टीज़ को इन्डेन्ट भेज दिये और पैसा एक भी इन्वेस्ट नहीं किया है। वह पैसा ज्यों का त्यों पड़ा है।

श्री बालकृष्णकौल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जिसके ऊपर बहस हो रही है यह तो रुपया कर्ज दिया जा रहा है क्रय विक्रय संघ को बीज और खाद के लिए और वह भी शोर्ट टर्म लोन के रूप में।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उसके कारनामे बताये जा रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : वह तो जनरल डिबेट में खाका खींचा जा सकता है। उसके लिए बहुत वक्त है कारनामे बताने का।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा कि अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ऑर्डर सप्लाई कर दिया और एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया ....

श्री बालकृष्ण कौल : यह गुड़ के लिए कर्जा नहीं दिया गया।

श्रीमुरलीधर व्यास : मैं तो क्रय विक्रय संघ की बात को कह रहा हूं।

श्री बालकृष्ण कौल : क्रय विक्रय संघ को जो रुपया दिया जा रहा है वह कर्जा खाद और बीज के लिए दिया जा रहा है। आप इस सम्बन्ध में कुछ बातें कहें तो ठीक है। वर्ना गुड़ के सम्बन्ध में आप जनरल डिबेट में बोल सकते हैं। उसके लिए बहुत समय है।

श्री मुरलीधर व्यास : सवाल क्रय विक्रय संघ का है। जिसको आपने पैसा दिया है अगर वह उसका मिसयूज करते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : इस पर जनरल डिसकसन नहीं हो सकता। पर्टीकूलर सब्जेक्ट के ऊपर आप कुछ भी कह सकते हैं। बजट जिस समय आये उस समय आप कह सकते हैं। एक ही डिमांड को लेकर आप जनरल डिबेट नहीं कर सकते।

श्री मुरलीधर व्यास : क्रय विक्रय संघ इसमें है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : क्रय विक्रय संघ का नाम आते ही आपको इतना नहीं चौंकना चाहिए कि आप ५० तरह की एंटरेण्डम बात कहने लग जायें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) :

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

बड़ी तथ्यपूर्ण बातें हैं और सही हैं । चौंकने का क्या प्रश्न है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह वक़्त पर कहें ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं बिलकुल वक़्त है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर आप यह वक़्त समझते हैं तो चेयर की तरफ से रूलिंग आयेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो क्रय-विक्रय संघ के बारे में आपने जो एतराज किया है कि क्रय विक्रय की दूसरी बात नहीं लाई जा सकती , क्योंकि यह बीज और खाद का प्रश्न है; मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बिलकुल वैधानिक रूप से लाई जा सकती है । आप जो एतराज कर रहे हैं वह बिलकुल गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें जो वितरण व्यवस्था का दोष आप बताना चाहते हैं वह मेरे ख्याल से अनाज के बारे में बताना चाहते हैं और उस विषय में दूसरे विषय को न जोड़ा जाये तो समय की बचत होगी और आपको इसके लिए आगे समय भी मिलेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि क्रय-विक्रय संघ को १० लाख रुपया दे दें और क्योंकि उसका नाम है इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते तो फिर मैं बोलूंगा क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : उस डिमाण्ड के बारे में आप बोल सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री मुरलीधर व्यास) जारी रखिये । आपका एक कटौती का प्रस्ताव और है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कोई इस प्रकार की दुर्भावना के आधार पर नहीं कहता हूं । जिस संस्था को पैसा दिया जा रहा है अगर वह संस्था हमारे धन का कहीं मिस-यूज़ करती है तो सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट के समय उसके मिसयूज़ का हवाला देना पड़ेगा । अगर नहीं दूंगा तो ग्रान्ट की कोई इम्पॉर्टेन्स नहीं रहती । इसलिए यह बिल्कुल जायज़ बात है । अगर मैं उसका हवाला नहीं देता हूं तो मैं अपने कर्तव्य से अलग होता हूं और मैं अपना कर्तव्य बराबर पालन कर रहा हूं । इसलिए गुड़ के मामले के अन्दर डाइरेक्ट जब कि सप्लाई वहीं से हो गई और वहां से सप्लाई होने के बाद गांवों का भेज दी गयी और गांवों को भेजने के साथ ही साथ बीच में मुनाफा ले लिया गया । मुझे भादरा के गांवों के बारे में बताया गया वहां पर ६५ टन आपने गुड़ भेजा एक गांव का नाम माननीय सदस्य ने बताया था मालूम पड़ा कि ६५ टन गुड़ गांव के लोगों को नहीं दिया गया । उसको सरकार के लोगों ने बेच कर उससे मुनाफा कर लिया ? तो जो क्रय–विक्रय संघ दूसरों को सप्लाई करता है और खुद डाइरेक्ट ऑर्डर करके बीच में मुनाफा एक एक मन के पीछे ६–६ रुपये रख लेता है और आप ऐसे संघ को लाखों रुपया दें जिसके बारे में इतनी शिकायतें हैं तो अगर वह जवाब नहीं देते हैं तो मैं इस बात को स्पष्ट कहता हूं कि मन्त्री महोदय जो इस में

(श्री मुरलीधर व्यास)

हस्तक्षेप करते हैं उसका मकसद भी यही हैं कि वे उसकी बातों को छिपाते हैं और उस संघ की बातों को सदन के सामने नहीं लाते हैं तो मेरे चार्जेज़ मन्त्री महोदय के खिलाफ भी स्पष्ट हैं।

तीसरा सवाल जो मेरा है वह यह है कि अकाल की परिस्थिति के ऊपर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक अकाल का प्रश्न है उसकी हालत और भी बढ़ती जा रही है। बीकानेर शहर के अन्दर बीकानेर के आसपास के जो ग्रामीण लोग आज से करीब २०—२५ दिन पहले अपने गांवों से बाल—बच्चों को लेकर वहां आये थे उन परिवारों की तादाद जो ५०० थी वह २० दिन के अन्दर १५०० हो चुकी है। अगर मेरी बात पर आपको किसी प्रकार की शंका है तो आप बीकानेर के बाहर मोहता की धर्मशाला है उसके बाहर देख लीजिए हजारों अकाल—पीड़ित लोग वहां पर बसे हुए हैं। मोहता जी ने झोंपड़ी आदि बनाने का साधन दिया है और उनको काम नहीं मिल रहा है। जिनको काम मिलता है वह तो अपनी तरफ से ले आते हैं लेकिन हजारों लोग जिनको काम नहीं मिलता हैं उनको मुट्ठी भर आटा दिया जाता है और इस मुट्ठी भर आटे में उनको अपना निर्वाह करना पड़ता है........

श्री बालकृष्ण कौल : यह मुट्ठी भर आटा उनको कौन देता है ? मोहता जी ?

श्री मुरलीधर व्यास : हां, यह तो आप और उनका एक संघ बना हुआ है........

श्री बालकृष्ण कौल : हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह मुट्ठी भर आटा उनको दिया जाता है। आप अन्दाजा लगायें कि जिस क्षेत्र के अन्दर मुट्ठी भर आटा दिया जाये और दूसरी चीज उसके सिवाय उनको उपलब्ध नहीं हो वहां न तो मिर्च है न नमक है वे किस प्रकार से अपना निर्वाह कर रहे होंगे........

श्री बालकृष्ण कौल : मिर्चों और नमक में तो आप माहिर हैं, फिर सरकार की क्या जरूरत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप भी बहुत माहिर हैं, नमक मिर्च के मामले में।

श्री मुरलीधर व्यास : जो वहां की वस्तुस्थिति है वह मैंने आपके सामने रखी है। मेरा कहना यह है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो भगवान् के भी नमक मिर्च लगाने में नहीं चूकते।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार को अपनी तरफ से इसका प्रबन्ध करना चाहिए और जो लोग मुट्ठी भर आटे में जीते हैं उनकी आपको जाकर जांच करनी चाहिए और उनको रास्ता बताना चाहिए और कहना चाहिए कि चलो हम तुमको काम देते हैं। अगर आपकी व्यवस्था और कमजोर रही तो वहां पर ५००० परिवार भी हो सकते हैं। तो यह मैंने आपके सामने वहां की वस्तुस्थिति को

Page No. 70

(श्री मुरलीधर व्यास)

लाने की कोशिश की है। मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय उस पर विचार करें।

एक कटौती प्रस्ताव मेरा और है। खास कर ४६ परमैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय उसका जवाब दें और दूसरों का सहारा लेकर न दें तो अच्छा हो।

श्री बालकृष्ण कोल : हम तो आपके सहारे पर हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप तो पैसे वालों के सहारे पर हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो इस सरकार के सहारे पर भी नहीं हैं, बड़ी सरकार के सहारे पर हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले अपने प्रस्ताव ४६ पर बोलता हूं। इसमें दस लाख रुपया गंगानगर शुगर मिल को दिये जाने की बात है। इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। क्यों ?

पहला बजट जो हमारा पास हुआ था उसमें एक्साइज की आमदनी में गिरावट आने का क्या कारण है ? इसका कारण है आपके द्वारा प्राइवेट इन्डस्ट्री को बन्द कर देना जो एक्साइज का काम करती और फिर सरकार को वे जिन भावों पर माल सप्लाई कर रहे थे उन भावों पर न खरीद कर यू. पी. और मध्यप्रदेश से ऊंचे भावों पर खरीदा गया। तो मैं पूछता हूं सरकार ने यह क्यों किया ? भावों में इतना फर्क क्यों पड़ा ? इसकी बदौलत इन्डस्ट्रियलिस्टों को राजस्थान में कितना नुकसान हुआ, कितने मजदूर बेकार हुए, कितना इन्वेस्टमेन्ट बेकार हो गया इन सब के बारे में गम्भीरता पूर्वक सोचना है। यह एक गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। राजस्थान सरकार ने गत वर्ष इस बिजिनेस को अपने हाथों में लेकर मोनोपोली कायम की है और दूसरे इन्डस्ट्रियलिस्टों को समाप्त कर दिया है।

श्री बालकृष्ण कोल : आपका मतलब डिस्टिलरों से ही है न ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जी हां। उनका लाखों रुपया इस इन्डस्ट्री में फंसा हुआ बेकार हो गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आन ए पॉइन्ट आफ इन्फॉर्मेशन, सर। यह डिस्टिलरी को दस लाख किस सिलसिले में दिया जा रहा है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : शराब बनाने के लिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे खरीदकर बाटेंगे।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : तो मेरा निवेदन यह था कि जो इन्डस्ट्री यहां लगी हुई थी और जो १.६२ नये पैसे और २) में माल सप्लाई करते थे उससे ऊंचे भावों पर बाहर से खरीद कर सप्लाई करती है और खुद इन्डस्ट्री पैसे के अभाव में चला नहीं सकती। जो यहां चल रही थी उनको बन्द कर दिया। बांसवाड़ा में चार-चार महीनों से शराब नहीं पहुंची, होली पर नहीं पहुंची और बहुत सी जगहों पर शराब

Page No. 71

(श्री सम्पतीलाल बोहरा)

समय पर नहीं पहुंची इससे सरकार को एक्साइज का लाखों का नुकसान हुआ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (साचोर) : नहीं पहुंची तो अच्छा हुआ। आदिवासियों को शराब क्यों पिलाना सिखाते हो ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : बचे कहां ? सरकार ने नहीं दी, तो इल्लीगल पी, अपने घरों में पैदा करके पी। बांसवाड़ा में महुवे की शराब बहुत बनी है। इससे सरकार की एक्साइज का ही नुकसान हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका इस पर कट मोशन है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरा कट मोशन ४६ पर है और उसकी मांग पर यह भी बोल सकता हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो यहां की एक इन्डस्ट्री थी, उसको तो बन्द कर दिया, उसका लाखों का इन्वेस्टमेन्ट बेकार कर दिया। सरकार ने अपनी इन्डस्ट्री लगाई, पर उसे भी चला नहीं सकती ठीक तरह से, इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकती, समय पर वितरण नहीं कर पाती और भाव भी इतने ऊंचे बढ़ा दिये और भाव की छूट होने से हजारों रुपये ठेकेदारों ने कमाये और लाखों का नुकसान कन्जुमरों को हुआ। तो इस में समझ में नहीं आया कि सरकार द्वारा अपनी इन्डस्ट्री इस तरह चलाने में कौनसी तुक है ? प्राइवेट को बन्द करके जो सस्ती देरही थी, उनको बन्द करके आप एक ही अपनी इन्डस्ट्री को ठेका देना चाहते हैं। आप मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सी कायम कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह था कि दस लाख रुपया इनको नहीं दिया जाना चाहिये और जो प्राईवेट वाले काम करते थे उनको करने दिया जावे। वे सस्ते भाव से दे रहे थे और समय पर दे रहे थे। इसलिये उनको काम करने दिया जावे।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में बताना चाहता हूं। जिन क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित कर दिया उनके बारे में विवाद नहीं। पर जहां अकालग्रस्त ऐरिया घोषित नहीं हुआ, पर सरदी के करण फसलें जल गई और बरसात के मौसम में भी पहली बरसात के समय बो दिया पर दुबारा बरसात नहीं होने से बीज जल गया और कुओं में भी पानी नहीं रहा तो ऐसे एरियाज़ के लिए भी प्रोविज़न होना चाहिये जो कि इसमें नहीं किया गया है इसलिए एक रुपया की कटौती इसमें की जावे।

३५ में मेरी मांग है कि पंचायत समितियों के सीगे में १,४०,००० का खर्चा बताया। मैं जानना चाहता हूं कि किस बात में यह खर्चा हुआ जब कि चुनाव आपने आगे के लिए पोस्टपोन कर दिये। क्या यह सिर्फ पब्लिकेशन का हुआ या कापियां छपवाई उनके लिए किया गया ? यदि ऐसा है तो जब कि सरकार को मालूम था कि इलेक्शन पोस्टपोन करने हैं, तो फिर इतना बड़ा पब्लिकेशन क्यों करवाया ? इसकी क्या आवश्यकता थी जो इतना रुपया खर्च कर दिया ?

एक माननीय सदस्य : यह १० लाख ४६ हजार है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : १० लाख ४६ हजार है ? यह फिर इतनी बड़ी रकम

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

क्यों खर्च कर दी ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इतना ही नहीं वोटर लिस्टों को यों का यों ही छपा दिया गया है जो पहले थीं। एक भी व्यक्ति का एडीशन और आल्ट्रेशन नहीं किया गया। जो १८ साल का था, वो २१ साल का हुआ या नहीं। मैं एग्जाम्पल दूं ओछीवाड़ा का व सागवाड़ा का जहां एक भी नाम नहीं बढ़ाया गया। सलूम्बर में एस० डी० ओ० ने केवल छः नामों का एडीशन किया। और उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मामला है। आज जितने वोटर नये बढ़ रहे हैं सारे के सारे विरोधी दलों के हैं उनको रोकने के लिए एक षड़यन्त्र रचा गया है कि नये वोटरों के नाम ऑटोमैटिक्ली सरकार अपनी तरफ से उसमें एड न करें। जो भी वोटर लिस्ट में नाम लिखाना चाहें वह एस० डी० ओ० के पास जावे। जो कि कतई व्यहारिक नहीं है। चालीस-चालीस मील दूर के इलाके पड़ते हैं, वहां से चलकर एस० डी० ओ० के पास नाम लिखाने आवे और वह भी दो दो गवाहियां लेकर। यह सम्भव नहीं है उनके लिए। सरकार को अपनी तरफ से इन्क्वायरी करके नाम बढ़ाते-घटाते रहना चाहिएं। इसमें इस तरह की सुविधा दी जानी चाहिए। अपने आप से सरकार ने इन वोटर लिस्टों में एक भी नाम नहीं बढ़ाया। जो मर गये हैं जो कि सम्भव हैं, उनके भी नाम नहीं हटाये गये। फिर इतना खर्चा किस तरह से कर डाला, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या यह जानबूझ कर किया गया है या अफसरों की मरजी से या ऊपर की इन्स्ट्रक्शन्स से किया गया है इसकी जांच होनी चाहिए।

इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४६ पर मेरा कट मोशन है। इससे पहिले कि मैं अपने कट मोशन पर जाऊं, मैं दुर्भिक्ष के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। खरीफ और रबी की फसल........

श्री उपाध्यक्ष : Just excuse me (श्री सम्पत्तिलाल बोहरा से) You have spoken on both the demands?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : Yes, sir, ३५ और ४६ दोनों पर।

श्री जयनारायण सालोदिया : वित्त मन्त्री महोदय ने भी माना है कि हमारे पर अकाल की छाया है। मैं कहता हूं जब तक आपकी छाया राजस्थान पर रहेगी, ऐसी गवर्नमेन्ट की छाया राजस्थान पर रहेगी तब तक कोई न कोई कुदरती प्रकोप की छाया भी इस पर बनी ही रहेगी इसलिए चाहता हूं कि यह सरकार अपनी छाया इस प्रदेश पर से जल्दी से जल्दी हटा ले तो अच्छा हो।

(११.०० म० पू०)

अकाल की जो हालत राजस्थान में है, अकाल जैसी चीज को भी यह गवर्नमेन्ट एक दलगत आधार पर लेती है। इसका प्रमाण है। पास के जिले में जिसमें उतना ही नुकसान है उसको अकालग्रस्त घोषित कर देती है और उसी के पास के जिले में, पास की तहसील में उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है उसको अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया है। मैं टौंक

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जिले की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। टोंक जिले में अकाल की स्थिति है उसको अकाल-ग्रसित घोषित नहीं किया जब कि पास वाले जिले से जिसको आपने अकाल-ग्रस्त घोषित किया है उससे इसकी कहीं ज्यादा स्थिति खराब है। लेकिन आपने उसको अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया है। उसके पीछे आपकी क्या भावना है, उसके पीछे आपकी क्या विचारधारा है, यह मैं पहले बता चुका हूं कि अकाल के मामले में भी आप दलगत नीति से सोचते हैं। इस बुरे समय में भी आप दलगत नीति को नहीं छोड़ते हैं।

श्री बालकृष्ण कोल : इधर तशरीफ ले आइये तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह भी समय आयेगा कि आपकी काली छाया इन कुर्सियों से हटेगी और हम बैठेंगे उन पर।

श्री बालकृष्ण कोल : यह मुश्किल है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह कह रहा था कि इस बुरे वक्त में भी जब कि इमर्जेंसी हमारे सिर पर है, जब कि हमें पब्लिक में एक विचारधारा बनाने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए या ऐसे काम करने चाहियें, उस समय में भी इस सरकार का दलगत के आधार पर सोचना बहुत अच्छी बात नहीं है।

श्री बालकृष्ण कोल: आप पहल कीजिए दलगत से बचने के लिए। पांच ने किया है और आप भी आयें तो मुबारक हो।

श्री कृष्णकुमार गोयल : गल गये पहले।

श्री जयनारायण सालोदिया : टोंक जिले में पहले की जो फसल थी सियालु की वह कम वर्षा होने के कारण, देरी से वर्षा होने के कारण बहुत कम हुई, पैदावार कम हुई। उसके बाद उनालू की फसल बोने के लिए टाइम आया। कम वर्षा होने के कारण गेहूं और जौ के बीज डाले लेकिन गेहूं का बीज उड़ गया, मतलब कम वर्षा के कारण पैदा नहीं हुआ और किसानों को दुबारा बीज बोना पड़ा। दुबारा बीज बोने के ऊपर जो थोड़ी-बहुत फसल पैदा हुई थी वह जनवरी के महीने में जो शीत लहर का प्रकोप हुआ उससे भी वह फसल समाप्त-प्राय हो गई और उसमें भी कई फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी उस डिस्ट्रिक्ट को अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया। मैंने इस सम्बन्ध में सूचना मन्त्री महोदय को, मुख्य मन्त्रीजी को, रेवेन्यू मिनिस्टर को, डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर को और सम्बन्धित सब व्यक्तियों को दी, और उसमें यह मांग की कि इस क्षेत्र को जल्दी से जल्दी जांच कराके अकाल-ग्रस्त घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सरकार के किसी भी दफ्तर की तरफ से मुझे उसके जवाब में कोई सूचना नहीं मिली कि आया हम इस सम्बन्ध में क्या सोच रहे हैं, हमारा क्या विचार है इस सम्बन्ध में, आया उसको अकाल-ग्रस्त घोषित करेंगे या नहीं और यदि नहीं करेंगे तो यह ? हमारे सामने मजबूरियां हैं, इस तरह कोई स्पष्टीकरण का उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

इसी मामले को लेकर मैंने हाउस में स्थगन प्रस्ताव रखा था। वह भी यह कहकर कि अन्य चान्स आयेंगे मेरे सामने तब मैं इस बारे में विचार-विमर्श कर सकूंगा। मैं यह कहते हुए राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगा कि टौंक डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल अकाल है। वहां की जो फसलें हैं, गेहूँ, चना, जीरा, अलसी, सरसों, यह सारी फसलें जो खास इस डिस्ट्रक्ट की फसलें हैं वह सब खराब हो गई हैं, और उनमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप जांच कराना चाहते हैं किसी भी तरह से तो जल्दी से जल्दी कराकर कोई उचित निर्णय इस सम्बन्ध में लिया जाय जिससे वहां वहां के लोगों को राहत मिले। जो वहां के मवेशी बाहर जा रहे हैं, उनके लिए चारे की व्यवस्था हो जाय तो वे वहां रुक सकते हैं और बहुत परेशानी से मुक्त हो सकते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसलिए मैं सरकार से प्रर्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी निर्णय ले।

दूसरी बात अभी-अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने बताई है। पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में वह स्थिति सब जगह सारे राजस्थान में एक सी है। नई जो वोटर्स लिस्ट बनाई गई है उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह रेलेवेन्ट नहीं है, मांग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ३५ भी इसके साथ ली जा रही है। उसमें पंचायतों के चुनावों का है।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो उसमें मैं तो यहां तक अर्ज कर सकता हूं कि जो तीन-तीन, चार–चार साल पुरानी सूचियां थीं उनका रिन्युअल तो किया ही है, उनकी मान्यता तो की ही है। उनके नामों में तब्दीलियां नहीं की, लेकिन उमर में भी तब्दीलियां नहीं की गई। जिन आदमियों की उम्र तीन साल पहले वाली वोटर्स लिस्ट में जो थी उसी आधार पर उसके नाम और वल्दियत तो हैं ही लेकिन उमर भी तीन साल पहले वाली उतनी की उतनी ही रखी है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चहाता हूं कि अगर आप वोटर्स लिस्ट का रिन्युअल करते हैं, उसको मान्यता देते हैं और उसमें कोई तरमीम नहीं की गई है, यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन क्या उम्र भी जो आज से ६ साल पहले किसी आदमी की थी आज भी वही हो सकती है ? उम्र में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई। इस तरह की वोटर्स लिस्टों के आधार पर चुनाव हो रहा है वह अच्छी बात नहीं है। यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी दो मांगें सरकार के सामने पेश की हैं। एक तो स्वर्णकारों के विषय में और दूसरी म्युनिसिपैलिटीज़ में जिस प्रकार की असुविधायें हैं उनके लिए।

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry, Shri Radha Krishna Goyal.

(अनुपस्थित)

श्री जोधसिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष, स्वर्णकारों के लिए सरकार ने बड़े-बड़े आश्वासन दिये। सरकार ने एक समिति भी बनाई, और समिति बनाकर सरकार ने यह भी एलान किया है कि स्वर्णकारों के लिए एक लाख की रकम मदद के लिए रखी है। मैं नहीं समझता कि सरकार किस प्रकार से एक लाख रुपये में सारे राजस्थान के स्वर्णकारों के लिए सहूलियत देना चाहती है ? इससे कुछ होने वाला नहीं है। सरकार ने एक बड़ा लीफ-लेट छपा दिया है। उसके अन्तर्गत सरकार ने कहा है कि स्वर्णकारों को खेती के लिए जमीन दी जायगी। इसके विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर जिले में जो स्वर्णकार हैं वे आज सारे बेकार हैं। न तो उनके पास घढने को सोना है और न जीविकोपार्जन के लिए और कोई दूसरा साधन है। खेती के लिए अर्ज करते हैं तो जमीन नहीं मिलती है। सरकार कहती है कि अगर आप जमीन लेते हैं तो लाइसेन्स घढने का नहीं दिया जायगा। मैं नहीं समझा कि इस प्रकार का अन्याय स्वर्णकारों के साथ किस प्रकार होता है ?........

जब किसानों को और दूसरों को सुविधा मिल जाती है तो स्वर्णकारों को क्यों यह कहा जाता कि जमीन लेना है तुमको लाइसेन्स नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं, किसानों को जमीन दी जाय तो खाली जमीन से ही उनको इतनी आमदनी नहीं हो सकती कि जिससे उनको जीविकोपार्जन का साधन मिल सके ? इससे उनको पूरा साधन नहीं मिल सकता। इसके लिये टाइम लगता है। आज जमीन भी ऐसी है जो बेकार है फिर भी इन स्वर्णकारों को जमीन नहीं दी जाती है। उन को जमीन देने में बाधाएँ डाली जाती हैं और उनको कहा जाता है कि तुमको जमीन नहीं मिलेगी। उदयपुर के कई स्वर्णकारों ने राज्यपाल को टेलीग्राम दिये, मन्त्रियों को टेलीग्राम दिये, लेकिन उनको आज तक कोई राहत नहीं मिली और वे बेकार हैं। वे कहते हैं कि सरकार किस प्रकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। सरकार ने बड़े-बड़े बादल उनको दिखाये जो उनके चारों तरफ मंडरा रहे हैं और उनसे सरकार कहती है कि बरसात आने वाली है........

श्री योगेन्द्र नाथ टांडा (श्री कालाबादल की तरफ इशारा करते हुए) : एक बेचारा बादल था वह भी सूख गया।

श्री जोधसिंह : वे बादल बिना पानी के हैं। वे जानते हैं कि स्वर्णकारों को पानी नहीं मिलने देना है। वित्त मन्त्री जी ने कहा कि भगवान् उन पर नाराज हो गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार स्वर्णकारों से नाराज है, सरकार रूपी बादल बिना पानी के हैं इस लिए वे उनको राहत नहीं देते।

इसी प्रकार स्वर्णकारों से यह कहा गया कि सरकारी नौकरियों में उनको रखेंगे। लेकिन आज तक कितने ऐसे स्वर्णकार हैं जिनको नौकरी में रखा गया ? क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि कितने स्वर्णकार हैं जो बेकार हैं और उनको किस प्रकार नौकरी या धन्धा देना चाहिये ? इसके आंकड़े यदि सरकार के पास होते तो सरकार को पता लग सकता था। सरकार तो यह समझती है कि ये जितने बेकार होंगे उतने ही हमारे पास आयेंगे और पर-आश्रित रहेंगे। मैं अर्ज करूँगा कि यह सरकार हमेशा यह समझती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ऊपर आधारित रहे तभी हमारा काम चलेगा। यह सरकार भी बनियों

(श्री जोधसिंह चौहान)

की तरह से है जो यह सोचते हैं कि इनको लोन के भार से दबा रखेंगे तो उनका काम चलेगा। उनको अपने अधिकार में रखेंगे तो हमारा काम चलता रहेगा? जी स्वर्णकार हैं उनको न तो जमीन मिलती है और न दूसरी सुविधा मिलती है। लेकिन इनके बारे में सरकार की ओर से कहा यह जाता है कि हम उनको राहत देंगे। लेकिन इनको न जमीन मिलती है न किसी तरह की सुविधा मिलती है। आज उदयपुर में किसी को राहत नहीं मिली। आज गिरवा में भी किसी को राहत नहीं मिली, खेती के लिए किसी को जमीन नहीं मिली, किसी को नौकरी नहीं मिली। उदाहरण के लिये मैं कहता हूं कि भीम पंचायत में एक लड़का स्वर्णकार मेट्रिक्युलेट था। पंचायत समिति में टीचर्स की जगह निकली तब उसने भी एप्लाई किया, लेकिन उसको आज तक नहीं लिया गया इसी प्रकार ये कई उदाहरण मैं पेश करता हूं। उदयपुर में स्वर्णकारों ने नौकरी के लिए एप्लाई किया। उनमें से किसी को नौकरी दी गई लेकिन कहां दी गई? उनको होस्पिटल में भेजा गया और कहा गया कि टट्टी के पाले डालो और नौकरी करो। इस प्रकार से जो स्वर्णकार १०) या २०) रोज कमाते थे उनको सरकार ने इस प्रकार की स्थिति में लाकर डाल दिया। इस प्रकार से उनको लज्जित होने की नौकरी दी गई। आज वे भूखों मर रहे हैं। उनको यदि जमीन दी जाती है तो स्वर्णकार का काम करने का लाइसेन्स नहीं दिया जाता है और उनको लाइसेन्स मिलता है तो भूमि नहीं मिलती है इस प्रकार की सरकार की नीति सराहनीय नहीं है। स्वर्णकारों को सुविधा देनी चाहिये।

स्कूलों में स्वर्णकारों के बच्चों से जो फीस ली जाती थी उसके लिये कहा गया था कि वह फीस वापिस दी जायगी। इसके बारे में ऑर्डर भी निकाला कि यदि किसी ने फीस जमा करा दी है तो वापिस मिल जायगी। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कितने स्वर्णकारों के बच्चों की फीस लौटाई गई उसकी लिस्ट सदन में पेश करें और जितने स्वर्णकारों के बच्चों की फीस माफ की गई है उसकी लिस्ट भी सदन में पेश करें। सरकार प्रलोभन तो बहुत बड़े देदेती है लेकिन वास्तव में होता कुछ नहीं। सरकार कमेटियां बनाता है लेकिन उसका नतीजा कुछ नही होता सरकार ज्यादा कमेटिया न बनाकर यदि वास्तव में किसी को राहत पहुंचाना चाहती है तो सरकार से निवेदन है कि सही तरीके से वह पहले एक काम को हाथ में ले और उसको पूरा करने के बाद दूसरा काम हाथ में ले वरना सभी प्रकार के काम अधूरे रह जाते हैं।

स्वर्णकारों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको हल किये बिना सरकार सफल नहीं हो सकती। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो स्वर्णकार बेकार हैं उनको सरकार राहत दे, भूमि दे, उनको नौकरी दे, विद्यार्थियों की फीस माफ करे। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो एक दिन ऐसा आयेगा जब ये चीजें सरकार को ले बैठेंगी। इसी का परिणाम है कि उदयपुर नगर में जहां के रिप्रेजेंटेटिव सुखाड़ियाजी है वहां की म्युनिसिपेलिटी पर दूसरी पार्टी का कब्जा है। यह कैसे हुआ? इसलिये कि जनता वहां कि दुखी थी। जिस उदयपुर को स्वर्ण नगरी बना दिया इस तरह की बात आज कही जाती है लेकिन

(श्री जोधसिंह चौहान)

यदि वास्तव में उदयपुर नगर को ठीक किया होता, उसको स्वर्ण नगरी बनाया होता तो आज यह हालत नहीं होती। जनता समझ गई है कि कांग्रेस का हालत क्या है ? उसके खाने के दांत दूसरे हैं और चबाने के दांत दूसरे हैं।

इसी प्रकार से मैं वहां कि म्युनिसिपैलिटी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर जो प्रशासक नियुक्त किये गये थे उन्होंने अपनी मनमानी की। सरकार ने म्युनिसिपलिटी को सौंप दिया उसका उन्होंने अनुचित लाभ उठाया। अपनी मनमानी की। यहां तक कि वहां पर जो डोंगरां का ठेका मिलता था वह गवर्नमेंट रेट से ६५ पर्सेन्टव एबव पर दिया। जब जांच के लिये कहा गया तो वहां के सिटी इम्प्रूवमेंट इंजीनियर को बुलाकर कहा कि इसको तारमीम करदो। ३५ पर्सेन्ट एबव पर दिया था उसको तरमीम करके कम कर दिया अब भी २५ पर्सेन्ट एबव पर है। उन्होंने अपनी मनमानी की है। और मनमानी तरीके से लोगों के साथ सलूक किया है और सारे नगर को खराब कर दिया है। जो नालियां बनी हैं उनको भी खराब कर दिया है। इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने कार्यालय में मनमानी खर्चा किया हैं। सारे नगर को खराब कर दिया। ये सारी बातें क्यों पेश आई ? इस लिये कि सरकार को इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिये। सरकार की जिम्मेदारी एक दिन में समाप्त नहीं हो जाती है। चाहे किसी भी क्वार्टर की सरकार हो, उसे देश को अपना समझना चाहिये। इसी प्रकार पुराने कार्य को देश का कार्य समझ कर किया जाता था।

देश हमारा है, हमें उसे आगे बढ़ाना है। देश में जो बात होती है वह हमारी बात है। घर है, इसको सुधारना हमारा कर्तव्य है। लेकिन सरकार अपनी ही मननानी कर रही है। जब जनता की चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी को कार्य-काल समाप्त होने आया तो प्रशासक को सौंप दिया जिसने अपनी मनमानी की और सरकार को उससे कई लाख रुपयों का घाटा हुआ। वहां की सड़कों को खराब किया। सरकार के हाथ में जब कोई चीज आती है तो उसको ठीक प्रकार से चलाना चाहिये, उसका उपयोग ठीक करना चाहिये। यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चौसरसिंह बावेल।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया वे एबसेन्ट है बाद में मेरा ही नम्बर है। माननीय उपाध्यक्ष जी........

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वे भी नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, १९६३-६४ के बजट में जो रकम ज्यादा खर्च हुई है उसके बारे में जो डिमाण्ड सरकार की तरफ से रखी गई है उस पर हम विचार कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह डिमाण्ड प्रस्तुत करते वक्त माननीय वित्त मन्त्री जी ने इसके साथ जो स्टेटमेंट दिया है उसको हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा है। उसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत दुःख हुआ कि जो सरकार अपने आपको एफिशियेंट सरकार कहती हैं उस सरकार ने सन् ६३-६४ का बजट ६६ करोड़ का पास करवाया

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

था और उस ६६ करोड़ से ५२-५२।। करोड़ का एक्सेस स्टेटमेंट हमारे सामने रखा और उसको हाऊस से पास करवा रहे हैं। या तो बजट बनाया वे इनएफिशिन्ट थे, जो ६६ करोड़ का बजट हाउस से पास हुआ था उसी के आधार पर खर्चा किया जाना चाहिये था वह नहीं किया और उसके ऊट-पटांग ढंग से खर्च कर दिया इसलिये एक्सेस डिमाण्ड के रूप में यह हमारे सामने रख रहे हैं। मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार हूं, जैसा स्टेटमेंट में कहा गया कि यह डिमाण्ड सिर्फ हमने, रेकॉर्ड में जो अदला-बदला जमा-खर्च में हो गई हैं उसे सही तरीके से रखने के लिए रखी है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय........

श्री बालकृष्ण कोल : ६२ लाख तो अब कायदे पर आया है कि क्या क्या ६२ लाख है........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं इसके लिए कह रहा हूं आपसे।

इन्होंने यह भी कहा है, जमा-खर्च गलत कर दिया इसको सही करने के लिए डिमान्ड रखी गई है। अगर जमा-खर्च गलत है तो यह तो सरकार की जिम्मेदारी है जिसको पूरी तरह जमा-खर्च करते वक्त निभाना चाहिए।

एक डिमांड है जिसके बारे में मेरा कट मोशन है, उसमें पंचायत इलेक्शन के ऊपर १० लाख ४६ हजार रुपये खर्च करने की बात कही गई है। मैं समझता हूं, यह अनुपूरक मांग है १९६३—६४ के बजट में और १९६३-६४ के अन्दर पंचायतों का कोई इलेक्शन हुआ नहीं, फिर यह रकम किस पर खर्च हो गई ? १९६१ के अन्दर चुनाव हुए हैं उनके अन्दर खर्च हुई है तो आज उसके बारे में कहना बिल्कुल गलत है और, मैं समझता हूं, जिस वक्त जवाब दिया जायगा तो कहा जायगा कि आने वाले चुनावों की व्यवस्था के लिए १० लाख ४६ हजार रुपया खर्च किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि डिमाण्ड रखते वक्त माननीय वित्त मंत्री ने ख्याल नहीं किया, हम इस डिमाण्ड को कैसे रख रहे हैं जब कि १९६३—६४ में चुनाव नहीं हैं और हमें १९६४-६५ को आज डिमाण्ड रखने की क्यों जरूरत पड़ी ? मैं समझता हूं वे कहेंगे, चुनावों की तैयारी करने के लिए हमने पैसा दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रान्सफर कर दिया और इस प्रकार जो गलती की है उसको सही करने के लिए डिमाण्ड रखी गई है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, जैसा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया था कि हमने पंचायतों के चुनाव, जो कि मई में होने वाले थे, नवम्बर-दिसम्बर में करने का फैसला किया है। यह आज का सवाल नहीं है। और पीछे कारण बताये गये हैं, वह यह कि पंचायत राज स्टडी टीम बनी हुई है उसकी रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। दूसरा कारण बताया गया है, जो अकाल पड़ा हुआ है, वहां की पब्लिक, वहां की जनता अपना और अपने मवेशियों का पेट भरने दूसरे इलाकों में चली गई है। यह जानकारी इसके बारे में प्रस्तुत करना चाहता हूं, ये कारण इस बजट के रखने के पहले के हैं, ये बाद के नहीं हो सकते। यह अकाल पड़ा इसकी खबर सितम्बर में पहुंच गई थी। फिर यह डिमाण्ड क्यों रखी गई है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको कैसे सच और सही माना

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

जाय ? मैं वित्त मंत्री महोदय से बहुत अनुरोधपूर्वक आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इस डिमाण्ड को वे वापिस विथड्रा करें क्योंकि यह........

श्री बालकृष्ण कोल : शायद आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, उसको मैं साफ कर दूं। आप एक तरफ तो मानते हैं कि यह तो एडजस्टमेंट है लेकिन एडजस्टमेंट को मानते हुए भी समझने में नहीं आ रहा है। यह १० लाख ४६ हजार का खर्च रखा गया है पंचायत--इलेक्शन के लिए, यह इसलिए रखा गया है कि १० हजार रुपया निकाला गया कन्टिजेंसी फंड से। कन्टिजेंसी फंड से निकाल कर हमने यह उस फंड में दे दिया अब यह अधिकार गवर्नमेंट के पास उसी वक्त तक है जब तक हाउस नहीं है। अब हाउस के सामने यह रेगुलेराइज करने के लिए आई है। इसके मायने यह नहीं है कि रुपया खर्च हो गया। इसके मायने यह है कि जब हमने कन्टिजेंसी फंड से रुपया निकाला तो इसको रेगुलेराइज करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हाउस के सामने लाये और इस ट्रान्सफर को हम रेगुलेट करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नहीं, यह बात पहले भी अर्ज कर दी थी। यह जमा-खर्च की बात फाइनेन्स मिनिस्टर ने बताई........

श्री बालकृष्ण कोल : इसके मायने यह नहीं कि रुपया खर्च हो गया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो रुपया १९६३-६४ में खर्च नहीं हुआ है, उसकी डिमाण्ड रखें यह उपयुक्त नहीं है। यह तो १९६४-६५ के साल में, जब चुनाव होंगे, खर्च होगा।

श्री बालकृष्ण कोल : मैं कह चुका हूं कि रुपया निकाला उसको निकालने के बाद रेगुलराइज करना है। हमें अधिकार नहीं है, इसलिए हाउस के सामने आया कि रेगुलराइज कर दे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पाता, जो कुछ फाइनेन्स मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, वह कितना सच और स्पष्ट है। वे एक तरफ मंजूर करते हैं कि रुपया खर्च नहीं हुआ और दूसरी तरफ वे कहते हैं, कन्टिजेंसी की बजट से रुपया निकाल लिया। आखिर जो रुपया खर्च नहीं हुआ है........

श्री बालकृष्ण कोल : कोई मद खोलनी पड़ती है, उपाध्यक्ष महोदय, तो रुपया खर्च करने से पहले उस मद में पैसा नहीं है तो मद में रुपया डालना पड़ता है। वह कन्टिजेंसी फंड से लेकर डाला गया है। उस कन्टिजेंसी फंड से लेने का अधिकार हाउस को है मुझे नहीं, इसलिए सामने रखा है।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : मै अर्ज करना चाहता हूँ, जो गलती की है उस फंड को निकालने की उसकी इजाजत देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। जो फंड उस साल, जिस साल डिमाण्ड रख रहे हैं, में खर्च नहीं कर रहें हैं तो इस तरह डिमाण्ड रखना अनुपयुक्त है।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

इसलिए मै कहना चाहता हूं कि यह रकम १६६४–६५, जिस वक्त चुनाव करने जा रहे हैं, में रखी जानी चाहिए।

जहां तक पंचायतों के चुनाव का सवाल हैं, अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था। मैं भी इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि जो वोटर लिस्ट पंचायतों के इलेक्शन के लिए तैयार की गई है और जो कि पंचायतों के हेड आफिसेज में भेज दी गई है, वह १६५२ के अन्दर जनरल इलेक्शन हुए उसके आधार पर है और उसी के अन्दर नाम जोड़े गये हैं, शुद्ध किये गये हैं। वह गैर कानूनी ही नहीं बल्कि न्यायसंगत भी नहीं है। उसके आधार पर कभी भी पंचायतों के चुनाव नहीं हो सकते। इसलिए १६६२ के अन्दर नई वोटर लिस्ट बनाई जानी चाहिए और इस प्रकार तैयार की हुई हो उसके आधार पर उसे पंचायतों में भेज कर चुनाव कराये जाने चाहिये। १६५२ की वोटर लिस्ट है उसके आधार पर पंचायतों के चुनाव कराना बिल्कुल न्यायसंगत इसलिए नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि उसमें एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों व्यक्तियों के नाम मिस हुए हैं और उस वोटर लिस्ट में नहीं हैं। इस के अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कि सारे के सारे चुनाव उस आधार पर कराये जायगें, जो कि पंचायत स्टडी टीम की रिकमन्डेशन्स होगी। उसी के आधार पर पंचायत एक्ट के अन्दर अमेंडमेंट होंगे। जब उसी के आधार पर चुनाव होने वाले हैं तो पता नहीं उसकी रिपोर्ट में पंचायत ज्यादा की जाय या कम की जाय। पता नहीं, क्या क्या तरमीम हों ऐसी स्थिति में उसके पहले चुनाव के लिए वोटर्स लिस्ट तैयार करना उपयुक्त नहीं समझा जा सकता। और इसलिए उस लिस्ट में जितना खर्चा हुआ है, मैं समझता हूं कि उसकी जिम्मेदारी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब और पंचायत विभाग की है क्योंकि उसमें इतना मिसयूज गवर्नमेंट के फंड्स का किया है जो नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरा, जो मेरा इसके अन्दर कटौती का प्रस्ताव है वह इस सम्बन्ध में है कि सरकार जिन लोगों से रुपया मांगती है वह समय पर वसूल नहीं कर पाती है। आज दिन तक इस मसले में, मैं कहता हूं बहुत कोशिश की और बावजूद कोशश के नाकामयाब रही। मैंने इस हाउस के सामने गये सेशन के अन्दर सिर्फ भीलवाड़ा जिले की लिस्ट बताई थी। उसके आधार पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मै फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में करीब सवा करोड़ रुपया बकाया है डिफरेन्ट तौर से वहां के लोगों पर तो राजस्थान के २६ जिलों के अन्दर कितने करोड़ रुपया राजस्थान सरकार का लोगों के ऊपर बकाया होगा। ऐसी स्थिति में भी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब अपने आपको एफीशियेन्ट कहते हैं। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि मेरा डिपार्टमेंट बहुत एफीशियेन्सी से काम कर रहा है, टैक्स की बहुत चोरियोंको बचाया गया है। रकम की वसूली का इतना दावा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आज प्रश्न के जवाब में बताया कि कितने लाख एक व्यक्ति के ऊपर पैसेन्जर टैक्स बकाया है। उसको वसूल नहीं कर सके हैं। इसी तरह से पंचायतों के अन्दर दी हुई तकावी का रुपया, सहकारी समिति को दिया हुआ रुपया और

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

इन्डस्ट्रीज के लिए दिया हुआ लोन है-वह कितने लोगों में बाकी है। मैं कहना चाहता हूं कि जितना रुपया दिया है वह सिर्फ उन लोगों में बाटा है जो सरकार को चलाते हैं, दूसरे लोगों में बांटा नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दस पर्सेंट लोग, जो अपोजीशन के हैं, को बांटा नहीं है बल्कि ६० पर्सेंट वे लोग हैं जो सरकार को चलाने वाले हैं, उनके भाई-भतीजे, रिश्तेदार, पार्टी के लोगों में यह बक़ाया है।

(व्यवधान) दूसरी तरफ मैं क हता हूं कि दस हजार रुपये की जमीन कांमर्शियल सिन्डीकेट के लिए दे दी मुफ्त के अन्दर। जिस जमीन के दस हजार रुपये मिल सकते हैं वह जमीन एक रुपये में सरकार देने के लिए तैयार होती है मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसी जमीनों के लगान को जो आपकी पार्टी के लोग है उनमें बकाया है और आप उनसे वसूल नहीं करते। आप अपनी पार्टी को जिन्दा रखने के लिये ऐसा करते हैं। मैं कहूँगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिये और उन रुपयों की वसूली करनी चाहिये ?

आपने तीसरी पंचवर्षीय योजना में लोगों पर २६ करोड़ के टैक्स लगाये। मैं आपसे कहता हूं कि जिन लोगों में आपका पैसा बाकी है वह २६ करोड़ से भी ज्यादा होगा और अगर उसे आप उनसे वसूल करते तो आपको किसी प्रकार का टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री और मुख्य मन्त्री इसमें अपने आपको असमर्थ पाते है और उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि ऐसा करने से ऐसा न हो की उनकी कुर्सियें हिल जाएं। उनको अभी कुर्सियों पर बैठे रहना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो कट मोशन मैंने दिया है उसको मानने में वे असफल हैं। अगर वे चाहें कि किन-किन से रकम बकाया है तो मैं बजट के समय में वह भी आपको बता दूंगा। १६५२ से लोगों में बाकी है और वे आपके ही लोग हैं। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि वे इस बकाया पैसे को वसूल करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरेश बिहारी।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बादृदार।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो अनुपूरक अनुदान की मांगे पेश हुई हैं उसमें पंचायतों के बारे में जो कुछ मांग है इस विषय में कुछ अधिक बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार को कोई वाजिब बात भी कही जावे तो सरकार का उस पर ध्यान नहीं जाता। पंचायतों के जनरल इलेक्शन के विषय में मेरी सबसे बड़ी मांग यह है, उपाध्यक्षजी, कि जब पंचायतों का चुनाव नवम्बर-दिसम्बर में करवाने का आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया तो सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि इलेक्ट्रो-रोल को रिवाइज करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक-एक पंचायत सर्कल में ५००-५००

(श्री मानसिंह महार)

नाम दर्ज नहीं हैं। एक-एक पंचायत सर्कल के अन्तर्गत जब आप नाम दर्ज नहीं करते हैं तो यह बात उचित नहीं है। जब वहां के लोगों को कहते हैं तो वे कहते हैं कि एस. डी. ओ. के दफ्तर में जाकर नाम दर्ज कराओ। आप जानते हैं कि एस. डी. ओ. के यहां १० या १५ हजार आदमियों का जब आना-जाना होता है तो आप समझें कि उसमें कितना खर्चा होता है। इसलिये सरकार से मेरी प्रथम मांग यही है कि लोगों के नाम वहीं दर्ज हों। मैं पहले तो इस बात का विरोधी था कि आपने चुनाव आगे सरका दिये जो नहीं सरकाने चाहिये थे। जब आपने सरका दिये और आपने हमसे डर कर ऐसा किया। आप हमसे डर गये। लेकिन अब जब आपने सरका दिये तो मैं यह चाहूंगा कि आप चुनाव करावें तो सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार हो और उनके नाम रॉल में हों। इसलिये उनके नाम दर्ज किये जावें और अगर ऐसा नहीं किया गया तो कई व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा। आपने इसलिये कि उन लोगों के नाम दर्ज नहीं हो, यह तरीका अपनाया है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि उन लोगों के नाम दर्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिये। यह तो एक मुद्दे की बात हुई।

दूसरी बात उपाध्यक्षजी, जो मैं कहना चाहता हूं वह एक बहुत गंभीर विषय की है। वह यह है कि अभी तक तो शायद सरकार पंचायतों के चुनावों के संबंध में यह समझती थी कि नॉन पार्टी बेसिस पर खड़े होकर आने वाले पंचों को वह अपनी पार्टी में मिला लेती थी और अपना काम निकाल लेती थी। अब पब्लिक ने उनकी चालाकी को समझ लिया और अब वे जानते हैं कि कि उनके परपंच बहुत कम जगह से चुन कर आवेंगे। इसलिये अब उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है। वह यह कि जहां उनके आदमी नहीं आते हैं वहां लड़ाई-झगड़े करते हैं। मैं उसकी ताजी मिसाल आपको दूंगा।

अभी ५ तारीख को पंचायत समिति, आमेर, मेरी कॉन्सटीटयूएन्सी आमेर में पड़ती है, वहां जयसिंहपुरा है, वहां दो औरतों और एक हरिजन का कोओपशन होना था। मैं आपको क्या बताऊं, में आपको वह मिसाल दूंगा जिसको सुन कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ५ तारीख से ७ रोज पहले कलेक्टर के पास मैं खुद गया था। सरपंच और दूसरे पंचो के हस्ताक्षर किया हुआ एक पारित प्रस्ताव ले कर गया था। उसमें एक दो आदमियों को छोड़ कर सभी के दस्खत थे और श्री गोकुललालजी मेहता, क्लेक्टर को कहा कि इस पंचायत के कोऑपशन में दूसरे गांव की महिलाएं आवेंगी तो इस गांव के ३०० आदमियों ने यह एलान किया है कि इन महिलाओं की इज्जत खराब करेंगे। कलेक्टर साहब ने कलेक्ट्रेट में बापना साहब हैं उनको लिखित आदेश दिया कि पुलिस सहायता की व्यवस्था की जावे। बापना ने उसे एस. पी. को लिख भेजा और एस. पी. ने सी. आई. सांगानेर को हिदायत की कि ४ तारीख के रोज या ५ तारीख की सुबह जयसिंहपुरा पहुंच जावें और शांतिपूर्वक चुनाव हो जाय। दुर्भाग्य का विषय है कि इन सब बातों के

(श्री मानसिंह महार)

बावजूद और वहां के रिटर्निंग आफिसर जो थे उनके पत्र लिखने के बावजूद भी, मैं आपको बताऊं कि कोई पुलिस का प्रबन्ध नहीं था और मैं आपको बताऊं कि उनको ३०० आदमियों ने जादपुरा में ही रोक दिया। इसकी सूचना तीन महीने पहिले दी गई थी कि इसका प्रबन्ध किया जाए। आप ताज्जुब करेंगे कि इतने आँर्डर हो जाने के बाद भी पुलिस समय पर वहां पर नही पहुंच पाती है और वह ५ तारीख की शाम को पहुंचती है। यह बड़े शर्म की बात है। उनकी पार्टी के लोग यहां पर आये और असेम्बली के कमरे में आकर बैठे और मंत्रियों ने उनसे परामर्श किया। मैं इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूं और आरोप लगाता हूं, इस कारण पुलिस वहां पर समय पर नहीं पहुंचती। मैं यह कहूंगा कि सबसे पहले आप उस सी. आई. को सस्पेन्ड करिये जो वक्त पर वहां आँर्डर होते हुए भी नहीं पहुंचा। इसका नतीजा यह हुआ कि कि जिस पार्टी का बहुमत था उन्होंने दूसरी पार्टी से कहा कि एक औरत तुम्हारी ले लो और एक औरत और एक हरिजन हमारा ले लो। जब यह आपस में तय हो गया तो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए उनको जाने दिया अन्यथा नॉमिनेशन पेपर फाइल करने तक को नहीं जाने दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके यह तौर और तरीके बिल्कुल गलत हैं। मैं यह कहूंगा कि आप इस प्रकार के तौर और तरीके काम में लेकर जनतंत्र की कब्र खोद रहे हैं। आप जनतन्त्र के आधार पर तो जीवित ही हैं अगर आप यह समझते है कि आप पाकिस्तान की सी हरकतें करके जिन्दा रह सकेंगे तो यह नहीं होगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर पंचायतों के चुनाव राजस्थान में निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए तो राजस्थान सरकार की कब्र खुद जाएगी। इसलिये मैं आपके जरिये क्या वित्त मंत्री क्या पंचायत मंत्री, क्या चीफ मिनिस्टर या और कोई मंत्री हो उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जावे। चुनाव हो जाने के बाद पुलिस वहां पहुंचती है। चुनाव करा कर जब हम वापिस आए तो पुलिस अधिकारी सरपंच को रास्ते में मिले। इसका क्या कारण है? वे वहां जब उनको आदेश मिल गये थे तो समय पर क्यों नहीं पहुंचे? इसलिये उस सी. आई. को फौरन सस्पेन्ड किया जाए। यह नहीं हो कि इसको सरकार अपनी प्रेस्टिज का पॉइन्ट बना लिया जाए।

इसके अतिरिक्त एक सरपंच जो १० साल से बराबर वहां बारां में पड़ा रहा उसका तीन बार चुनाव नहीं हुआ। प्रथम बार तो यह कह कर उसका चुनाव टाल दिया गया कि पंचायत को इसकी इतला नहीं मिली। दुबारा तारीख मुकर्रर की तो एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आँफिसर वहां नहीं आये। उनके घर पर मैं गया मगर वे अपने घर पर नहीं थे। दुबारा फिर गया तो कहा कि चुनाव कराने गये हैं। मगर उन्होंने लिख कर भेज दिया कि मेरी तबियत खराब है।

दुबारा चुनाव स्थगित हुआ, तीसरी बार तारीख निश्चित की गई। तो जयपुर जिले में ४० पंचायतों में जब इस बात को लेकर चुनाव हो चुके थे कोऑप्शन महिलाओं का नहीं हुआ तो भी चुनाव करा दिये पर यहां से

(श्री मानसिंह महार)

क्लेक्टर ने ऑर्डर भेजे, स्पेशल मेसेन्जर गया जिस समय नोमिनेशन फाईल हो रहे थे उस समय चुनाव को सरकाया गया। तीन बार चुनाव को स्थगित कराने के बाद इस प्रकार की कार्यवाहियां की जाती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगाइये इसके पीछे क्या राज हो सकता है ? इसके पीछे राज है। गत वर्ष न्याय पंचायत का सदस्य रिटायर हुआ, एक आदमी को विक्टिमाइज़ करने के लिए इस प्रकार की कार्यवाहियां की जाती हैं, वहां के प्रधान, उपप्रधान और जितने बड़े-बड़े नेता हैं वे सब जीवनराम जो न्याय पंचायत का सदस्य था उसको विक्टिमाइज करने के लिए यह सब कार्यवाहियां करवा रहे हैं। वह अब भी खड़ा होगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह जीतेगा। आप ऐड़ी से चोटी तक का जोर लगा लें वह जीतेगा। उसको नहीं आने देने के लिए इस तरह चुनाव सरकाये जाते हैं। सी० आई० को प्राइवेट इन्स्ट्रक्शन्स दी गईं कि बाद में जाना। मैं अभी इस सदन में घोषणा करना चाहता हूं कि मैं जो सदन में बात कहता हूं आप इसकी जांच करवा लीजिए, अगर एक बात गलत हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : कितनी बात इस्तीफा दोगे ?

श्री मानसिंह महार : मैंने रिश्वत की बात कही तो कहा कि प्रिविलेज़ कमेटी को रेफर किया गया है, वह भी आया नहीं·······

श्री मथुरादास माथुर : आ रहा है।

श्री मानसिंह महार : मैं तो खुश हूँ, आप आवें तो सही उस गेलेरी में। प्रिविलेज कमेटी में दें तो हम भी वहां गवाह शहादत तो पेश करें, अपनी पोज़ीशन को क्लीयर करें।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि पंचायतों की जो इस तरह की बातें हैं वे बहुत गलत हैं। आप गांवों में इस प्रकार की अराजकता फैलाने की कोशिश न करें, खास करके जयपुर जिले में। आप बौखला रहे हैं, आप देखते हैं कि जयपुर जिले से असेम्बली तो गई, अब पंचायतें भी जायेंगी।

श्री मथुरादास माथुर : असेम्बली गई कहां, बैठे हैं।

श्री मानसिंह महार : आप बैठे हैं तो क्या है, जयपुर ज़िले का तो कोई नहीं है।

श्री मथुरा दास माथुर : क्या फर्क पड़ता है। हम बैठे हैं तब तक तो कुछ नहीं।

श्री मानसिंह महार : जयपुर जिले के आपके साथ होते तो आप गृह मन्त्री भी होते। जयपुर जिले का कोई नहीं है इसलिए आप उड़ा दिये गये। जयपुर के होते तो जयपुर और जोधपुर मिलकर आपको गृह मन्त्री बनाये रखते पर जयपुर के नहीं होने से अब मेवाड़ का आधिपत्य हो गया है और आप निकाल कर फैंक दिये गये हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करूं कि········

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

(श्री जोधसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज देख रहा था रामानन्द जी और मुरलीधर जी आधा आधा घंटा बोले हैं, मैं नोट कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जानता हूँ आप जनतन्त्रीय पद्धति को ज्यादा अच्छा समझते हैं, दूसरे मेम्बरों को भी समय मिल जायगा नहीं तो They will have to suffer guillotine.

श्री मानसिंह महार : गिलोटिन तो आना ही है। एक और निवेदन कर दूं और इसलिए कर दूं कि मुख्य मन्त्री जी आ गये हैं मुझे दुःख इस बात का है उपाध्यक्ष महोदय, कि यहां सदन में जो बातें कही जाती हैं उनको एक कान से सुन कर दूसरे कान से निकाल दिया जाता है। मुख्य मन्त्री जी विद्यमान हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि वे बहुत बड़े डेमोक्रेटिक लीडर हैं। मैंने पिछली बार हीरापुरा पंचायत का जिक्र किया, मुमकिन है आप....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आप वाक आउट कर गये थे।

श्री मानसिंह महार : मैं आपका जवाब पीछे बैठा बैठा सुन रहा था, आपने उसका जिक्र नहीं किया।

श्री मथुरादास माथुर : यह पीछे बैठ कर सुनने का तरीका गलत है।

श्री मानसिंह महार : तो आप वॉक आउट का कह कर निकल नहीं सकते। कोई कमजोरी की बात हो तो........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोई कमजोरी की बात नहीं, एन्क्वायरी के लिए रेफर कर रहे हैं और एन्क्वायरी करके जो एक्शन आवश्यक होगा वह लिया जायगा।

श्री मानसिंह महार : मुख्य मन्त्री जी का रेफर करना कितना लम्बा होता है, उनकी नींद कितनी लम्बी होती है, तीन वर्ष हो गये रेफर करने का कहे को। हम तो समझते थे कि एन्क्वायरी होकर के वह सरपंच घर चला जायेगा तो जनता सुख की सांस लेगी। ऐसा क्लीयर कट गबन का केस और कोई हो नहीं सकता, उसको अब भी रेफर किया जाय। दो वर्ष तो आपके जो पी० ए० रहे थे और बाद में दुर्भाग्य से हमारे यहां जयपुर में एस० डी० ओ० आये, वे जीम गये, उन्होंने कुछ नहीं किया, यह तरीका अच्छा नहीं है, आप इन कुर्सियों पर बैठे हैं, मनचाही कर लीजिए, पर आपके बाद में आने वालों के लिए कुछ परम्परायें छोड़नी हैं, आपकी जगह दूसरे आकर बैठेंगे, आपके काम को लम्बी ढील दे कर करेंगे तो उस समय आपको बड़ा दुख होगा हम तो आपके कारनामों के आदी हो गये हैं, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे पर जब आप इधर बैठोगे और दूसरे लोग उधर बैठेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा।

इसी तरह रामपुरा रूपा है जयपुर में, आप वहां की जमीन की बिक्री की किताब फ्रीज कर लें तो आपको पता चलेगा कि जयपुर के १० माइल के रेडियस के एरिया में क्या २ होता है। वहां के अधिक वोटर तो भैरोंसिंहजी की किशनपोल कान्स्टीट्यूएन्सी में आते हैं, मेरे तो कोई १०० के करीब आते हैं। वहां के सरपंच साहब ने अनाप शनाप जमीन बेच दी है। आप जांच करेंगे तो पता चलेगा, मैं पहले ही चेतावनी दे दूं, दो चार आपके मित्र

(श्री मानसिंह महार)

लोग, नेता लोग भी शामिल हैं, उनके भी नाम आ जायेंगे, फिर दबाने की कोशिश हो तो पहले ही मत करना, यह मैं आपको पहले से ही चेतावनी दे दूं, फिर लिहाज मुरौवत में रह जायेंगे, आपका रेफर करना और भी लंबे से लम्बा हो जायगा। जयपुर के १० मील के रेडियस के अन्दर जो कान्स्टीट्युएन्सी है, उस कान्स्टीट्युएन्सी से मैं आता हूं, वहां ६० प्रतिशत नेताओं ने जमीन अलाट कराई। मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं, मैं खड़ा ही ऐसी जगह से हो गया, क्या करूं, मेरी कान्स्टीट्युएन्सी में जो अनियमितताएं होती हैं और वे अनियमितताएं सुखाड़ियाजी की सरकार के मददगार लोग करते हैं, इस बात का दुख है। मैं मन्त्रियों पर चार्ज लगाता हूं, यह गलत है....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह तो आपकी आदत है।

श्री मानसिंह महार : दरअसल डवलमेंट डिपार्टमेंट पर यह आरोप लगाना चाहिये, यह डिपार्टमेंट एक निकम्मा डिपार्टमेंट है, वहां पर शिकायत करना ही कागज को वेस्टपेपर बास्केट में डालना है।

पंचायत मंत्रीजी ने जवाब दिया कि यदि पंचायती राज्य को जिंदा रखना है तो इन चीजों को थोड़ा धीरज से लाना होगा, ऐसी बात कही........

श्री भीखाभाई (पंचायतमंत्री) : अनियमितताओं को गबन नहीं मानना पड़ेगा, यह मैंने कहा था।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : On technical grounds.

श्री मानसिंह महार : मैं कहता हूं कि ऑन टेक्निकल ग्राउन्ड्स गबन मत मानिये, पर डकैतियों की चोरी तो मानिये, डाकू को चोर तो मानिये।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : डकैत को डकैत मानेंगे, चोर नहीं मानेंगे।

श्री मानसिंह महार : तभी तो हटा दिये गये, मुझे तो शर्म आती है उस जगह बैठ कर यह बात कहते हो।

श्री मथुरादास माथुर : आपको दुख क्यों होता है ?

उस नोटिस की भाषा पढ़िये........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : आपने रामपुरा कहा। आपका रामपुरा रूपा से मतलब है।

श्री मानसिंह महार : जी हां। आपने प्रधान सिकराय को नोटिस दिया है कि क्यों न आपको सस्पेंड किया जाय, वह यदि इस सदन में पढ़ा जाय तो अच्छा है। मुझे मालूम नहीं था कि मंत्रीजी यह कह देंगे कि अनियमतता को गबन नहीं माना जायगा। आप सबको एक ही लकड़ी से हांकिए। आपने प्रधान झोटवाड़ा को सस्पेंड किया लेकिन अब अंदर अंदर कोशिश चल रही है रीइन्स्टेटमेंट की, यह बहुत गंदी बात है।

श्री मथुरादास माथुर : आपको क्या मालूम ?

श्री मानसिंह महार : रोज बेचारा आपकी खुशामद के लिए खड़ा रहता है, श्री मनफूलसिंह के द्वार पर बेचारा भटकता रहता है। अगर आप और भी आगे कहलाना चाहते हों तो मैं कह दूं।

श्री चन्द्रसिंह बरपा (बिलाड़ा) : अब आपके दरवाजे पर बैठेगा।

श्री मानसिंह महार : मेरे दरवाजे पर क्या आएगा? यह तो आपने तस्लीम कर लिया कि वह वहां जाता है। हीरापुरा सरपंच लाखों रुपये का गबन करे, अनियमितता करे, अन्याय करे, उस पर कोई एक्शन नहीं लेकिन झोटवाड़ा का प्रधान मामूली सा काम करे, उस पर सस्पेन्शन, यह घोर अन्याय है। आमेर म्यूनिसिपेलिटी के चेयरमैन को सस्पेंड किया जाता है इस बात पर कि तुम पटेल हो, यह ऑफिस ऑफ प्रोफिट है। हमने श्री बरकतुल्ला खां से कहा कि पटेल ऑफिस ऑफ प्रोफिट में नहीं आता। आपने क्या कहा "बोले नहीं, यह ऑफिस ऑफ प्रोफिट है।" फिर वहां कुछ पैसा पहुंच गया। मैं फिर रिपीट करता हूं कि उसकी फाइल मंगाई जाय और सदन को दिखाई जाय कि उस आदमी को क्यों सस्पेंड किया और क्यों रीइन्स्टेट किया। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा और सिर्फ स्पेसिफिक मैटर्स रेज करूंगा। नंदाजी करप्शन दूर करने की बात कहते हैं और आप भी कहते हैं कि यह हो और वह हो। तो फिर आमेर म्यूनिसिपेलिटी की फाइल मंगाइए। आप देखिए भूराराम माली चैयरमन को सस्पेंड किया, उसको रीइन्स्टेट किया और कहा गया कि पटेल ऑफिस ऑफ प्रोफिट है, वह आज दिन भी पटेल है, उसका पटेलपन खतम नहीं हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन एक पर्टीक्युलर मैटर में उसने यह कहा कि एक पर्टीक्युलर वोट न दिया जाय, उसका नुकसान किया गया। यह तो पंचायती राज है।

इसके अंदर कमानीज को बड़ी रकम देने का प्रावधान है। मीटर्स बनाने का कारखाना खोलेंगे। १० रुपये की कीमत का मीटर बनाते हैं और ४०-४५ रुपये में बेचते हैं, मुनाफे की भी कोई हद होती है। १० के ४५। फिर भी कहते हैं कि इस कारखाने को चलाने के लिए पैसा नहीं है। हमारी तो दातार सरकार है, पैसों के भंडार भरे हुए हैं, इनके पास बहुत पैसा है क्योंकि इन्होंने जनता का बहुत खून चूसा है। लेकिन जब किसी हायर सेकंडरी स्कूल या अस्पताल खोलने की बात करेंगे तो कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं लेकिन कमानीज को देने के लिए ४ लाख रुपए जरूर आ जायंगे। मुबारक हो इस सरकार को, यह समाजवाद है या पूंजीवाद का नग्न रूप है।

अब अंत में नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तीन-चार बातें कहीं उनके बारे में मैं कहता हूँ। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र पार्टी की पाकिस्तान से सांठगांठ है। मैं कहता हूँ कि इस प्रकार की बातें जो भी कोई कहता है, वह निरा मूर्ख है। स्वतंत्र पार्टी भारत की आजादी के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : This word is unparliamentry.

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय तो फूल (fool) कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : फूल भी अनपार्लियामेंटरी है।

श्री मानसिंह महार : तो मैं इन दोनों शब्दों को वापिस लेता हूँ। मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार की बातें कहते हैं उनमें कुछ अक्ल की कमी है, वे निराधार बात कहते हैं। मैं समझता हूं कि स्वतंत्र पार्टी ने भारत की भलाई के लिए जितना कार्य किया है उतना और किसी ने नहीं किया। हमारी नीति देश को ऊंचा उठाने की है। हम उनमें से नहीं हैं जो पाकिस्तान के साथ सांठगांठ कर लें, कल चाउ-एन-लाई को चुपके चुपके लिख दें। भारत की हजारों वर्ग-मील जमीन पर जिन्होंने कब्जा कर लिया और हम चुप बैठे ही रहें। स्वतंत्र पार्टी कहती है कि उस जमीन का चप्पा चप्पा वापस लो। अगर पाकिस्तान भी गलत काम करता है तो उसके विरुद्ध कदम उठाओ स्वतंत्र पार्टी वह पार्टी है जिसमें भारत की फौज के बड़े से बड़े अफसर भी आते हैं, जनरल करियप्पा स्वतंत्र पार्टी में आते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि यही एक पार्टी है जो दम भर सकती है कि हम चीन को देश से निकाल सकते हैं, यही एक पार्टी है जो यह कह सकती है कि हम पाकिस्तान को भारत में नहीं आने देंगे, यह मैं दावे के साथ कहता हूं।

मैं समझता हूं नसीराबाद से आने वाले मेरे मित्र कभी कभी कम अकली या नासमझी की बात कह जाते हैं। उन्होंने कहा कि महाराजा जयपुर मिलिटरी यूनीफार्म में महुआ गए। यह गलत है, वे हरी जर्सी पहने हुए थे, मैं तो हर वक्त उनके साथ था। मैं उनकी देशभक्ति का नमूना बताता हूं। जो भी मीटिंग्ज में भाषण हुए चुनाव की बात दो मिनट कही होगी, बाकि तो यही कहा कि देश के ऊपर बाहरी हमले के बादल मंडरा रहे हैं, मैं मीनों और गूजरों से अपील करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में फौज में भर्ती हों। और आप लोगों के ऊपर तो उस समय चुनाव का ही भूत सवार था। सिवाय इसके कि हमको वोट दो, और कोई बात नहीं थी। मुख्यमंत्री जी कह दें कि मैंने चुनाव भाषण में कहा कि फौज में भर्ती होओ। कारण मैं जानता हूं। महाराजा जयपुर ने चुनाव के बारे में एक मिनट एक-दो जगह कहा।

एक माननीय सदस्य : भाषण हो रहा है या....

श्री मानसिंह महार : आपको जलन क्यों है। एक्स गृहमंत्री कह दें, अगर यह बात सच्ची न हो तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : (विधि मंत्री) कितनी बार देंगे ?

श्री मानसिंह महार : मैं तुम्हारी तरह थोड़े ही डरूंगा। मैं ईमानदारी की बात कहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक्स गृह मंत्री इस चैलेंज को स्वीकार करें कि महाराजा जयपुर मिलिटरी ड्रेस में गए। यह जरूर उन्होंने कहा कि लोगों को मिलिटरी में भर्ती होना चाहिए। मैं उस राजा की महानता के बारे में कहता हूं।

(१२.०० मध्यान्ह)

कि उसने चुनाव की मीटिंग में जाकर भी देश के बारे में कहा कि देश पर विपत्ति आयी हुई

है, देश पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने कहा। उनके कृतज्ञ आप नहीं होते हैं। कृतज्ञता प्रकट कीजिये कि उस आदमी की महानता है कि गये दूसरे काम से, लेकिन देश का ध्यान उनके दिमाग में था। वह तो आप नहीं कहेंगे। मिलिट्री का नाम ले लिया तो कह दिया कि यूनिफार्म में थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यही कह कर, माननीय उपाध्यक्षजी, उप गृह मंत्रीजी ने गलत बयानी सदन में की वे अपने शब्दों को वापिस ले लें क्योंकि वे किसी भी महान् व्यक्ति से कम नहीं हैं, गृह मंत्रीजी नहीं तो गृह मंत्रीजी की कुर्सी पर डटे हुए हैं। ये चन्द शब्द कह कर आपकी आज्ञा से स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थी सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री ए. जब्बार।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स पर वाद विवाद हो रहा है। मेरा कटौती प्रस्ताव मांग संख्या ३५ मुख्य शीर्षक ३१ मिसलेनियस पर है और मैं इस विषय को सदन के सम्मुख उठाना चाहता हूं कि जो सहायता नगरपालिकाओं को दी जाती है उसमें अनियमितता बरतो जाती है और कहीं कहीं यह भी सुनने में आता है कि पक्षपात की भावना बरती जाती है। इस सम्बन्ध में स्वयं लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट मिनिस्टर साहब से मेरी बातचीत हुई कि यह स्थिति पायी जाती है और हकीकत में पक्षपात बरता जाता है। निम्बाहेड़ा का उदाहरण मौजूद है। डवलपमेन्ट का पैसा नहीं पहुंचता है। नगरपालिका मांग करती है। कल ही मैं वहां से आ रहा हूं। पैसा नहीं पहुंचा है।

इस तरह की बातें बताता हूं कि किस प्रकार पक्षपात की भावना बरती जाती है। एक तरफ सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि एन्टरटेनमेंट टैक्स वसूल कर नगरपालिकाओं को दे देंगे। अधिकारों से आप मत डराइये। जो अधिकार पाने वाले अधिकारी हैं, वे आपसे अधिकारों की भीख क्यों मांगे ? यदि वे अधिकारों की भीख मांगते हैं तो एक भिखारी की सी हीन भावना उनमें आती है। जो अधिकारी हैं और जो उनके अधिकार हैं उनको वे मिलने चाहिये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसप्रकार के ट्रान्जेक्शन के लिए आज जिस तरह से सरकार उगाहती है वह न उगाह कर नगरपालिका यह स्वयं उगाहे और उसका जो बंधा हुआ पैसा है उसको वह लम्प सम अपने हैड में जमा करा ले और बाकी का सरकार के हैड में जमा करा दे। इसलिए सरकार के सामने दामन फैलाने की और हीनता की भावना आती है, नगरपालिकाओं में एक नीचा स्तर अपने बारे में सोचने की भावना होती है, महसूस होती है। वह भावना इससे दूर होगी।

दूसरा मेरा पोइन्ट है कि राज्य सरकार नगरपालिकाओं को इसलिए पैसा देती है कि उनका काम अच्छा हो। जिन नगरपालिकाओं को सरकार धन देती है इसलिए कि अपनी स्थिति अच्छी करे और जनहित में काम करे, सरकार इस प्रकार का प्रतिबन्ध भी रखती है कि किसी प्रकार का गैर कानूनी काम न करे।

Page No. 90

(अब्दुल जब्बार)

जब इस प्रकार की गैर कानूनी कार्यवाही को सरकार के सामने लाया जाय तो बगैर किसी हील हुज्जत के तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। भ्रष्टाचार मिटाने की बात चारों तरफ से सुनायी देती हैं। देश के प्रधान मंत्री स्वयं कहते हैं भ्रष्टाचार है। हमारे मंत्री भी कहते हैं भ्रष्टाचार है। है तो दूर क्यों नहीं करते? एक उदाहरण एटीच्यूड का देता हूं। आई. ए. एस. आर. ए. एस. मिनिस्टर साहबान बिराजमान हैं। ला ग्रेजुएट लोकल सेल्फ मिनिस्टर साहब हैं। इतना ब्लन्डर करके भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं।

निम्बाहेड़ा वह जगह है जहां म्युनिसिपल एरिया है। १५,१६ हजार की आबादी का एरिया है। सब डिविजनल आफिस है। गन्ने की काश्त काफी होती है। जो भोपालसागर मिल्स को जाता है। हमारी बदकिस्मती रही कि नगरपालिका के सदस्यों ने ओक्ट्रोय वसूल करना शुरु कर दिया है। डाइरेक्ट ट्रान्जेक्शन होते हैं। पी. डब्ल्यू. डी. की सड़क पर होकर कांटा लगा हुआ है वहां, वहां तुल कर सीधा गन्ना रेलवे गाडाउन में चला जाता है। मंत्री महोदय यहां अभी विराजमान नहीं हैं, वित्त मंत्री महोदय विराजमान हैं, पैसे का बटवारा अपने हाथों से करते हैं। सोने की छुरी है पेट में घुस कर पेट फाड़ सकती है और आंतों को बाहर निकाल सकती है, उस छुरी को तोड़ भी सकते हैं। यह रिपोर्ट कहती है।

कार्यालय जिलाधीश, जिला चित्तौड़गढ़ क्रमांक जी। १६ - १। ६१। ७३ दिनांक ८ जनवरी, १९६३ ई.

वास्ते श्री अब्दुलजब्बार, एम. एल. ए., निम्बाहेड़ा

विषय : गन्ने की काश्त एवं सेल की आक्ट्राय के सम्बन्ध में

उक्त विषय में पत्र आपका दिनांक ४. १. ६३ प्राप्त होने पर लेख है कि मैंने इस सम्बन्ध में अध्यक्ष नगरपालिका, निम्बाहेड़ा व उप जिलाधीश, महोदय, निम्बाहेड़ा से पूछताछ की है, उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जैसी भी स्थिति होगी शीघ्र उचित कार्यवाही की जावेगी।

इस सम्बन्ध में मेरी एक मांग थी कि यह गन्ना डाइरेक्ट जाता है उस पर ओक्ट्रोय नहीं लगनी चाहिए। मैंने मिनिस्टर महोदय को चिट्ठी लिखी ४.१.६३ को पहुंची होगी। यह जनतन्त्र की सरकार कहलाती है। कहती है कि यह सरकार जनता की आवाज सुनने के लिए तत्पर रहती है। लेकिन मुझे अफसोस है कि उनको जवाब देने के लिए पन्द्रह पैसे का लिफाफा नहीं मिला तो नहीं सही १० पैसे के इन्लेन्ड लेटर पर ही मुझे सूचना दी जा सकती थी। एक एम० एल० ए० चिट्ठी लिखता है लेकिन सरकार को यह भी सोचने की फुरसत नहीं मिली कि उनका जवाब तो कुछ दिया जाय। जब सरकार इस प्रकार की इररेगुलेरिटीज़ नहीं रोक सकती तो भ्रष्टाचार कैसे रोक सकेगी।

अतः यह कटौती प्रस्ताव रखकर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसान देश की उन्नति के लिए जिम्मेदार है। उसका

(श्री अब्दुल जब्बार)

श्रेय उसको प्राप्त नहीं होता। आज देश में मजदूर और किसान न हों, तो देश की कमर टूट जाय। जो किसान गन्ने की गाड़ी लेकर निम्बाहेड़ा में कांटे पर तुलवा कर रेल्वे स्टेशन के गोडाउन पर गन्ना ले जाता है फिर उस किसान से ओक्ट्रोय किस बात की? मंत्री महोदय इस समय यहां नहीं हैं। वे इस बात का क्लेरिफिकेशन दें। अन्यथा मैं कहूंगा कि गैर कानूनी कार्यवाही होती है और सरकार की छत्र छाया में पलती है जो स्वायत्त शासन के रूप में कायम है। सरकार, को इन्टरफीयरेंन्स का हल होते हुए भी वह इन्टरफियर नहीं करती है इस प्रकार के नाजायजी कामों में।

सरकारी धन का दुरुपयोग न हो और वह ठीक तरह से काम में लाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा नगरपालिका बोर्ड के एक सदस्य और एक्जीक्यूटिव ऑफीसर इलैक्ट्रिक के ब्रेकेट्स खरीदने जाते हैं। इस मसले को दो साल हुए सरकार के सामने रखा गया था। कम से कम सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। ब्रेकेट्स (२४, २५) में खरीद कर लाये गये थे। बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें यह तय हुआ कि इसमें अनियमिततायें हुई हैं। वित्त मंत्री पैसा देते हैं। इन्दौर जाकर एग्रीकल्चर टूल्स बेचने वाले की दुकान है। उससे इलैक्ट्रिक का सामान खरीदा जाता है। उसको नाजायज तरीके से पेमेन्ट होता है। नगरपालिका के सदस्य और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इससे लाभान्वित होते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): मैं अभी तक समझा नहीं, माननीय सदस्य क्या चाहते हैं? जो अनुदान म्युनिसिपैलिटीज को दिया जाता है क्या वह नहीं दिया जाय?

श्री अब्दुल जब्बार: म्युनिसिपैलिटीज़ को पैसा दिया जाय, इसमें मुझे एतराज नहीं लेकिन जो खर्चा होता है उस पर नियन्त्रण रखा जाय। घोड़े को खिलाते पिलाते हैं लेकिन उसकी लगाम अपने हाथ में रखते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल: मैं तो बांटा देने वाला हूं, लगाम मेरे हाथ में नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार: घुड़सवार अगर होशियार है तो वह अपने हाथ में ली हुई लगाम को इस तरह से पकड़ेगा कि वह गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप पैसा दीजिए, लेकिन उस पर अंकुश रखिए कहीं पक्षपात तो नहीं होता है, ठीक तरह से वह खर्च हो रहा है या नहीं। यह भी देखने का काम है, नहीं तो दिन रात टैक्स ही लगाते जायेंगे। ऐसी सूरत में मेरा यह निवेदन है कि जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसका मकसद यह है कि इन आधारों पर नगर पालिकाओं की जांच होनी चाहिए। जो धनराशि सरकार देती है। उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए।

अभी अभी मैंने पंचायत सम्बन्धी रिपोर्ट को देखा है उसमें लिखा है कि इतना खर्चा पंचायतें अमूमन करेंगी।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ऐसी दर्दनाक बात कहूंगा जिससे मालूम हो जायेगा कि इस पंचायत राज्य में भी किस किस प्रकार के जुल्म किये जाते हैं।

घोसुन्डा नाम की पंचायत है उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर हलवाई मिठाई बनाते हैं, तीन चार हजार की आबादी वाली पंचायत

(श्री अब्दुल जब्बार)

है वहां पर प्रोफेशनल टैक्स लागू है वहां पर जो चमार चमड़े का काम करते हैं उनसे टैक्स वसूल किया जाता है। आप महात्मा गांधी की मूर्ति लगाकर यह दावा करते हैं कि हम अछूतोद्धार का कार्य कर रहे हैं। लेकिन वहां पर चमारों पर उनके धन्धे का टैक्स लगाया जाता है।

सड़क का हाल कैटल ब्रीडर्स फ़ार्म की तरह है, इससे तो कैटल्स के रहने की जगहें अच्छी हैं, वहां पर ग्राम पंचायतें हमारे प्रोफेशन पर टैक्स चार्ज करती हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं माननीय सदस्य से जानकारी चाहता हूं कि इस बारे में सरकार क्या करे।

श्री अब्दुल जब्बार : सरकार से यह निवेदन है कि जो रुपया दिया जाय उसको चैक करे कि वास्तव में वह खर्चा हुआ या नहीं और जो टैक्स रियलाइज़ किए जाते हैं वे वास्तव में लेने लायक हैं या नहीं?

श्री बालकृष्ण कौल : ये पावर्स टैक्सेशन के पंचायतों को दे रखे हैं, जो ज़ायज वे समझते हैं लगाते हैं। उनको पॉवर्स हैं, सरकार उसके लिए क्या करे।

श्री अब्दुल जब्बार : सरकार ने युनिवर्सिटी का सिन्डीकेट बनाया है, वह यदि गलत काम कर ले तो उसकी रेमैडी तो होनी चाहिए।

श्री बालकृष्ण कौल : तो आपका मतलब है कि टैक्सेशन के पॉवर्स जो इनको हैं वे ले लिए जांय।

श्री अब्दुल जब्बार : मेरा मतलब है टैक्स हों, लेकिन कैसे हों यह आप सोचिए। यह हम भी मानते हैं सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन जनता पर कैसे टैक्स लगने चाहिए यह आपको सोचना चाहिए।

श्री बालकृष्ण कौल : यह सलाह पंचायतों को दी जाय तो ज्यदः मुनासिब होगा।

श्री अब्दुल जब्बार : म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायतें जिस प्रकार का टैक्स लगाती है उसमें इस प्रकार के टैक्स होने चाहिए जो प्रोफेशन पर न हों, पर्सनल टैक्स बन्द होना चाहिए। जो मैंने अनियमिततायें और धन का दुरुपयोग की मिसालें निम्बाहेड़ा म्युनिसिपैलिटी के बारे में कही हैं उनकी जांच की जाय। हमारा जो पैसा लगता है उसका सही रूप से युटिलाइजेशन हो वरना ये स्वायत्त शासन संस्थायें खत्म हो जायेंगी। आज ये पैसा खाकर छोटे छोटे जागीरदार पनप रहे हैं........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि पौन बजे यह विवाद समाप्त होगा और बाद में सरकारी पक्ष की तरफ से जवाब होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल(कोटा) **:** पहले तो एक बजे तक वाद-विवाद चलने की बात थी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री चौसरसिंह बाबेल।

(अनुपस्थित)

श्री चन्द्रसिंह बरफा (विलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री उमरावसिंह जी ढाबरिया के बाद मेरा नाम था, मुझे भी बोलने का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बरफा। समय कम ही लें।

श्री चन्द्रसिंह बरफा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव मांग संख्या ३५ विविध के संबंध में है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, Point of Attraction Sir कन्सर्निंग मिनिस्टर तो हैं नहीं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है।

श्री चन्द्रसिंह बरफा (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है उसमें मैंने सरकारी रकम के अपव्यय के संबन्ध में ध्यान आकर्षित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने एक्स्टा ग्रान्ट की मंजूरी के लिये प्रस्ताव आया है इसकी आवश्यकता नहीं होती अगर सरकार बड़े बड़े लोगों में जो रकम बकाया है उसकी वसूली समय पर कर लेती। दिनांक ३-३-६४ को एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि माइन्स के ठेकेदारों में केवल भीलवाड़ा क्षेत्र में २० लाख रुपये की बकाया है। बीस लाख की बकाया और वह भी माइन्स के ठेकेदारों में, वह भी सरकार वसूल नहीं कर पाती है। इस तरह से आप देखेंगे कि जैसा कि इस मांग में बताया गया है कई सरकारी कर्मचारियों में जैसे कलेक्टर कोटा में, बूंदी के कलेक्टर में इस तरह की बकाया है लेकिन वह वसूल नहीं होती। रकम की वसूली हुई वह कहां से हुई है अकाल के संबन्ध में जो लगान की रकम स्थगित हो गई थी उसकी कुछ बकाया थी वह वसूल की गई है और वह भी किस दर्दनाक तरीके से कि उन किसानों के बैल कुर्क किये गये, गाड़ियां कुर्क की गई। इस तरह से इनसे रकम वसूल की गई। दूसरी तरफ माइन्स के ठेकेदार हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे कोई वसूली नहीं हुई। अगर वसूली हो जाती तो इस तरह की नौबत दूसरे आदमियों के साथ नहीं आती।

स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारी सरकार इस स्थान पर होती तो हम इस तरह की व्यवस्था करते जिसमें किसी को टैक्स नहीं करते मगर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कई ठेकेदारों में जहां आज बड़ी बड़ी रकम बकाया है, बड़े बड़े जागीरदारों में रेख चाकरी की रकम पड़ी है वह वसूल अब तक नहीं हुई इसके लिये निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता कि वह कितनी रकम है। पोकरण के ठिकाने में करीब पांच लाख की बकाया है इतनी बड़ी रकम स्वतंत्र पार्टी के नेता जागीरदारों में बकाया है उसके लिये किसी भी स्वतंत्र पार्टी के सदस्य ने नहीं कहा। बार-बार किसानों से वसूल करने की बात करते है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : इसका स्वतंत्र पार्टी से क्या संबंध है?

श्री चन्द्रसिंह बरफा : स्वतंत्र पार्टी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जागीरदारों की पार्टी है और इस प्रकार के जागीरदार आपकी पार्टी में हैं।

तीसरी बात जो मैं हाउस से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि मैंने कोऑपरेटिव की कई मीटिंगों में भाग लिया है और मैंने सब में कहा है कि किसानों को जो भी कर्जा दिया जाय वह एक सक्टर में तो दिया जाय, उसका एक सैक्टर तो बनाइये। ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाता है, सहकारी समिति द्वारा दिया जाता है, कृषि विभाग की ओर से दिया जाता है, आखिर वह जाता किस के पास है ? केवल एक आदमी के पास ही जाता है। पंचायत समिति में एक व्यक्ति जिसकी मोनोपोली बनी हुई है उस मोनोपोली के आधार पर वह कर्जा एक ही आदमी के पास जाता है जो उसमें महत्व रखता है।

तकावी एग्रीकलचर विभाग से दी जाती है वह भी बिना सोचे-समझे। दो हजार रुपया दिया जाता है कुआ खोदने के लिए, उससे कुआ पूरा नहीं होता।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

बड़ी बड़ी रकमें जो पूंजीपतियों में, जागीरदारों में बकाया हैं उसकी वसूली की तरफ ध्यान दें, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण।

श्री जयकृष्ण (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप मुझे चार पांच मिनिट का ही समय दें तो मैं नहीं बोलना पसन्द करूंगा। समय का समानता से बंटवारा होना चाहिये अमूमन होता यह है कि आखिर में जो बोलने वाले होते हैं उनको बोलने का पूरा समय नहीं मिलता है। इन प्रस्तावों के बारे में अभी तक ट्रेजरी बेन्चेज से कोई नहीं बोला है....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण प्रारम्भ करिये।

श्री जयकृष्ण : उपाध्यक्ष महोदय, जो मांग प्रस्तुत की गई है उसके संबन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस शक्ल में यह मांग पेश की गई है वह स्वागत योग्य है। इसके ज्यादा वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मांग प्रस्तुत की गई है उससे अधिक मांगी जाती तो मुझे बड़ी खुशी होती, कुछ मदों में और अधिक रकम कृषि के सम्बन्ध में। जिसका मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किया है इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में जो डिमाण्ड मांगी है उसके अन्दर अगर इस बात का भी खयाल किया जाता कि जो नल योजनाएं, ट्यूबवैल की योजनाएं, सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की योजनाएं जो और जगह लागू की थीं और जो अधूरी पड़ी हैं उनके लिये भी फण्ड मांगे जाते तो बड़ी खुशी की बात होती।

इस सम्बन्ध में अलवर जिले में....

श्री चन्द्रसिंह बरफा : यह तो मांग संख्या नहीं ले रहे हैं अभी ३५ पर बोलिये या ४६ पर बोलिये ?

Page No. 95

श्री उपाध्यक्ष : केवल दो मांगों की इजाजत दी गई है, ४६ और ३५। आप ३५ पर बोल लें।

श्री जय कृष्ण : जितने भी बोले हैं सब फेमीन पर भी बोले हैं। फिर पंचायत चुनावों पर बोले हैं, न्यायपंचायतों के पंचों को लेकर स्वतंत्र पार्टी ने आक्षेप भी लगाये हैं, उन सब को इजाजत दी जा सकती है, जब मेरे बोलने का मौका आवे तो यह सब का सब मेरे पर ही लागू है क्या उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दें।

श्री जयकृष्ण : इसलिये मैं यह कह रहा था कि अलवर जिले में विकास खण्ड किशनगढ़ में सात नल कूप खोदे गये, टरबाइन लगाया गया वह बहुत सक्सेसफुल हुआ। पर अधिक खर्चा होने की वजह से आज भी यों का यों ही पड़ा है। इसे ठीक कराया जाना चाहिये ताकि उत्पादन अन्न का बढ़े।

अलवर जिला खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में हमेशा सरप्लस रहा है। पर सिंचाई के साधन उस जिले में जो कि आसानी से थोड़े से खर्चे से बहुतायत से उपलब्ध कराये जा सकते हैं, न आज उपलब्ध कराये गये हैं न आगे उपलब्ध कराने की बात कही जाती है। तो जो नल कूप खोदे थे उन को चालू करने के लिये और रकम मांगते तो मुझे खुशी होती।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल अलवर में भी ईश्वरीय प्रकोप खरीफ की फसल में रहा। सरसों के उत्पादन में यह जिला राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान को और विदेशों को भी तिलहन और सरसों का तेल सप्लाई करता है। अब इसमें खरीफ की फसल खराब हो गई तो उतनी परेशानी नहीं हुई। पर इसके बाद रबी की फसल में भी शीत का प्रकोप हुआ और वह नष्ट हो गई तो हाहाकार मच गया।

ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं वित्त मन्त्रीजी से उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि जो जिला कृषि के उत्पादन में खाद्यान्न के उत्पादन में आगे रहा है और आज भी आगे बढ़ रहा है वह आज और अधिक सिंचाई के साधनों के लिये लालायित है, बिजली के लिये लालायित है, छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये लालायित है। और इससे भी बढ़कर आज वहां भी अकाल-सहायता के कार्य चलाने की आवश्यकता है अगर वहां हरेक तहसील में या पंचायत समिति मे एक दो कार्य शुरू नहीं किये गये तो दिक्कत आ सकती है।

शीत की लहर से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट आने में देर लगेगी क्योंकि खरीफ की टीप चालू है। आज वहां के किसान मजदूर की यह हालत है कि खाने का सुबह का है तो शाम का नहीं है। जिनकी यह हालत है उनका लेने देने का जरिया भी खत्म हो गया है क्योंकि पैदावार उनकी खत्म हो गई तो बाजार में आज उनको देने वाला भी नहीं है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि जो फेमीन वर्क दूसरी जगह चल रहे हैं, वे अलवर जिले में भी चालू किये जाने चाहिये और जल्दी ही किये जाने चाहिये।

(श्री जयकृष्ण)

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अलवर जिले की वे तहसीलें, जिनकी माली हालत खराब है उनमें यह कार्य जल्दी से जल्दी चालू करावें। साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन की वृद्धि के हरेक साधन अधिक बढाने चाहिये। जिन इलाकों में अकाल पड़ा है, वहां मवेशी भी कम होंगे, सिंचाई का मुख्य साधन बैल है वह मर गया या कम हो गया तो हो सकता है आगे बहुत अरसे तक कृषि का उत्पादन इस इलाके में भी कम मिले। इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं।

हमारा जो बजट पेश हुआ है सही माने में समाजवाद की स्थापना करने की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम है। जो समाजवाद के विरोधी लोग हैं वे इससे बौखला गये हैं। उनका समाजवाद में डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। वे पंचायत के पंच सरपंच की तरफ ध्यान दिलाकर हमारे इस समाजवाद की दिशा की तरफ उठाये गये कदम को पीछे धकेलना चाहते हैं। हो सकता है कोई एकाध पंच सर-पंच या एम. एल. ए. या दूसरे लोग खराब हों। हो सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में। पर लक्ष्य हमारा क्या है। इसकी तरफ हमने अपनी दृष्टि नहीं रखी तो भला नहीं होगा इस देश का, इस प्रांत का। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारा सब का एक लक्ष्य होना चाहिये। हम अपने प्रांत को आगे बढ़ावें। और इसके लिये समाजवाद का लक्ष्य सामने रखें और यह देखें कि इस तरफ हमारे कदम आगे बढ़रहे हैं या नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज समाजवाद की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं, और आगे और तेजी से बढ़ेंगे। यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है उस पर अपने विचार रखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक ओर तो सर-कार जनतन्त्र की और सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बहुत दुहाई देती है और अपनी एजेन्सीज़ के द्वारा जितना प्रचार इसका किया जा सकता है शायद ही किसी और का किया जाता हो। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण की एक इकाई नगरपरिषद या नगरपालिकायें हैं और सरकार ने कोलोनाइज़ेशन एक्ट के तहत इन मण्डी कमेटीज़ का निर्माण करके जिस प्रकार से नगरपरिषदों और नगरपालिकाओं के कार्यों में हस्तक्षेप किया गया है मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा कुठाराघात उनके अधिकारों के अन्दर और नहीं हो सकता। जब से मण्डी कमेटीज़ का या इससे पूर्व इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट्स का नगरपालिकाओं की बाउन्ड्रीज के अंदर निर्माण किया गया है तब से उनका कार्य करना असम्भव हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगा कोटा नगरपालिका का। वैसे आज तक नगरपालिकाओं और मण्डी कमेटीज़ के बीच किसी प्रकार की सीमाओं का निर्धारण नहीं किया हुआ है रोजाना इस संबंध में विवाद पैदा होते हैं। अगर म्युनिसिपैलिटी किसी को जमीन दे देती है तो

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उधर से मण्डी कमेटियां उनको कैंसिल कर देती हैं। अदालतों के अंदर इस प्रकार के केसों की भरमार छायी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की डिमाण्ड को लेकर जो यहां आये अगर उनकी भाषा को देखा जाये तो हंसी आती है। वह भूमि जो कि म्युनिसिपल कौंसिल की थी और जिसके ऊपर म्युनिसिपल कौंसिल का पूरा अधिकार है उस बाड़ी के अंदर मण्डी कमेटी का निर्माण करके मण्डी कमेटी ने जमीनों को बेचकर लाखों रुपया कमाया और उस पैसे को जब नगरपरिषद को दिया जाता है नो वह लिख दिया जाता है 'ग्रान्ट इन एड'। यह विचार धारा कि नगर-परिषद को ग्रान्ट-इन-एड दी जा रही है, अनुचित है। जितनी भी भूमि नगरपरिषद के क्षेत्र के अंदर स्थित है उसके ऊपर नगरपरिषद का पूर्ण स्वामित्व है और नगरपरिषद को अपनी सीमाओं की उन्नति करने के लिए, अपनी सीमा में तरक्की करने के लिए, अपनी सीमा में डवलपमेन्ट्स करने के लिए आवश्यकता है पैसे की, और सरकार नगरपरिषद से यह आशा रखती है कि वह हाउस टैक्स लगाये और जब नगर परिषद् इस प्रकार का हाउस टैक्स अपने यहां नहीं लगाना चाहती है तो इस प्रकार से मण्डी कमेटी बनाकर जो नगरपरिषदों के आय का स्त्रोत है उसको सरकार छीनना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी या संबंधित मन्त्री महोदय इस पर प्रकाश डालें कि जब से कोटा में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट थी उसने जमीनों की बिक्री से आज तक कितना रुपया कमाया और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के खतम होने के बाद कोलोनाइज़ेशन एक्ट के तहत जो मण्डी कमेटी बनाई गई है तो उसने जमीनों की बिक्री से कितना रुपया कमाया है। आज कोटा नगर के अन्दर उद्योग बढ़ते जा रहे हैं और उनके लिए जमीनों की आवश्यकता है। आज सरकार लीज़ के ऊपर वहां पर जमीनें दे रही है और ३० रुपया प्रति एकड़ सालाना रेट लेती है और सरकार का सारा पैसा सरकार अपने पास रख लेती है और इसके बाद रुपया तो लिया मण्डी कमेटी ने और जो भी रुपया लिया उससे वहां का कोई डेवलपमेन्ट नहीं किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा क्षेत्र के अन्दर जितनी भी जमीन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने बेची है........

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

वह नगर परिषद के अधिकारों पर कुठाराघात है। उस पैसे से न तो वहां का डवलपमेन्ट हुआ है, न वहां लाइट का इन्तजाम है न सड़कों का इन्तजाम है और बाद में प्रोपर्टी ट्रान्सफर कर दी है नगर परिषद को। आज उस जमीन पर जिसका पैसा सरकार ने और मन्डी कमेटी ने लिया है वहां का सारा डवलपमेन्ट नगरपरिषद को करना पड़ता है और उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं कहता हूं कि जो ७५,००० रुपये की राशि आती है वह टुकड़ा चला गया।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

दो मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी अभी एक बिल पेश किया गया है वित्त मन्त्री महोदय के द्वारा और उसके द्वारा बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि जो भूमि वाले व्यक्ति भूमि के द्वारा नाजायज़ फायदा उठाना चाहते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाये। लेकिन मैं निवेदन करना

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

चाहूंगा कि क्या इस प्रकार का बिल जिसके अन्दर व्यवस्था की गई है कि खाली जमीनों के ऊपर टैक्स लगेगा और उन लोगों को फायदा नहीं उठाने दिया जायेगा तो जो नगर-परिषद की जमीनें हैं और जिनके ऊपर उसका पूरा स्वामित्व है उसको बेचना नगरपरिषद के अधिकारों के ऊपर एनक्रोचमेन्ट नहीं है ? हम भी टैक्स का स्वागत करते हैं और इस प्रकार के बिल का स्वागत करते हैं लेकिन बिल के अन्दर व्यवस्था यह होती कि यह सारा का सारा पैसा जो टैक्स के द्वारा लिया जायगा यह नगर परिषद या वहां की स्थानीय संस्था को दे दिया जायेगा तो हम कह सकते थे कि यह बिल अच्छा है। यदि आप कोटा में सारे का सारा पैसा टैक्स का नगरपरिषद को दे देते हैं तो हम आपसे ग्रान्ट-इन-एड नहीं मांगते। आप ग्रान्ट-इन-एड को कैंसिल कर दीजिए, नहीं चाहिए यह ग्रान्ट इन-एड, लेकिन वह शहर जो रोजाना तरक्की कर रहा है, दिन प्रति दिन तरक्की कर रहा है और जह लाखों रुपया जमीन से मिलने वाला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप उस नगरपरिषद को ग्रान्ट-इन-एड देना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि आप ग्रान्ट-इन-एड खत्म कर दीजिए और जो नगरपरिषद की मिल्कियत है उसका पैसा उसको दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, डिमाण्ड संख्या ३५ में पंचायतों के चुनावों के सिलसिले में जो १० लाख ४० हजार ४३ रु० की स्वीकृति है उसके बारे में जो कटौती के प्रस्ताव इस सदन में पेश हुए हैं वे ३ प्रकार के हैं। एक तो यह है कि यह चुनाव पंचायतों के हम लोगों ने जैसा वायदा किया था कि मई के महीने में करायेंगे वह हम नहीं करा सके उसके बारे में उसका जिक्र है। श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र कर दिया है और उसके कारण हमारे राजस्थान के पश्चिमी इलाके में जिसमें कि ८-१० जिले शामिल हैं भयंकर दुष्काल होने की वजह से और बहुत से लोग अपने मवेशियों और कुनबों को लेकर राजस्थान के बाहर मध्यप्रदेश में और मालवा की तरफ चले गये हैं और बहुत से लोग काम करने के लिए अपने गांवों को छोड़कर राजस्थान नहर पर चले गये हैं, बहुत से लोग चम्बल नहर पर चले गये और बहुत से लोग अपने गांवों से दूर जहां राहत कार्य चलते हैं वहां काम करने के लिए अपने खेत, खलिहान और घरों को छोड़कर चले गये। इसलिए इस समय चुनाव कराने से वे लोग अपने गांवों में आकर अपने वोट नहीं डाल सकते। इसलिए राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से को वोट देने से महरूम करना होगा इसलिए यह मुनासिब समझा और मेरा ख्याल है कि सदन के सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे। यह देरी इसलिए नहीं हुई कि राज्य सरकार देरी करना चाहती है राज्य सरकार की तरफ से, जैसा कि इस मांग से मालूम होगा कि राजस्थान सरकार की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। हमने वोटर्स लिस्ट पूरी तैयार करवा ली है और बैलट पेपर्स तैयार करवा लिए हैं और इसके लिए सारे साधन जुटा लिए थे। हमारे सदन के अंदर भी मैंने चुनाव मंत्री के नाते वायदा किया था कि

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव जहां एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको दिसम्बर के पहले पहले करवा देंगे और वह पूरे हो गये। आज एक भी जगह एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है और उनके चुनाव पूरे कराये गये। राजस्थान सरकार तो पूरा इंतजाम करती है लेकिन ईश्वर का कोप है उस पर राज्य सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसलिए हम परेशान हैं कि यह चुनाव हमको इस कारण आगे बढ़ाने पड़े।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : ईश्वर आपसे नाराज है।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए यह जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मेरा ख्याल है कि मेरे इस वक्तव्य के बाद मेरे भाई इस कटौती के प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे।

दूसरी बात जो कही गयी है कि चुनावों के सिलसिले में बहुत ज्यादा खर्च करने का प्रश्न इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा उठाया गया है। यह आज १० लाख रुपया हमारी राज्य सरकार से और कन्टीन्जेंसी फण्ड से ले रहे हैं, उसके अन्दर से ३ लाख रुपया तो इलेक्टोरल रोल को प्रिन्ट कराने में लग गये हैं। जनरल इलेक्शन से यह इलेक्शन बहुत बड़ा बन जाता है। उसके बाद में बेलट पेपर्स छपवाने में ३।। लाख रुपया खर्च हुआ और दूसरी तरफ स्टाफ नया रखना पड़ा और उसके लिए ८६ हजार रुपया नये स्टाफ को रखने में खर्च पड़ा।........

उसके साथ साथ में, उपाध्यक्ष जी, जो एलाउन्सेज़ और भत्ते हैं उसमें १,२०,०००) रु० खर्च करने का रखा गया है और फिर और इलेक्शन मेटीरियल, स्टाम्पिंग पैड, वगैरह वगैरह, और टेलीफोनों और और तरह के दीगर खर्चे होते हैं उनके ऊपर मिसलेनियस में करीब ५५,०००) रु० रखे गये। इस तरह से यह दस लाख की राशि है इस चुनाव कराने की मांग के लिए। उसमें से बहुत सा खर्च हो चुका है मगर वह कोई वेस्ट नहीं गया। जब चुनाव होगा तब वे काम में आयेंगे। बेलट पेपर काम में आजायेगा। दूसरे फार्म्स जो छपवाये हैं वे काम में आयेंगे। वोटर्स लिस्ट जो छपवाई है उसके बारे में कहा गया कि उनकी अनियमिततायें रही हैं। वह अनियमितता तो नहीं रही। पंचायत कानून के मुताबिक चुनाव कराने के लिए १६६० में नियम बनाये गये थे उनके मातहत किये हैं। कानून की धारा १० के मुताबिक जो असेम्बली की लिस्ट है उसको मानकर ही हमने ऑब्जेक्शन इन्वाइट किये हैं। उसमें इसका प्रोविजन है कि ऑब्जेक्शन आयें तो उनको सुनकर फैसला किया जाय। अब यह हो सकता है कि हरेक व्यक्ति अपने अपने ऑब्जेक्शन लेकर अपना नाम लिखाने के लिए एस० डी० ओ० के पास जाय तो इस कठिनाई के महसूस होने पर जहां १०० से अधिक लोग हों वहां पर एस० डी० एम० खुद जाकर उसको वेरिफाई कर लें। वहां के आदमियों को वोटर्स लिस्ट में नाम लिखाने के लिए एप्लीकेशन तो सेपेरेट देनी पड़ेगी, लेकिन हाजिर होने की जरूरत नहीं है। एक ही आदमी १०० अर्जियों को उपस्थित कर सकता है और एस० डी० एम० के इजलास में वह करेगा। इस तरह की व्यवस्था रखी थी। चुनाव के मामले में बहुत जल्दी थी और काम काफी था इसलिए जल्दी में रह गया और कई जगह ऐसी बातें नजर में

(श्रीमथुरादास माथुर)

आई । अब समय मिला है चुनाव कार्य कराने के लिए तो लिस्टों को वापिस कराया जाय और जहां कहां से ऑब्जेक्शन्स आये हों तो उनकी सुनवाई करके लिस्टों को रिवाइज करेंगे ।

दूसरी बात जो कही गई है उसके लिए मैं इलेक्शन विभाग की ओर से तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि न तो वे सियासी मामलों में पड़ते और न पंचों के फैसलों में पड़ते हैं । जब से म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव इस विभाग में आये हैं और ६६ म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव हमने करवा दिये हैं और माननीय सदस्यों ने न तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और न आज तक किसी तकरीर या कटमोशन के जरिये यह कहा हो कि म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव में फेवरटिज्म हुआ है, पार्शियेलिटी हुई है या फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं । इनको इलेक्शन डिपार्टमेन्ट में लेने का मकसद यही था कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन सारे हिन्दुस्तान में चुनाव कराता है उसी तरह के चुनाव हम यहां कराना चाहते थे । उसके बाद जयपुर (आमेर) से आने वाले माननीय सदस्य जो कभी इधर बैठते हैं और कभी उधर बैठते हैं और कभी इधर भी आने की कोशिश करेंगे, मैं निवेदन करूंगा कि वे इस बात से घबरायें नहीं कि जहां इलेक्शन का संबंध है उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी । अब कहा गया कि सर्किल इन्सपैक्टर देरी से पहुंचा तो पहुंचा करे, पुलिस देरी से पहुंची तो पहुंचा करे, यह विभाग के जांचने की बात है । जो तारीख कोऑप्शन की मुकर्रर की गई थी उस तारीख को वह करवाया है । क्योंकि बिना कोआपशन के न्याय पंचायतों के चुनाव नहीं होते ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अभी भी ३५ जगहों पर न्याय पंचायतों के चुनाव बिना कोऑप्शन के करवाये हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : करवाये हैं तो इस विभाग में आने से पहले करवाये हैं, बाद में नहीं करवाये गये हैं ।

हमारे यहां न्याय-पंचायतों में दो कोऑप्शन होते हैं तो दो वोट से फर्क पड़ता है । हमारा इरादा यह है कि कोऑप्शन कम्प्लीट कराने के बाद ही न्याय पंचायतों के चुनाव कराये जायं, इसलिए उनको पोस्टपोन किया था । इसमें न तो हम पंचायत को जानते हैं और न सरपंचों को जानते हैं । हम एम०एल० एज० को जरूर जानते है । एम० एल० एज० जरूर दबाव डाल सकते हैं, दूसरे दबाव नहीं डाल सकते हैं ।

उपाध्यक्ष जी, जो चुनाव करवाये गये हैं वे बिल्कुल निष्पक्ष करवाये गये हैं, और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे भी जो चुनाव कराये जायेंगे वे उसी स्टेण्डर्ड से करायेंगे जिस स्टेण्डर्ड से इलेक्शन कमीशन हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट या असेम्बली के चुनाव कराता है और माननीय सदस्यों को शिकायतों का मौका नहीं मिलेगा, पंचायतों के चुनावों में शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री):— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दो मिनिट के लिए दो बातें निवेदन करना चाहता था । इस मांग संख्या ४६............

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सारा गुड़-गोबर कर देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : मांग संख्या ४६ में दो आइटम्स हैं जिसमें सब-आइटम नं० १ के जरिये ८ लाख रुपये की मांग की है वह इस बात के लिए है कि हमको कुछ खर्चे के लिए कुछ ज्यादा रकम की आवश्यकता थी बीज लाने के सिलसिले में तो उसके सिलसिले में एक माननीय सदस्य जो शायद बांसवाड़ा से आये हैं, उन्होंने कहा कि यह रकम बहुत थोड़ी है। इतनी सी रकम से क्या होगा? बीज ज्यादा चाहिए। यह तो सप्लीमेंट्री डिमाण्ड है। बीज के हैड में खास तौर से बीज के वितरण का काम-चाहे खरीफ की बात हो, चाहे रबी की बात हो-पहले विभाग करता था और अब वह सारा काम पंचायत समितियां करती हैं। हम लोन की तरह से पंचायत समितियों को रुपया एडवांस करते हैं जहां जहां की उनकी मांग हो। किस इलाके में किस किस्म का बीज खरीफ का या रबी का डिस्ट्रिब्यूशन के लिए चाहिए, वह साल भर का अपना प्रोग्राम फसल के पहले बना लें और जितनी आवश्यकता हो उतनी उनको दें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खरीफ के सीड की जो मांग थी वह ज्यादा हुई। जो पहले हमारे पास उनका एस्टीमेट आया था उससे ज्यादा बीज देना पड़ा, इसलिए ८ लाख रुपये की और जरूरत पड़ी। तो हैड लोन्स में तो काफी बड़ी तादाद में देते हैं। सारी पंचायतों को करीब २॥ या पौने तीन करोड़ तक रुपया एक साल में चलता है और किसानों को खरीफ और रबी का बीज दिया जाता है। इसलिए यह कहना कि बहुत थोड़ी रकम है, ऐसी बात नहीं है। यह सारी सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड है और जितनी रकम की जरूरत थी वह रकम हमने दी है।

दूसरा सब-आइटम (७) और है जिसमें यह मांग की गई है कि १० लाख रुपये जो क्रय-विक्रय संघ को उधार दिये हैं, उधार इसलिए दिये हैं कि जो फर्टीलाइजर और सीड का सब हैड है उसी हैड के अन्दर जो काम पहले गवर्नमेन्ट करती थी वह काम अब क्रय-विक्रय संघ को ट्रांसफर कर दिया गया है, और क्रय-विक्रय संघ बाहर से फर्टीलाइजर लेगा और फिर सारे राजस्थान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मार्फत इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कुछ एरिया में कोऑपरेटिव्ज पूरी तरह से इस काम को करेंगी और कुछ एरियाज में जहां कोऑपरेटिव्ज पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई हैं वहां उस काम को क्रय-विक्रय संघ अपनी और एजेन्सीज़ की मार्फत करेगा। उस काम के लिए उन्हें रकम की आवश्यकता थी तो उनको १० लाख रुपया उधार दिया गया है। वे इस काम को करेंगे।

अब क्रय-विक्रय संघ के नाम पर जो कटौती-प्रस्ताव खास तौर से बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है। हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्य क्रय-विक्रय संघ के मैनेजमेंट से या काम करने वाले लोग हैं उनसे नाराज़ होते हों तो उससे इस मांग का कोई संबंध नहीं है। उसमें उसको वह चलाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके जरिए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे काफी जनरल डिस्कशन बजट के सिलसिले में करेंगे, फिर भी जो बात खास तौर से बीज के बारे में कही गई है कि बीज का काम एक साल के लिए क्रय-विक्रय संघ के पास में गया था

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उस समय जो सूरतगढ़ के फार्म का बीज बांटने के बारे में कट मोशन के जरिये उन्होंने सदन के समक्ष विचार रखा है। मेरे ख्याल से उनको उस समय पूरी जानकारी भी नहीं थी और न मेरे ख्याल से उनको अभी तक कोई जानकारी है। वह किस्सा इस तरह से हुआ था कि बहुत लेट स्टेज पर स्टेट गवर्नमेन्ट ने क्रय-विक्रय संघ को बीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एजेन्सी के रूप में मुकर्रर किया था, और उन्होंने उस समय सूरतगढ़ फार्म से बीज लिया था। यह शायद ६०-६१ की बात है और उस साल जब उन्होंने बीज खरीदा तो उस समय अर्ली अनयुजुअल रेन्स, जो कभी उस इलाके में होती नहीं है, जून के फर्स्ट वीक में बरसात बहुत जोरों से हुई और खास तौर से सूरतगढ़ और गंगानगर के इलाके में हुई है। वह बीज सूरतगढ़ फार्म के स्टोर में नहीं पड़ा हुआ था और खलिहान में ही पड़ा हुआ था। उस बीज़ को ट्रान्सपोर्ट करने के लिए क्रय-विक्रय संघ को कह दिया था कि बीज उठाकर ले जाय, लेकिन बीज उठाने के पहिले ही बरसात वहां पर हो गई और पूरा बीज वे उस समय उठाकर नहीं ले जा सके। उस समय काफी नुकसान हुआ और करीब डेढ़, पौने दो लाख रुपये का बीज बरसात में भीग गया और उसकी वजह से बीज काम के लायक न रहा। जो इस प्रकार यह डेढ़, पौने दो लाख की धन राशि है उसके बारे में क्रय-विक्रय संघ का कहना है कि जो एग्रीमेंट सरकार ने किया है वह देर से किया है इसलिए इसमें देरी हो गई और यह देरी सरकार की तरफ से हुई है और सरकार कहती है कि एग्रीमेंट कर दिया, बीज ले जाने का जिम्मा ले लिया तो बीज आपको लेना चाहिए था।

भारत सरकार से हम यह कह रहे हैं कि आपने बीज यों के यों ही डाल रखा था। गोदामों में बीज पड़ा होता तो यह नौबत नहीं आती। क्रय-विक्रय-संघ, भारत सरकार और हमारे तीनों के बीच बातचीत चल रही है। डेढ़-पौने दो लाख रुपयों का नुकसान कौन भुगते? हो सकता है कि तीनों को या किसी न किसी को नुकसान भुगतना पड़ेगा। देवी प्रकोप की वजह से. अनयूजुअल तौर से गंगानगर में लास्ट वीक में इतनी बरसात होना कि ट्रक्स एण्ड ट्रैक्टर्स भी नहीं जा सके, ट्रेन से पहुंचना मुश्किल हो जाय इसकी वजह से यह नुकसान हुआ। पहले भी सदन में यह बात रखी थी। मन में भावना नहीं होने से भी यह बात कही।

क्रय-विक्रय-संघ की बात आई तो गुड़ की बात कह दी, ज्यादा पैसा देकर लाते हैं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य समाजवाद में विश्वास रखने वाले हैं और वे इस बात को मानकर चलते हैं कि सहकारिता को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि बिना सहकारिता के समाजवाद आ नहीं सकता। हम अपेक्स सोसाइटीज़ के जरिए मार्केटिंग करना चाहते हैं। इस तरह की नयी चीज है, हो सकता है कुछ बातें रह सकती हैं। लेकिन मैं सदन के सामने दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई कहने की बात नहीं है। खरीददारी क्रय-विक्रय-संघ करता है, हमने उसका पता लगाया है। बहुत आनेस्टली सब कुछ हुआ है। काफी समझ लेकर गांवों से पहुंचते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको सहानुभूति मिलनी चाहिए ताकि उनको एनकरेजमेन्ट

Page No. 103

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मिल सके। इस बारे में आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। क्रय-विक्रय-सघ और दूसरी बातों के साथ इस मांग को जोड़ना उचित नहीं है इसलिए मुझे कहना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन महानुभावों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं वे उन्हें वापिस ले लें और ये दोनों मांगे स्वीकार की जावें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भिक्ष के संबंध में कुछ कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं और इसके बारे में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि राज्य सरकार का रुख मानवीय आधार पर, समाजवाद के आधार पर, जिन लोगों को आज दुर्भिक्ष से पीड़ित होना पड़ा है, उनके प्रति नहीं है। उन्होंने फेमिन कोड के बारे में जिक्र किया, वेजेज कम होने के बारे में जिक्र किया, सस्पेन्शन के बारे में जिक्र किया, वगैरह। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से जो भी नियम बने हुए हैं, स्केयरसिटी डिक्लेयर करने के, उनके अनुसार जहां से भी हमारे पास रिपोर्ट आई हमने स्केयरसिटी डिक्लेयर की। कुछ हमारे सामने यह भी समाचार आये कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके ऊपर गम्भीर विचार करने की जरूरत है, राज्य सरकार ने उस बारे में भी विचार करने की कोशिश की। लेकिन यह, माननीय उपाध्यक्ष, सबको मालूम है कि जो कुछ खराबी हुई, जो कुछ नुकसान हुआ फसल का, उसके बारे में मौके की जांच से वास्तविकता का पता लग सकता है। पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार कलेक्टर वगैरह जो मौके पर आफिसर्स है वे इसको डिटेल में जांच करते है और बाद में हमारे पास जब ये बातें सामने लाई जाती हैं तब हम उनके द्वारा ही, आवश्यकता हो तो दुबारा जांच करने के लिए कह सकते हैं और ऐसा अवसर आने पर हमने इस बात की कोशिश भी की है।

टौंक जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि टौंक में कहीं भी अकाल घोषित नहीं किया गया। शायद उनकी जानकारी में आया होगा कि टौंक तहसील में ४६ गांवों में और देवली में ६ गांवां में अकाल घोषित कर दिया गया है और उसके लिए आवश्यक धन राशि भी इस साल में जो बाकी समय रह गया है उसके लिए ५५,०००) करीब स्वीकृत किये जा चुके है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों के लिए भी जो आवश्यक सुविधायें हो सकती हैं वे दी जा रही हैं। मैंने पहले भी, जब राज्यपाल का भाषण हुआ था, यह निवेदन किया था कि राजस्थान में दुर्भाग्य से एक तरफ अकाल की स्थिति है और दूसरी तरफ कुछ इलाकों में शीत की लहर की वजह से फसल को नुकसान हुआ है। इन परिस्थितियों में हमें काफी धैर्य के साथ इन सारी चीजों का मुकाबला करना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक फोडर का सवाल है, हमने इस बार में राजस्थान से जो उपलब्धि हो सकती थी उसको उपलब्ध करके दुर्भिक्ष के इलाकों में भिजवाया है। बीकानेर का जिला सबसे ज्यादा इस परिस्थिति के अन्दर ग्रसित है और वहां अब तक हमने २ लाख मण के करीब का इन्तजाम किया है जिसमें से ५० हजार मण खर्च हुआ है। मैंने कल ही जानकारी की थी डिपोज पर घास वहां पर रखा है। और भी दूसरी जगहों से

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जैसे गुजरात, मध्यप्रदेश से घास मंगाने का इन्तजाम किया जा रहा है। इस बीच में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से यू. एस. एड. के प्रतिनिधि राजस्थान में आये थे और बीकानेर के कुछ इलाके में वे गये और राजस्थान को इस अवसर पर क्या आवश्यकता है और हमारे वितरण का क्या सिस्टम है इन सारी चीजों का वे अध्ययन करके गये और उनके सामने जो कुछ घास के बारे में, कैटल के बारे में और जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में आवश्यकता थीं वह रखी गई हैं और वह आज उनके समक्ष विचाराधीन हैं। मैं समझता हूं इस पर भी जल्दी ही अगर निर्णय हो जाता है तो इस काम में सहयोग रहेगा।

हमारे राजस्थान में पानी की दिक्कत बहुत सी जगह है जिसको हल करने के बारे में मैं आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कहीं यह गलतफहमी न हो कि ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहां काम करना चाहता है और फन्ड की कमी की वजह से इसमें रुकावट आ रही है, तो यह गलत ख्याल है। फंड की कमी की वजह से अकाल ग्रसित क्षेत्र में कहीं भी ट्यूबवेल का काम सामने आयगा तो फंड की कमी नहीं आने वाली है। उसके लिए आवश्यक फंड प्रोवाइड किया जायगा जिससे काम किया जा सके। ट्यूबवेल से जहां भी कुए खुद पायेंगे, माइनर इर्रिगेशन हैड से रुपये दिये जा सकते हैं और फंड की वजह से रुकावट होगी यह मानने की भ्रान्ति नहीं आने देनी चाहिए। काफी जगह यह काम शुरू किया गया है। आने वाले समय के लिए यह काम और भी दूसरी जगह बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है।

वेजेज के संबंध में यह कहा गया कि १ रु० २ आ० हम देते हैं वह मिनिमम वेज से कम है और उपयुक्त नहीं है और सरकार इस अकाल की परिस्थिति से लाभ उठाकर सस्ते में इन कामों को पूरा कराना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह गलत धारणा है। हमने इस बात की कोशिश की है कि राजस्थान में जो हमारे प्लान वर्क्स हैं, जैसे रोड्स के, इर्रिगेशन के या और केनाल वर्क्स वगैरह के अन्तर्गत इन कामों को भी हम रिलीफ काम के साथ जोड़कर पूरा करें जिससे रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर का वज़न कम पड़े। इस संबंध, में माननीय उपाध्यक्ष जी, आम तौर से जो वेजेज हम देते हैं, इन वेजेज के बाद इर्रिगेशन या पी. डब्ल्यु डी. वाले जो काम करवाते हैं उसमें उनको घाटा रहता है और उनको पूरा करने के लिए रिलीफ डिपार्टमेन्ट से सबसिडाइज़ करते हैं। यह नहीं कि काम सस्ता होगा। कान्ट्रेक्ट से या और तरह से काम पूरा करवायें तो कम खर्चा होता है। बनिस्बत रिलीफ लेबर्स के जरिये कराया जाय। इसलिए हमने डिपार्टमेन्ट्स से कहा है कि जो कमी होती है उसका रिलीफ डिपार्टमेंट की तरफ से सबसिडाइज किया जायगा।

(१.०० म० प०)

हमने एक चीज और भी की, जहां गावों में डेवलपमेंट वर्क्स में उन लोगों को अपना शेअर देना पड़ता था। कहीं एक बटा तीन, कहीं दूसरा-उसको भी सबसिडाइज करने के लिये आर्डर्स पास कर दिये हैं व जो कुछ सबसिडी-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

देनी चाहिए या अपना पार्ट शेअर देना चाहिए वह नहीं देना पड़ेगा और गवर्नमेंट का रिलीफ डिपार्टमेंट सबसिडाइज कर देगा जिससे कि अलग अलग प्लान वर्क्स और रिलीफ वर्क्स दोनों को मिला कर काम आगे बढ़ा कर पूरा कर सकें। इस सब चीज के लिए जो वेजेज दी जाती है उनके लिए फार्मूला बना हुआ है। आज मिनिमम वेजेज एक्ट की बात इन पर लागू इसलिए नहीं हो सकती कि जितना नाज उनको चाहिए मौके पर उसके हिसाब से परिवर्तन करके वेजेज फिक्स की जाती हैं और उसके फार्मूले से वेजेज दी जाती है। उसके अलावा में निवेदन करूं कि पहले जो देते थे उससे बढ़ा कर दी गई है जिससे मंहगाई के जमाने में उनका खर्चा बैलेन्स हो जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस वक्त इस डिमाण्ड पर अगले बजट के मौके पर पूरी तौर से विचार किया जायगा उस मौके पर हमें और भी ज्यादा चर्चा करने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं।

जहां कोल्ड वेव आई है, वह चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे भरतपुर का इलाका हो, जयपुर का, अजमेर का हो-जो भी इलाके हैं वहां इन्स्ट्रक्शन दिये गये हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी लासेज हुए हैं उनकी गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजें। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां अरहर, सरसों की फसल होती है वहां डेमेज किस तरह से हुआ है। अब उस इलाके में कितना गेंहू था, कितना चना था-सरसों थी, उसके अन्दर कितनी अरहर थी-इनकी डिटेल्स आने पर सारी पिक्चर सामने आ सकती है। वहां भी अगर रेमीशन्स और सस्पेन्शन की जरूरत होगी तो गवर्नमेंट उसको करेगी-इतना विचार करके चल सकते हैं। रिपोर्ट आर्डिनरिली अप्रेल के एन्ड तक आती है उसको जल्दी मंगवाने के आदेश दे दिये हैं। इन सारी परिस्थितियों के अन्दर जो अब तक कार्यवाही सारे पार्ट्स में हो रही है और जिन जगहों पर कोल्ड वेव आने से दिक्कत आई हैं, फूड के डिस्बर्समेंट के सवालात सामने आये हैं उन सब पर विचार करने के लिए क्लेक्टर्स की मीटिंग बुलवायी है जिसमें सारी चीजों को रिव्यू किया जा सके-कह. कहां क्या पोजीशन है। इन सारी चीजों को ११ तारीख को मीटिंग के अन्दर रिव्यू कर रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करना चाहते हैं। एक काफी बड़ी दिक्कत राजस्थान के सामने हैं उसको दूर करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बीकानेर में बहुत से आदमी इकट्ठे हो गये और उन लोगों के लिए मोहताजी की तरफ से खाने पीने का इन्तजाम किया जाता है। मैं जब पिछली बार बीकानेर गया था तब भी मैंने निवेदन किया उनके संचालकों से कि जो लोग काम करने की शक्ति रखते हैं, उनको काम पर जाना चाहिए, उनको दान नहीं दिया जाना चाहिए। उस वक्त उनके दरवाजे के बाहर भीड़ लगी थी, ३५,४० वर्ष के लोग मौजूद थे। मैं ऐसा समझता हूं कि दान देने और खाना देने के बजाय जो लोग काम कर सकते हैं उनको काम देना वाजिब होगा। जो काम नहीं करसकते हैं उनके लिए ग्रेचुटिस रिलिफ की व्यवस्था हर डिस्ट्रिक्ट में है और उनको ग्रेचुटिस रिलीफ दिया जाना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चाहिए। थोड़ी बहुत इस बारे में दिक्कत आ रही हो तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कहीं की भी इस प्रकार की बात आयेगी तो हम अधिकारियों को कह कर उचित व्यवस्था करवायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फेमिन कोड के बारे में जो कुछ कहा गया है-एक पुराना कोड है, उसके अन्दर सारी व्यवस्था एक वक्त से चली आ रही है और उसके अनुसार आज कार्यवाही की जाती है। उसके अन्दर किन-किन परिवर्तनों की आवश्यकता है, किन २ कि नहीं। मैं समझता हूं कि अनुभवों से ऐसा मालूम होता है कि आज को बहुत सी बातें उसके द्वारा कर सकते हैं। लोगेली सस्पेन्शन हो तभी रेमिशन किया जायगा-वगैरह, वगैरह सवालात उठाये गये हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे है जिनके बारे में कह कर चल सकता हूं, जो बातें यहां उठाई गई हैं उन पर हम गौर करेंगे और इस सम्बन्ध में जो किया जा सकता है वह करने का प्रयत्न करेंगे। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फेमिन कोड के अन्दर या और किसी चीज में भी किसी प्रकार की रुकावट लोगों को राहत देने के काम में आती है तो उसकी ओर न जाकर लोगो को राहत पहुंचा सकें-उसके बारे में हमारी नीति रही है। ऑर्डिनरिली अगस्त-सितम्बर के बाद रिपोर्ट आती है, फिर टेस्ट वर्क्स शुरू होते हैं, फिर रिलीफ का काम शुरू हुआ करता हैं। हमने कई इलाकों के अन्दर अगस्त के अन्दर ही रिलीफ वर्क्स चालू कर दिये। सारी रिपोर्ट स्केअर्सिटी की बाद में आई और बाद में स्केअर्सिटी डिक्लेअर हुई। जो रिलीफ वर्क्स दिये जाने चाहिएं उसमें रूकावट करके नहीं चलते। वह सारी कार्यवाही ह्यूमन आस्पेक्ट की दृष्टि से की जाती है। जो भी कानून की दिक्कत आती है उसको हल करने का प्रयतन किया गया है और इस बात को देखा गया है कि जिन लोगों को तकलीफ है उनकी तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न किया जाय। वैसे जो दिक्कते हैं उनको दूर करने के सारे एफर्ट्स करने के बाद भी हम नार्मल टाइम्स की कन्डीशन मान कर चलें-यह सम्भव बात नहीं होती है। हमारे एफर्ट्स के जरिये डेवलमेंट पूरा करना है इस बात को लक्ष्य में रख कर चलना होगा। मैं अपनी तरफ से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां रिलिफ की आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट कर सकती है वह करने का प्रयत्न किया जायगा। आपसे भी इस संकट के अवसर पर, मैं सारे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सारी स्टेट की केलेमिटी को समझ कर सबकी तरफ से सहयोग मिलेगा। ऐसे अवसर में जो मुश्कलें है उनको पोलिटिकल ऐंगल से देखने का नहीं है। लोगो को एन्करेजमेंट मिले और पूरी कोशिश मिल कर कर सकें ऐसा हमारा इस मौके पर प्रयत्न होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहस के दौरान स्वर्णकारों के बारे में, मिडिल इन्कम ग्रुप रूरल हाउसिंग के बारे में जिक्र यहां किया गया। जहां तक स्वर्णकारों को रिलीफ देने का प्रश्न है, उसके विस्तृत नियम सरकार ने बनाये हुए हैं और जहां कहीं भी हमारे पास इस बारे में कोई भी सूचना आती है कि उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उसके बारे में हम उनका पालन करने के लिए आव-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

श्यक आदेश देते हैं, गो कि स्वर्ण-नियंत्रण नियम बने थे, उसके बाद हमारे मौजूदा वित्त मंत्री जी ने जो कन्सेशन्स अनाउन्स किये, उसके बाद स्वर्णकारों को रिलीफ मिला है, लेकिन हमने नियमों को विथड्रा नहीं किया है। हमारे नियम आज भी मौजूद हैं। अब बहुत सी जगह से स्वर्णकार आते हैं और कहते हैं कि भाखरा और राजस्थान कैनाल में जमीन दे दो। इतना हम जरूर देखना चाहते हैं कि व्यावहारिक दृष्टि से कौनसी चीज पूरी पड़ने वाली है, बनने वाली है। उनको आज जमीन दे दें और कल को वह बेच दें तो उसके लिए तो कार्यवाही करना सदन भी नहीं चाहेगा। इसलिए हमने कहा है कि जिस-जिस गांव के रहने वाले हैं वहां एक प्रकार से जो लैंड ऑलाट की जाय, उसके लिए इन्हें भी लैंड-लेस में सम्मिलित किया जाय जिससे इन्हें जमीन उपलब्ध हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लो इन्कम ग्रुप रूरल हाउसिंग स्कीम और मिडिल इन्कम ग्रुप के फंड्स के बारे में जिक्र किया गया और कहा गया पूंजीवादी मनोवृत्ति है और दूसरी है। मैं समझता हूं मिडिल इन्कम ग्रुप के बारे में जो हाउसिंग स्कीम है उसको पूंजीवादी योजना नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह भी एक मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है। जिसको कर्जा दिया जाता है वे मध्यम वर्ग के हैं। आप उनको भले ही पूंजीवादी मानें। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य पूंजीवाद की व्याख्या कर रहे थे, उसमें मिडिल इन्कम ग्रुप नहीं आता है, मैं ऐसा मान कर चलता हूं। उसमें लोन देने की बात है। एल. आई. सी. फंड्स की कमी के प्रश्न के कारण आज एल. आई. सी. प्योरेली कॉमर्शियल लॉइन्स पर वह फंड्स को स्प्रेड करती हैं क्योंकि वह फंड पालिसीहोल्डर्स का है। उनके सामने यह सवाल नहीं है कि कितना देने के बाद कितना लास एन्ड प्रॉफिट होता है, क्योंकि उनका एक सेट पटर्न है और उसके अनुसार वे इन्वेस्टमेंट करते हैं। पब्लिक सेक्टर और दूसरे में खर्च करने के बाद जो फंड्स होते हैं उसके लिए अलग-अलग स्टेट्स को कन्वे करते हैं कि कितना, कितना सब हाउसिंग योजनाओं के लिए दे सकते हैं और उसी के अनुसार जो फन्ड्स वहां से आते हैं और जिस मद पर हम खर्च कर सकते हैं उन्हीं पर हमें खर्च करना होता है। हम यह नहीं चाहते कि वे लो इन्कम ग्रुप पर खर्च न करें। माननीय सदस्य को एतराज होगा........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या गवर्नमेंट उनके लोन्स के रीपेमेन्ट की गारन्टी करे तो एल. आई. सी. लोन देने को तैयार नहीं हो जावेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जितना लोन आता है सेन्ट्रल से उन सब की रेस्पोन्सीबिलिटी या जिम्मेदारी और गारन्टी वापिसी की सरकार की है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि उनकी खुद की कुछ योजनाएँ हैं जिससे वे कुछ चीजों में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अभी जो उनका रुख है उसको देखते हुए हमने भी यह चाहा था कि लोगों को सहूलियतें मिलें। मगर उनकी स्कीम के अनुसार ही पैसा ले सकते हैं। हम खुद यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। इसके लिये इसमें कुछ स्कोप ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसके लिये हमें यह देखना है कि हमारे

Page No. 108

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पास कितने फन्ड्स हैं। अगर हमारे पास ज्यादा फन्ड्स हों तो इस तरफ डाइवर्ट किये जा सकते हैं। इन्जीनीयरिंग, पावर और एग्रीकल्चर जो सबसे बड़े डिपार्टमेंट हैं उनकी तरफ ज्यादा फंड हों तो वह फंड इस तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं ? मगर जैसा कि माननीय सदस्य बजट को देख चुके हैं, किस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करके चल सकते हैं, यह पता चलायें।

उपाध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पंचायतों की इन्क्वायरी और कुछ और बातों के बारे में जिक्र किया और इस सिल सिले में बार-बार भूतपूर्व गृह मंत्री के बारे में रेफरेन्स देकर चला करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का रेफरेन्स दे कर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिये। मैं यह कहूँगा कि गृह मंत्रीजी पर जो अभी भार डाला गया हैं वह गृह मंत्रालय के भार से काफी महत्व का है। और यह सब बातें हमारे इंटर्नल एफेअर्स की हैं जिसके अनुसार यह किया गया है। इसलिये यह आपके कहने की बात नहीं होनी चाहिये जिसको आप बार-बार यहां पर दोहरा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या पहले आप अपने आपको कम बिज़ी महसूस करते हैं जिससे आपने यह नया महकमा गृह मंत्रालय का संभाला है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बात हमारे इंटर्नल एफेअर्स की है, जैसा कि मैं अभी आपको कह चुका हूं। यह हमारे आपस में तय करने की बात है। आप इससे क्यों परेशान होते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका असर तो हम पर ही पड़ रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप पर क्या असर पड़ता है ?

मैं यह कह रहा था, आमेर की जो बातें कही गईं अलॉटमेंट आदि के बारे में, उसमें कुछ चीजों में मुझे जानकारी प्राप्त करनी है। उसकी जानकारी करूंगा, मगर मैं इतना विश्वास सदन को दिला सकता हूं कि किसी भी जमीन के अलॉटमेंट में नाजायज कार्यवाही अगर हुई है तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा जिन्होंने ऐसा किया है। इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं।

इसके अलावा एक दूसरी बात जिसका यहां पर जिक्र किया गया कि जयपुर हिज हाइनेस महुआ में गये थे वे मिल्ट्री की वर्दी पहन कर नहीं गये, परन्तु इतना मैंने जरूर सुना था कि वे रिक्रूटमेंट के दौरे पर गये थे। मुझे यह बात अब मालूम हुई कि यह इलेक्शन का दौरा था। मैंने सुना कि वे मिल्ट्री की वर्दी में वहां गये और फिर इस तरह की बात की तो यह वाजिब नहीं था। मगर अब मालूम हुआ कि वे चुनाव के दौरे पर गये। मैंने ज्यादातर यह सुना था कि रिक्रूटमेंट के सिलसिले में गये थे। अब यह एक बात तो कनफर्म कर दी आपने कि उन्होंने दो जगह ही चुनावों के भाषण दिये इस स्थिति का आपने स्वयं ने स्पष्टीकरण कर दिया। इससे ज्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of information, Sir, मैं यह जानना

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

चाहूंगा कि वे ऑनरेरी आफिसर हैं और रिक्रूटमेंट ऑफिसर चाहे गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो, वह ऑफिसर तो था ही और गवर्नमेंट ऑफिसरों के काम करने के लिये कुछ एक्शन होते हैं। अभी जो तथ्य सामने आये हैं उनमें अगर कोई तथ्य नहीं है तो आप यह कहें कि कोई तथ्य नहीं है और अगर यह सही है कि रिक्रूटमेंट ऑफिसर वहां रिक्रूटमेंट करने के लिये गये और इलेक्शन का प्रचार किया तो क्यों ? यह एक असूल की बात है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस असूल की बात पर सरकार को कुछ कहना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक चीज आज स्पष्ट हुई कि उन्होंने चुनाव पर वहां बातें कहीं। मगर वे रिक्रूटमेंट के लिये ही गये ऐसी मेरी जानकारी है, मगर फिर भी पूरी जानकारी करने की बात है इससे पहले कि में इस बारे में कुछ कमिटमेंट करूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : वे चुनावों के संबन्ध में गये थे और कह कर गये थे कि मैं चुनावों के संबन्ध में जा रहा हूं। रिक्रूटमेंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह कह गये थे, तो गाड़ी सरकारी थी या राजा साहब की ?

श्री मानसिंह महार : अपनी गाड़ी में गये थे। जिस किसी ने कहा है, उन्होंने झूठ कहा है। विधि मंत्री ने कहा है तो उन्होंने झूठ कहा है, वे अपने शब्द वापिस लें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : वे रिक्रूटमेंट के लिये नहीं गये थे। वे बिल्कुल सादी ड्रेस में थे। रिक्रूटमेंट के लिये जाते तो तारे का निशान लगाते, वह स्टार का निशान नहीं था। अगर कोई यह कहता है तो गलत कहता है। बिल्कुल सादी ड्रेस में थे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जो बातें सामने आई मैंने आपको बताई हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, में समझता हूं कि अब जो मांगे प्रस्तुत की गई हैं वे स्वीकार की जावें और कटौती के प्रस्ताव जिन माननीय सदस्यों ने रखे हैं, मुझे आशा है वे उन्हें वापिस ले लेंगे।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : On a Point of infromation, Sir. अभी मुख्य मंत्रीजी ने गवर्नमेंट के रिलीफ वर्क्स के बारे में बात कही। इस संबन्ध में मुझे जानकारी है कि जिस एरिया को अकाल-ग्रस्त घोषित कर दिया गया है और जहां पर रिलीफ वर्क्स चालू कर दिये गये हैं वहा मेरे ऐसा सुनने में आया है कि गांवों में कई ऐसे स्थान हैं जहां लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है। ऐसी शिकायत सरकार के पास आने पर सरकार क्या एक्शन लेती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी मैं यह नहीं कह सकता कि कहां किस प्रकार की स्थिति है, इसलिये इस पर कहना मुश्किल है। अगर कोई ऐसी बात हो और कहीं ऐसी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

स्थिति हो तो मेरे नोटिस में लाई जावेगी तो उसकी जांच की जा सकती है।

एक माननीय सदस्य : कुछ क्षेत्रों को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के बारे में था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिये मुझे अफसोस है।

श्री उपाध्यक्ष : अब मुखबन्द का प्रयोग किया जा सकता हैं। जो मांगे हैं they will all be considered as moved.

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक–था–राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३६,२३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३५-मुख्य शीर्षक ७१–विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २२,१६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक मांग संख्या ३५ स्वीकार की गई।

(११.८ म. प.)

शेष अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मुखबन्ध।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३६ भूमि सुधारकों इत्यादि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति की देय।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६२--भूमिधारकों इत्यादि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय के संबंध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६,२०,२७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४१—कृषि उन्नति इत्यादि।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४१ मुख्य शीर्षक ६५—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,५०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४१ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २६--दुर्भिक्ष सहायता।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक-६४- दुर्भिक्ष सहायता के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१४,५०,००० रु० तक की और राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६—सामान्य प्रशासन।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १६—सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,१६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): 'ना' पक्ष जीता।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): 'हां' पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल: डिस्कस तो नहीं करने दिया।

श्री उपाध्यक्ष: I Put the question to vote again.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २—राजकीय आबकारी कर।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक -१०—राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४—बिक्रीकर।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२—बिक्रीकर के सम्बन्ध में स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४ स्वीकार की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : राशि नहीं बोले ।

श्री उपाध्यक्ष : I am abbreviating.

श्री नाथूराम मिर्धा : धन राशि जरूर बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष : All right.

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ११—कारागार ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ११ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १३—विविध विभाग ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,१५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १३--स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १४—वैज्ञानिक विभाग ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १४ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १७—जन-स्वास्थ्य ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,१८,१२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १७ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १८—कृषि ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने

वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १८ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १६—पशु-पालन।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशु-पालन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २२,३६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १६ स्वीकार की गई।

(विराम)

अब चूंकि समय समाप्त होने वाला है क्या सदन की मंशा हैं, कि सदन का समय जब तक कि एप्रोप्रियेशन बिल पास नहीं कर लिया जाय तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय जब तक कि एप्रोप्रियेशन बिल पास होता है तब तक के लिये बढ़ाया जाता है।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २४—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन।

प्रश्न यह कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २४ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २५—बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २६,३६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २५ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २६—सिंचन, नौचालय इत्यादि।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २६, मुख्य-शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यक)

४४--सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २०,२५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २७--सार्वजनिक निर्माण कार्य।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २७ मुख्य शीर्षक, ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,६१,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २७ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २८--सड़क और जल-परिवहन योजनायें।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५७--सड़क और जल-परिवहन योजनायें के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,५०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २८ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३०--निवृत्ति वेतन आदि।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३०, मुख्य शीर्षक ६५--निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ, ७२ निवृत्ति वेतनों का एकमुश्त दान के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,५९,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३० स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३३--लेखन-सामग्री तथा मुद्रण।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ६८--लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६,२०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३३ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३४—वन ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०—वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,२६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३४ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३६—अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३६—अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७६—अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन के संबंध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,७०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३६ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४०—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४० मुख्य शीर्षक ६४—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६,६७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४० स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४३—बहु-प्रयोजन नदी योजनायें इत्यादि ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ६८-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत, ६६—सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,०५,३७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४३ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४५—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक १०६—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४५ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४६—सड़क तथा जल-परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक ११४-सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २१,५३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४७—निवृत्ति वेतनों के एक मुश्तदान के भुगतान।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक १२०—निवृत्ति वेतनों के एक मुश्तदान के भुगतान के संबंध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४७ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४८—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४८, मुख्य शीर्षक १२४ सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी के लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,५२,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४८ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५०—उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं पर पूंजी की लागत।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान मांग संख्या ५०, मुख्य शीर्षक ६५ का उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १६६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

राज्यपाल महोदय को ६,६२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुपूरक अनुदान की मांग स्वीकार की गई ।

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक १९६४ (पुरःस्थापन, विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन·······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) On a point of order sir, माननीय वित्त मन्त्री राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० वन ऑफ १९६४) विधेयक प्रस्तावित करने के लिए सदन की अनुमति चाहते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल सदन में तब प्रस्तावित किया जाता है जब सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स का जो शिड्यूल है, वह शिड्यूल हर डिमांड को स्पैसीफाई करता है, वह सदन के द्वारा पारित किया किया जाता है । मुझे आपत्ति है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२, सैल्स टैक्स के अन्तर्गत जो धन राशि का प्रावधान किया गया है उस धन राशि को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए वह धनराशि सदन के द्वारा पारित नहीं की गई है और इसलिये जबतक धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती, तब तक एप्रोप्रिएशन बिल की सदन में प्रस्तावित करने की अनुमति सदन में नहीं दी जा सकती ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा(रायसिंह नगर) : ६ फेरे हो पाये, सातवां रह गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : [सरकारी पक्ष से] ऐसी कांस्टीट्यूशनल पोइंट्स रह जाते हैं और आप सदन में सोते रहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या और मुख्य शीर्षक के साथ धनराशि नहीं बोली गई तो उस मांग संख्या को वोट के लिए रखा गया और सदन ने उसको स्वीकार किया तो यह स्वतः मान लिया गया कि सदन को मालूम था कि उसकी राशि कितनी है और इसलिए वह मांग संख्या उतनी ही राशि के लिए स्वीकृत हुई, ऐसा माना जायेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब धनराशि को सदन में रखने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में सब धन राशियों को कहा गया था और वहां एक में नहीं रखा तो यह कहना कि राशि स्वीकार नहीं की गई, सही नहीं है, वह तो इम्प्लाइड है ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं राजस्थान एप्रोप्रिएशन (नं० १, १९६४) बिल, १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन, (नं. १,१९६४) बिल को पुरःस्थापन के लिए आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० १, १६६४) बिल को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० १, १६६४) बिल को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

(विचारार्थ लिया गया)

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of order sir, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गिलोटीन एप्लाइ किया था वह सिर्फ डिमान्ड्स को डिस्कस करने के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : No. It was for complete financial business.

श्री माणिकचन्द सुराणा : उस वक्त तक........

श्री उपाध्यक्ष : समय के बाद मैंने कहा था ।

श्री माणिकचन्द सुराणा : जिस वक्त आसन ने यह व्यवस्था दी उस समय एप्रोप्रियेशन बिल सदन के समक्ष नहीं था । इसलिए जब सदन के समक्ष कोई बिल नहीं है उससे पहले यदि गिलोटिन एप्लाइ किया जाय और कह दिया जाय कि यह मुखबंद है, विचार प्रकट नहीं किए जा सकते तो यह व्यवस्था उचित नहीं होगी । जब कोई बिल हमारे सामने नहीं है, तो गिलोटिन का सवाल नहीं उठता है । लेकिन इस बिल के संबन्ध में जो ५२ करोड़ रुपये की ग्रांट का है और सदन को पास करना है उनके बारे में जो विचार हैं........

श्री उपाध्यक्ष : रूल १५६ के अंतर्गत मैंने अपने अधिकार को प्रयोग में लेते हुए मैंने सारे फाइनैंस बिजनेस पर मुखबंद लगा दिया और सदन की यह परंपरा रही है कि ऐसी हालत में डिस्कशन नहीं होता और पारित किया जाता है, उसी परंपरा के अनुसार मैंने फाइनैन्स बिजनैस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए रूल १५६ के अंतर्गत काम किया है ।

Next portion.

श्री माणिकचन्द सुराणा : मैं आपका ध्यान रूल १५४ की दफा (५) की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि:—

"The Speaker may, in order to avoid repetition of debate, require members desiring to take part in discussion on an Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points they intend to raise, and he may withhold permission for raising such of the points as in his

opinion appear to be repetitions of the matters discussed on a demand for grant or as may not be of sufficient public importance".

श्री उपाध्यक्ष : That is not relevant here. Action has been taken under rule 156. This only applies when the debate is in process. Hence this does not come in picture now.

माणिकचन्द सुराणा : मैंने इस रूल के तहत आपको एडवांस इन्टीमेशन दिया है। मैं इस बिल पर यहां पर पोइंट रेज करना चाहता हूं। मैंने नोटिस दिया है वह उस समय से पहले दे दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : सूचनाएं तो कई संशोधनों की, कटौती प्रस्तावों की और दूसरी भी आई हैं लेकिन मुखबंद का प्रयोग हुआ तो फिर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

श्री माणिकचंद सुराणा : वह तो रूल १५६ में किया जो एप्रोप्रियेशन बिल के चैप्टर के नीचे है।

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप रूल १५६ को पूरी तरह से पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि सारे फाइनैंस बिजनैस को यदि आसन चाहे तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो भी उचित कार्यवाही करे उसको अख्तियार है। इसलिए जो उचित कार्यवाही थी वह मैंने की।

श्री मानिकचंद सुराणा : ५२ करोड़ की ग्रांट पर आप पांच मिनट का टाइम भी नहीं देते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अभी व्यवस्था दी कि गिलोटिन के बाद सदन में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। उसके अनुसार मंत्री महोदय को भी सदन में कोई प्रस्ताव........

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी इच्छा का आदर करते हुए स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पुट अप करता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० १, १६६४) बिल को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रात: ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० १.३६ बजे कल, दिनांक १० मार्च, १६६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

Page No. 120

संक्षिप्त-विवरण

१. तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

(सोमवार, दिनांक ९ मार्च,१९६४)

स्कम्भ

एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज, गंगानगर फीसों में भिन्नता ।

ट्रेक्टर्स की रजिस्ट्रेशन फीस ।

बारां में एकत्रित घास तथा उसका उपयोग ।

मूर्तियों की चोरी, मैणाल मन्दिर जिला भीलवाड़ा ।

आंवल से होने वाली आय ।

प्राईमरी स्कूलों का मिडिल स्कूलों में परिवर्तन, तहसील सिकराय ।

मवेशियों की चराई शुल्क ।
एज्युकेशन कोड ।

राजकीय महाविद्यालय, दौसा का भवन ।

मंहगाई भत्ते आदि में बढोतरी ।

अध्यापकों की नियुक्तियां, जिला बांसवाडा ।

अजमेर-श्रीनगर रूट का परमिट ।

पंचायत समिति, पाटन द्वारा निर्माण कार्य केलिए रकम ।

स्कम्भ

कालेज भवन, दौसा ।

डबल रोकड़ बही की बरामदगी, सरपंच ऑफिस, बिचूण ।

जयपुर में स्कूलों के लिए किराये पर मकान ।

कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, कोटा पर पैसेन्जर्स टैक्स की बकाया ।

कुओं के निर्माण हेतु अनुदान पंचायत समिति, प्रतापगढ़ ।

मिडिल स्कूल खोलने की सिफा-रिश, जिला जयपुर ।

ग्राम पंचायत, चुहुड़पुर में बकाया की वसूली ।

पीरामल गर्ल्स हाई स्कूल, बगड़ में साइन्स क्लासेज ।

बड़गांव पंचायत समिति द्वारा सहकारी समिति को ऋण तथा उसकी वसूली ।

निम्बाहेड़ा में कालेज ।

इन्सपेक्टर, देवस्थान बीकानेर द्वारा गबन ।

संक्षिप्त विवरण

सरपंच द्वारा गबन-लूंछ तहसील।

राजस्थान स्टेट रोडवेज डिपो जोधपुर।

पिंडवाड़ा एवं नाणा में छात्रावास बनने हेतु अनुदान।

पंचायत समिति एवं जिला परिषद सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा अध्यापकों का सिलेक्शन।

अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक स्कम्भ

नौ गांवां नाके से आमदनी।

कोटा ट्रान्सपोर्ट कं० के विरुद्ध शिकायतें।

मिनिमम वेजेज एक्ट के अधीन नियुक्त समितियां।

बेरोजगारों को रोजगार-एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज, कोटा।

पंचायत भवन निर्माण हेतु अनुदान जिला भरतपुर।

संक्षिप्त विवरण

ग्राम पंचायतों का ऑडिट-जिला जालोर तथा बाड़मेर।

वन समितियां-जिला बांसवाड़ा

दी भारत उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, अजमेर।

पंचायतों को सार्वजनिक कार्यों के लिए अनुदान-पंचायत समिति, कामां।

सहरिया परिवारों को अनुदान वैलफैयर एक्सटेन्शन प्रोजेक्ट्स का का ऑडिट।

समाज कल्याण विभाग, जयपुर के अन्तर्गत संस्थाओं पर वार्षिक व्यय।

ठिकाना बड़ी सादड़ी में देवस्थान ट्रस्ट।

जिला शिक्षा निरीक्षणालयों पर खर्चा।

गर्ल्स मिडिल स्कूल, निवाई।

वेतन का भुगतान-शिक्षा विभाग, जयपुर डिवीजन।

३. सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री निरंजननाथ आचार्य, उप-शिक्षा मंत्री, ने जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६२ की धारा २२ के अन्तर्गत जोधपुर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रथम परिनियम,(First statutes of the Jodhpur University) की एक प्रति सदन की मेज पर रखी ।

४. अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९६३-६४ (द्वितीय संग्रह) पर मतदान

(क) अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४९, मुख्य शीर्षक था—राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम ।

(ख) अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१—विविध ।

उपरोक्त मांगें श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई जिन पर कुल २२ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

योजना मंत्री श्री मथुरादास माथुर, कृषि मंत्री श्री नाथूराम मिर्धा एवं मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के उत्तर के पश्चात् मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

निम्नांकित मांगे मुखबन्द (Guillotine) के प्रयोग के पश्चात् सदन द्वारा स्वीकार की गई:—

क्र. सं. १	मांग संख्या २	मुख्य शीर्षक ३
१	३९	६२—भूमिधारकों इत्यादि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय ।
२	४१	६५—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत ।
३	२९	६४—दुर्भिक्ष सहायता ।
४	९	१९—सामान्य प्रशासन ।
५	२	१०—राजकीय आबकारी कर ।
६	४	१२—बिक्री कर ।
७	११	२२—कारागार ।
८	१३	२६—विविध ।

Page No. 123

९	१४	२७–वैज्ञानिक विभाग ।
१०	१७	३०–जन स्वास्थ्य ।
११	१८	३१–कृषि ।
१२	१९	३३–पशुपालन।
१३	२४	३९–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन ।
१४	२५	४२–बहु प्रयोजन नदी योजनायें ।
१५	२६	४३–सिंचन, नौचालन, तट बंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) ।
		४४–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) ।
१६	२७	५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य ।
१७	२८	५७–सड़क और जल परिवहन योजनायें ।
१८	३०	६५–निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ ।
		७२–निवृत्ति वेतनों का एक मुश्त दान ।
१९	३३	६८–लेखन सामग्री तथा मुद्रण ।
२०	३४	७०–वन ।
२१	३६	७६-अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन ।
२२	४०	९४–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत ।
२३	४३	९८–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत ।
		९९–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) ।
२४	४५	१०९–अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत ।
२५	४६	११४–सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत ।
२६	४७	१२०निवृत्ति वेतनों के एक मुश्त दान का भुगतान ।
२७	४८	१२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत ।
२८	५०	९५–का–उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं पर पूंजी की लागत ।

५. अनुपूरक अनुदानों की मांगों १९६३–६४ (द्वितीय संग्रह) से संबंधित विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार तथा उसका पारण

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री, ने सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित किया।

उक्त विधेयक विचारार्थ लिया जाकर, सदन द्वारा पारित भी किया गया।

मंगलवार, दिनांक १० मार्च, १९६४

की कार्य-सूची

आय-व्ययक, १९६४-६५ पर सामान्य वाद विवाद।

परिशिष्ट १

समयाभाव के कारण प्रश्नोत्तर-काल में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर कुओं के निर्माण हेतु अनुदान पंचायत समिति, प्रताप गढ

२७८. **श्री हरलाल** (प्रतापगढ) --क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील प्रतापगढ में कुओं के निर्माण हेतु पंचायत समिति प्रतापगढ से अब तक कितने कुओं के लिये कितना अनुदान दिया गया है ?

(२) क्या पंचायत समिति द्वारा दी गई अनुदान की रकम कुओं में लगादी गई है और समय समय पर कुओं की जांच होती रही है ?

(३) अब तक कितने कुंए खुदवाये गये हैं और उनमें से कितने कुए वीरान हैं और कितने कुओं पर सिंचाई हो रही है ?

उत्तर

(१) कुल १४३ कुओं के लिए ४३३५०) रु० का अनुदान दिया गया है।
(२) अभी तक ३६८००) रु० की रकम उपयोग में आ चुकी है। कार्य की जांच समय समय पर होती रही है।

(३) ६४ कुवें खोदे जा चुके हैं इनमें से १६ कुवों में पानी नहीं आया है ६८ कुवों की सिंचाई हो रही है ५९ कुवें अभी खुद रहे हैं।

मिडिल स्कूल खोलने की सिफारिश, जिला जयपुर

२७९. **श्री नाथूलाल करोल** (चाकसू) :क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१)क्या यह सही है कि सरकार की तरफ से जयपुर जिला परिषद को एक पत्र द्वारा यह कहा गया था कि इस साल जयपुर जिले में ३ मिडिल स्कूल खोले जावेंगे और इसलिये जयपुर जिला परिषद ने ३ ऐसे स्थानों के नामों की सिफारिश की जो मिडिल स्कूल खोले जाने के आधार के अनुसार थे ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार की तरफ से फिर थोड़े दिन बाद एक पत्र द्वारा जिला परिषद् जयपुर को फिर यह कहा गया कि ५ नाम माध्यमिक -शाला के लिये उन तीन के अलावा और भेजो, और जिला परिषद् ने पांच नाम और भेजे।

यदि हां, तो पहले तीन नाम कौन २ से भेजे गये और फिर पांच नाम कौन कौन से भेजे गये ? पहले तीन नामों में जिला परिषद् द्वारा प्राथमिकता बताई गई थी या नहीं और बाद में नाम भेजे गये उन पर भी प्रायोरिटी थी या नहीं ?

(३) इस साल कितने मिडिल स्कूल इस जिले में खोले गये और कौन २ से ?

उत्तर

(१) जी हां, जयपुर परिषद् से ३ प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने के प्रस्ताव मांगे गये थे।

(२) जी हां, ५ नाम और भेजने के लिये कहा गया था।

जिला परिषद ने पहले किशनपुरा, काडेरा तथा लधाना प्राथमिक शालाओं के नाम प्रस्तावित किये थे फिर तिम्बलिकावास, हिरनोदा, पंच्छि डाला, दोलतपुरा व मुडिया रामसर के नाम प्रस्तावित किये जो प्रायरिटी बेसिस पर थे और शिक्षा निरीक्षक ने भी सूचित किया कि नाम प्रायरिटी बेसिस पर है।

(३) इस वर्ष इस जिले में निम्न प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित किया गया :—

(१) लधाना

(२) पंच्छिडाला

(३) किशनपुरा

(४) मुंडिया रामसर

(५) बड़ी जोडी

(६) अजान कला

(७) फागी (कन्या शाला)

ग्राम पंचायत, चुहड़पुर में बकाया की वसूली

२८०. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति तिजारा की ग्राम पंचायत चुहुडपुर की तरफ सरकार का हजारों रुपया बकाया निकलता है ? अब तक कितना वसूल किया जा चुका है ? और कितना बकाया निकलता है ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार बकाया वसूली में देर लगा रही है ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं तो अभी तक वसूली क्यों पूरी नहीं की गई ?

उत्तर

(१) विकास कार्यों के लिये १६००) रु० का अनुदान दिया गया है। अभी तक कोई वसूली नहीं की गई है।

(२) जी नहीं काम पूराकराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

पीरामल गर्ल्स हाई स्कूल, बगड़ में साइन्स क्लासेज

२८१. **श्रीमती सुमित्रा** (झूंझूनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार का पीरामल गर्ल्स हाई स्कूल, बगड़ में सन् १९६४ के जुलाई मास से साइन्स क्लासेज भी चालू करने का इरादा है ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार के पास इस तरह की मांग आई थी तथा क्या राज्य सरकार यह महसूस नहीं करती है कि लेडी डाक्टर बनने के लिये लड़कियों को हाई स्कूल में साइन्स पढ़ने की सुविधा देना आवश्यक हैं ?

उत्तर

(१) उच्च व उच्चतर माध्यमिक शालाओं में सन् ६४-६५ में विज्ञान विषय प्रारंभ करने के लिये उपाध्यक्ष व निरीक्षक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगे है, यदि पीरामल गर्ल्स हाई स्कूल का प्रस्ताव स्वीकृत हो सका तो ६४-६५ के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए विज्ञान विषय प्रारम्भ करने पर अवश्य विचार किया जावेगा।

(२) यदि उपाध्यक्ष, शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव में पीरामल उच्च शाला में विज्ञान विषय के लिये मांग आई तो मेरिट के अनुसार दूसरी ऐसी शालाओं के साथ इस पर भी विचार किया जावेगा।

बड़गांव पंचायत समिति द्वारा सहकारी समिति को ऋण तथा उसकी वसूली

२८२. **श्री शंकरलाल** (सादड़ी) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बड़गांव पंचायत समिति द्वारा शीशवी बहुधंधी सहकारी समिति को कितना ऋण दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि बलाईयों को चमड़ा रंगने की कुण्डियें बनाने के लिये जो ऋण दिया गया उसका उपयोग नहीं हुआ है ?

(३) यदि जिस कार्य के लिये ऋण दिया गया उस कार्य पर राशि खर्च नहीं की गई तो राज्य सरकार के आदेशानुसार सारी रकम एक मुश्त वसूल करने की कार्यवाही की गई या नहीं ?

उत्तर

(१) ३१००) रू० ।

(२) जी हां ।

(३) नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की गई है ।

निम्बाहेड़ा में कालेज ।

२८३. **श्री अब्दुल जब्बार खां** (निम्बाहेडा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्ष १९३६ में बने हाईस्कूल निम्बाहेड़ा को कालेज बना देने से सरकार का हर वर्ष कितना खर्चा बढ़ेगा और शिक्षा प्रसार योजना को सफल बनाने में कितना योग मिलेगा ?

(२) क्या सरकार शिक्षा प्रसार योजना को सफल बनाने के विचारान्तर्गत इस हाई स्कूल को कालेज बनाने की इच्छा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि भदेसर, मंडफिया में हायर सेकेण्डरी स्कूल है जब कि निम्बाहेडा में विद्यार्थियों की संख्या तिगुनी है लेकिन वहां केवल हाई स्कूल ही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) १० लाख रुपया अनावर्तक कालेज भवन व छात्रावास निर्माण हेतु एवं अन्य सामग्री हेतु और एक लाख रुपया प्रतिवर्ष आवर्तक खर्चा होगा । जब तक चित्तौड़गढ़ कालेज में जो निम्बाहेड़ा के पास ही है उससे निम्बाहेड़ा की आवश्यकता पूर्ण हो सकेगी ।

(२) जी नहीं । जैसा किइस के बारे में प्रश्न १ ई एम के उत्तर में ता० २४-२-६४ को सदन में कहा जा चुका है ।

(३) सरकार की पहले यह नीति थी कि समस्त हाई स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जावेगा। अतः नई माध्यमिक शालायें जो भी अपग्रेड की गई उन्हें हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया लेकिन बाद में आर्थिक संकट के कारण इस नीति में परिवर्तन करना पड़ा और वे माध्यमिक शाला भी जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल (हा.ई. स्कूल के समकक्ष) बनाई जाती हैं भदेसर में उपरोक्त नीति के अनुसार ही सन् १९५८ में हायर सेकेंडरी स्कूल खोला गया था। लेकिन परिवर्तित नीति के अनुसार जूनियर सेकेंडरी स्कूल ही खोला गया। ऐसी परिस्थिति में निम्बाहेड़ा को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाना संभव नहीं है।

इन्सपैक्टर, देवस्थान बीकानेर द्वारा गबन

२८४. श्री जोधसिंह चौहान, (गिरवा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर डिवीजन में हर भादवा माह में गोगामेडी में मेला लगता है जिसका प्रबंध देवस्थान विभाग करता है? क्या यह भी सही है कि सन् ६२ के मेले में इंस्पेक्टर देवस्थान बीकानेर प्रबन्ध हेतु वहां पहुंचे और उन्होंने उस काम के लिये तीन व्यक्तियों को ता० २६-८-६२ से ९-९-६२ को नौकर रखा और क्रमशः ३०) रु० ३०) और २२॥) रु० योग ८२॥) रु० चुकाया और स्टाम्प रसीद ली? क्या ८२॥) रु० के अंक के बाद में ९२॥) रु० बनाया गया और ९२॥) रु० ही नाम में मांड कर रकम ली गई और इस प्रकार १० रु० का गबन किया गया?

(२) सन् ६२ में होने वाले गोगामेडी के मेले में देवस्थान के कितने कर्मचारियों को कितनी कितनी रकम चुकाई गई? जो रकम चुकाई गई उतना ही चुकारा क्यों नहीं दिखाया गया?

(३) कमिश्नर देवस्थान के ध्यान में यह फर्क कौनसी तारीख को आया और उन्होंने इस पर कार्यवाही कौनसी तारीख को की?

(४) गबन के मामले में नियमानुसार यह कार्यवाही कब की जानी चाहिये थी?

उत्तर

(१) हां, बीकानेर डिवीजन में हर वर्ष भादवा मास में गोगामेडी का मेला लगता है और इसका प्रबन्ध इन्सपेक्टर, देवस्थान, बीकानेर द्वारा होता है। सन् १९६२ के मेले में दिनांक २६-८-६२ से ९-९-६२ तक तीन व्यक्ति को नौकर रखे गये और उनमें से २ व्यक्तियों को प्रति २) रु० रोज से १५ रोज के ३०) रु० ३०) रु. व एक व्यक्ति को १५ रोज

के प्रति १॥) रु० रोज से २२॥) रु० चुकाये गये जिसकी रसीद नियमानुसार ली गई है ।

जो हिसाब पेश हुआ है उसमें ८२॥) रु० के बजाय ६२॥) रु० बनाये जाकर हिसाब में ६२॥) रु० नामे मांडे गये हैं। १०) रु. का जो फर्क है उसके लिए सहायक कमिश्नर देवस्थान विभाग जोधपुर को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए आज्ञा दी गई है। अतः जांच की रिपोर्ट पेश होने पर ही कहा जा सकता है कि यह १०) रु० का गबन है या क्या।

(२) सन् ६२ में गोगामेडी के मेले के अवसर पर तीन कर्मचारी (१) श्री ओमप्रकाश (२) श्री कसमीर हरिजन को क्रमशः ३०) रु. ३०) रु. और (३) श्री सत्य नारायण को २२॥) रु० चुकाये गये। जो रकम वाजिब थी वही चुकाई गई है। मीजान तथा पेमेन्ट आर्डर में बजाय ८२॥) रु० के ६२॥) रु. किये जाने से १०) रु० विशेष खर्च में बताये है। जैसा कि ऊपर अंकित किया गया है।

(३) गोगामेडी के खर्चे का हिसाब इन्सपेक्टर देवस्थान विभाग बीकानेर द्वारा तैयार किया जाकर सहायक कमिश्नर, देवस्थान विभाग, जोधपुर के द्वारा उनके पत्र संख्या ४०१० दिनांक ४–६–६३ से प्रधान कार्यालय में दिनांक ७–६–६३ को प्राप्त हुआ। और जांच पड़ताल के बाद सम्बन्धित कर्मचारीकी रिपोर्ट दिनांक २७-११-६३ को पेश हुई जिस पर दिनांक १२-१२-६३ को (कमिश्नर द्वारा) आदेश दिया गया।

(४) जांच के पश्चात् ही यह मालूम हो सकेगा कि वास्तव में गबन है या क्या।

सरपंच द्वारा गबन–लूंछ तहसील

२८५. श्री मोहनलाल सारस्वत, (रतनगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति लूंछ तहसील रतनगढ़ जिसके मंत्री श्री भोमाराम हैं, और जो उस पंचायत के सरपंच है, को १२,०००) रु० समिति के सदस्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देने के लिए प्रदान किये गये थे? ये रुपये सन् ६२ में रसीद देकर श्री भोमाराम ने सदस्यों से वसूल कर लिये लेकिन इनमें से लगभग ६,७००) रु० का गबन श्री भोमाराम ने कर लिया है तथा ये रुपये कहीं जमा नहीं करवाये हैं, तथा आडिट होने पर व सरकार का नोटिस मिलने पर भी ये रुपये श्री भोमाराम ने अब तक नहीं लौटाये?

(२) यदि हां, तो श्री भोमाराम के खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

(३) रुपये की वसूली के लिए क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२), (३) श्री भोमारामको रुपये जमा कराने के लिए नोटिस देने पर भी जमा नहीं करवाये तो राजस्थान सहकारी अधिनियम ५३ की धारा ६७ (बी) के तहत वसूली के लिए सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है और तहसील द्वारा वसूली की कार्यवाही को जा रही है। मामला पुलिस में भी दिया जा चुका है।

राजस्थान स्टेट रोडवेज डिपो, जोधपुर

२८६. श्री तेजाराम गहलोत, (सोजत) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) जोधपुर में राजस्थान स्टेट रोडवेज के डिपो हेतु कब व कहां पर भूमि अलॉट की गई ?

(२) मौजूदा स्टेट रोडवेज का डिपो कहां पर व कितने किराये पर है व उसका कवर्ड लिमिट एरिया कितना है ?

(३) क्या पी. डब्ल्यू. डी. से नयी अलॉट शुदा भूमि पर कन्स्ट्रक्शन करने की मांग की गई ? यदि हां, तो कब कब व कितने रुपयों की और पी. डब्ल्यू. डी. ने उसकी स्वीकृति दी या नहीं ?

(४) क्या यह भी सच है कि जनरल मैनेजर ने बार बार डिपो मैनेजर जोधपुर को मौजूदा डिपो का किराया ज्यादा होने की वजह से छोड़ने को पत्र लिखे ? यदि हां, तो कब कब व डिपो मैनेजर जोधपुर ने क्या कार्यवाही की, और नहीं की तो क्यों ?

उत्तर

१. डिपो आफिस के लिये राई का बाग रेल्वे स्टेशन के पास दिनांक २७-६-६३ को तथा डिपो वर्कशाप के लिये महामन्दिर के पास दिनांक २७-१०-६१ भूमि अलाट की गई।

२. मौजूदा समय में रोडवेज का डिपो आफिस व वर्कशाप दोनों खेजड़ला हाउस पावटा, जोधपुर में है । जिसका मासिक किराया ७५० रु० और कवर्ड एरिया ८,४७३ वर्ग गज है ।

३. जी हां। नयी अलाट शुदा भूमि पर कन्सट्रक्शन करने की मांग दिनांक १३-१-६४ को सार्वजनिक विभाग को भेजी गई है । भवन निर्माण हेतु कुल २,१४,२०० रु० की धनराशि स्वीकृत है चालू वित्तीय वर्ष के लिये इसमें से ५०,००० रु० की स्वीकृति दी गई है । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टेक्निकल स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

४. जी हां । जनरल मैनेजर राजस्थान रोडवेज ने स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट, जोधपुर को दिनांक २८-११-१९६२ व ६-१२-६२ को मौजूदा डिपो का किराया ज्यादा होने की वजह से अलाट शुदा भूमि राई का बाग रेल्वे स्टेशन के सामने डिपो को ले जाने एवं दिनांक १७-१२-६२ को खेजड़ला हाउस का दुबारा असेसमेन्ट कराने को भी लिखा गया था ।

स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट जोधपुर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दुबारा असेसमेन्ट करवाया किन्तु फिर भी वही ८७४ रु० का ही मासिक किराया असैस हुआ ।

तदुपरान्त मकान मालिक से भी किराया कम करने को कहा गया जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में ७५० रु० माहवार के हिसाब से किराया दिया जा रहा है ।

पिंडवाड़ा एवं नाणा में छात्रावास बनाने हेतु अनुदान

२८७. श्री रविशंकर याज्ञिक (पिण्डवाड़ा)—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पिंडवाड़ा जिला (सिरोही) एवं नाणा (जिला पाली) में अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास बनाने हेतु राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ को सरकार ने अनुदान दिया था ? यदि हां, तो कब और प्रत्येक छात्रावास के लिये कब और कितनी कितनी धन राशि दी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों छात्रावास अभी तक अधूरे पड़े हैं और पिंडवाडा छात्रावास में तो सिर्फ एक ही कमरा ऐसा है जिसमें लडके वर्षा में उठ बैठ सकते हैं और ज्यादा बारिश होने पर उसे भी खाली करना पडता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(३) संघ ने यह कार्य जिन ठेकेदारों द्वारा करवाया है उन्हें प्रत्येक को अलग अलग अब तक कितनी रकम मिली है और उनके काम नहीं करने का क्या कारण है ?

(४) ये दोनों छात्रावास कब तक पूरे हो जायेंगे ?

उत्तर

(१) जी हां। पिंडवाडा जिला सिरोही व नाणा जिला पाली के २ छात्रावासों के लिए सन् ६०,६१ में १७,८५७ रु० प्रति छात्रावास व सन् ६२,६३ में ५,००० रु० प्रति छात्रावास के हिसाब से राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ को अनुदान दिया गया।

(२) जी हां, क्योंकि छात्रावास भवन अभी अपूर्ण है।

(३) पिंडवाडा छात्रावास के ठेकेदार को १८,००० रु० के लगभग तथा नाणा के ठेकेदार को १७,५०० रु० के लगभग रकम दी जा चुकी हैं। काम नहीं करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जितना कार्य उन्होंने किया है उसका भुगतान संघ की ओर से कर दिया गया है और निर्माण कार्य चालू है।

(४) आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की आशा है।

पंचायत समिति एवं जिला परिषद सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा अध्यापकों का सिलेक्शन

२८८. श्री रामकिशन, (वैर)—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा सिलेक्टेड कितने अध्यापकों की नियुक्ति हो गई और कितनों की नहीं हुई है ? जिनकी नियुक्ति नहीं हुई उसका क्या कारण है ?

उत्तर

चयन किये हुए कुल १३,७४३ अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है। शेष १,७६६ की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है।

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १०४ का उत्तर देखिये)

Statement Showing the Income of Check Nogaon for the years from 1859-60 to 1963-64.

S. No.	Month	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	Remark.
1.	Aprii	—	621.05	1020.48	2625.03	31640.78 25885.0	
2.	May.	—	901.74	2110.72	1204.26	26869.72 3457.50	
3.	June.	—	308.47	698.90	13083.21	29879.22 2776.00	
4.	July.	—	184.00	957.85	9115.28	28954.88 9114.50	
5.	Aug.	287.00	425.19	1015.29	9876.20 998.00	44722.02 2290.50	
6.	Sept.	558.24	700.68	508.54	8863.78 770.00	37553.76 1268.00	
7.	Oct.	874.14	921.38	1344.68	11835.97 2182.50	32673.58 2417.00	
8.	Nov.	957.68	882.61	1132.06	25463.38 2362.00	80838.20 3348.00	
9.	Dec.	1886.14	18939.36	20199.39	49938.93 3180.00	24950.58 2812.50	
10	Jan.	7403.16	515.00	1037.64	25929.04 3000.00	26037.33 1937.00	

S. No.	Month	1959-60	1960-61	1961-62	1262-63	1963-64	Remark.
11.	Feb.	1098.84	1526.91	1072.19	101562-28 3216.50		
12.	March	754.46	1893.04	1965.20	65138.06 2423.00		
	Total.	13819.66	27519.43	33062.94	314642.42 19132.00		

Note:—Road Tax from August 1962 is shown under the taxation Income up to January 64.

परिशिष्ट--३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ का उत्तर देखिये)

संख्या	कमेटी का नाम मय उद्योग	गठन की तिथि	अवधि	समय में वृद्धि की तिथि	कमेटी की रिपोर्ट पेश करने की तिथि	विशेष विवरण
१—	एग्रीकल्चर	२८–२–५८	६ माह	२८–८–५८ से ३०--४--५६	३०–४–५६	
२—	बीड़ी उद्योग	२३–५–६१	—	२३--११--६१ से ३१--३--६२	३१--३--६२	रिपोर्ट पर कमेटी ने १४-५-६३ को हस्ताक्षर किये ।
३—	पब्लिक मोटर ट्रान्सपोर्ट	२६--११--६२	—	२६--११--६२ से २६–१२--६३	२४--१२--६३	कमेटी ने रिपोर्ट पर २४-१२-६३ को हस्ताक्षर किये ।
४—	स्टोन ब्रेकिंग एन्ड स्टोन क्रशिंग	२६--११--६२		—	२२--१२--६३	कमेटी ने रिपोर्ट पर २२-१२-६३ को हस्ताक्षर किये ।
५—	कंस्ट्रक्शन आर मेन्टेनेन्स ओफ रोड्स एन्ड बिल्डिंग आपरेशन्स		—	—	११--१--६४	

१.	२	३	४	५	६
६—लोकल आथोरिटी	—	—	—	२४--१२-६३	
७—वूलन कारपेट मेकिंग आर शाल विविंग	—	—	—		
८—राइस फ्लोर एण्ड दाल मिल्स	—	—	—		
९—माइका वर्क्स	—	—	—		
१०—आइल मिल्स	—	—	—		

नोटः—१. कमेटी संख्या ३ से ६ की रिपोर्ट अभी सलाहकार मंडल के समक्ष विचाराधीन है ।

२. कमेटी संख्या ७ से १० ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १०८ का उत्तर देखिये)

भरतपुर जिले में ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए दिये गये अनुदान की सूची

क्रमांक	पंचायत समिति	संख्या ग्राम पंचायत	संख्या भवन जिनका कार्य पूरा हो चुका है	संख्या भवन जो अधूरे है व अधूरे रहने का कारण	संख्या पंचायत जिन्हें सन् १९६३–६४ में अनुदान दिया जावेगा।
१.	नदवई	—	—		—
२.	धौलपुर	७	२	५ भवन जन सहयोग प्राप्त न होने के कारण	—
३.	कामां	२	१	१ ,, ,, ,, ,,	—
४.	सेवर	६	४	१ भवन का कार्य चालू है।	५ को अनुदान दिया गया है कार्यचालू है।
५.	रूपवास	४	४	१ भवन का कार्य चालू है।	
६.	बयाना	८	६	३ भवनों का कार्य प्रगति पर है।	
७.	डीग	२	२		१

१	२	३	४	५	६
८.	बाड़ी	—	—		
९.	कुम्हेर	११	५	६ भवनों का कार्य प्रगति पर है।	
१०.	नगर	११	६	२ भवन जन सहयोग प्राप्त न होने के कारण	—
११.	नैर	—	—	—	१
१२.	बसेड़ी	७	५	२ भवन जन सहयोग प्राप्त न होने के कारण	—
१३.	राजाखेड़ा	४	४	—	—

परिशिष्ट—५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ११५ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा जयपुर नगर में संचालित संस्थाओं की सूची।

क्रमांक	प्रवृत्ति का नाम	स्वीकृत संख्या	स्कीम	स्थान	वार्षिक व्यय १९६२--६३	विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१—	महिला सदन, जयपुर	१००	सोशियल वेलफैयर	पुराना घाट, जयपुर	४८३०२	
२—	जिला आश्रय गृह पुरुष	२५	सोशियल मोरल हाइजिन	बापू नगर, जयपुर	१२२९६	
३—	अनुसूचित जाति छात्रावास	६०	अनुसूचित जाति	तिलक नगर, जयपुर	२५०६३	
४—	अनुसूचित जन जाति छात्रावास	२५	अनुसूचित जन जाति	तिलक नगर, जयपुर	९९९८	
५—	अनुसूचित जाति कन्या ,,	२५	अनुसूचित जाति	बापूनगर, जयपुर	६८७३	
६—	विमुक्त जाति ,,	२५	विमुक्त जाति	तिलक नगर, जयपुर	१४३१०	
७—	योयूज क्लब	—	डिफैन्स	चांदपोल	५०८९	

१	२	३	४	५	६	७
८—बायज़ क्लब		—	डिफेन्स	अमृतपुरी हरिजन बस्ती, जयपुर		
६—पूर्ण कालीन महिला केन्द्र		—	अनुसूचित जाति	सैन्ट्रल जेल	३६०३	
१०—अल्प कालीन समाज शिक्षण केन्द्र		—	अनुसूचित जाति	,, ,,	....	
११—अल्प कालीन संस्कार केन्द्र पुरुष एवं महिला			अनुसूचित जाति	नाहरगढ़	....	
१२—अल्प कालीन संस्कार केन्द्र पुरुष एवं महिला			अनुसूचित जाति	चांदपोल	....	
१३—अल्प कालीन समाज शिक्षण केन्द्र			अनुसूचित जाति	घाटगेट	....	

Copy of Notification No. F. 5 (1). SW/-59 dated 21.10.59 from the Asstt. Secretary to the Government of Rajasthan Social welfare Department, Jaipur.

......

Sub:—Change in the names of the Managing Committee of Sate Homes, Jaipur.

Government have been pleased to constitute a Managing Committee of the State Rescue Home, Jaipur as under:—

1. Shrimati Indu Bala Sukhadia.	President.
2. Shrimati Mangla Talwar.	Member.
3. Shrimati S. khanna.	-do-
4. Shrimati Sharda Bhargava.	-do-
5. Shri B. L. Ajmera.	-do-
6. Shrimati V. Sareia.	-do-
7. Shri Ram Singh, Collector, Ja ipur.	-do-
8. Shri Mandan Mishra.	-do-
9. Shri Parmanand Sharma	-do-
Director of Social welfare.	-do-
10. Shri H. N. Kaul.	Treasurer.
11. Superintendent, Home.	Secretary.

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ११७ का उत्तर देखिये)

List of Inspectorate Information regarding Part-II and Part IV of the Starred question No. 107-SM

Sl. No.	Name of Inspectorate Working for more than 3 years	Inspectors	Dy. Inspectors	Peons	Information Part—II	Information Part IV (T.A.D.A. Inspector D. I. O. S.
1.	2.	3.		4.	5.	6.
1.	Jodhpur	9	-	4439.5	2004.02	598.66
2.	Barmer.	2	-	2630.32	1769.00	1207.45
3.	Nagur.	x	x	3300.00	1098.48	490.55
4.	Pali	8	5	3200.00	700.00	650.00
5.	Sirohi.	7	1	3500.00	1240.00	926.00
6.	Bikaner	4	x	1599 00	510.90	488.75
7.	Churu.	1	x	3203.88	1173.91	1045.51
8.	Ganganagar	9	x	4000·00	1544.00	1274.43

1	2	3		4	5	6
9.	Udaipur.	9	x	4141.00	787.10	1201.01
10.	Banswara.	3	x	4880.00	1120.76	422.00
11.	Bhilwara.	5	x	4132.00	1170'10	703.42
12.	Chittor.	4	2	3378.00	977.00	814.00
13.	Jhalawar.	3	x	3000.00	703.37	642.50
14.	kota.	3	3	4085.40	1507.97	1165.65
15.	Jaipur.	9	9	10676.28	634.79	1349.30
16.	Jhunjhunu.	6	5	2852.00	933.92	716.56
17.	Bharatpur.	4	6	3625.00	634.79	1452.07
18.	Karauli.	1	o	2831.00	2299.35	1505.25
19.	AJmer.	2o	8	29978.00	990.00	2o62.00
20.	Alwar.	12	x	6o31.68	1188,42	2160,03
21,	Sikar,	7	x	4046,00	1148,36	1455,37

* शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक ६ मार्च, १६६४)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२	३	(श्री भवानीशंकर नन्दवाका)	(श्री भवानीशंकर नन्दवाना):
६	६ व २४	श्री निरजननाथ आचार्य :	श्री निरंजननाथ आचार्य :
८	६	श्री रघुनाथ बिश्नेई	श्री रघुनाथ बिश्नोई
,,	१५	श्री रधुनाथ बिश्नोई	श्री रघुनाथ बिश्नोई
६	२०तथा १४ व २१	श्री हरदतसिंह	श्री हरदत्तसिंह
१०	शीर्षक	तारकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
१३–१४	शीर्षक	—६ नार्च, ६४	-६ मार्च, ६४-
१६	३	उप मंत्रो, पराताव विभाग	उप मंत्री, पुरातत्व विभाग
२०	१६	श्र लक्ष्मणप्रसाद पटेल	श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
२२	१२–१३	(श्री भवानीशंकर नंदवाना)	(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)
२६	१६	श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
२७	२६	श्री निरजननाथ आचाय	श्री निरंजननाथ आचार्य
२८	२३	श्री निरजननाथ आचाय	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	२७	श्री निरजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
३०	१०	श्रो निरजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	अन्तिम से ३	श्री मुरलीधर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
३१	६	श्र निरजननाथ आचाय	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	१६	राकीय	राजकीय
५५	अन्तिम	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
६२	१६	(श्री बालकृष्ण)	(श्री बालकृष्ण कौल)
६५,	२१	श्री बालकुष्ण कौल	श्री बालकृष्ण कौल
७१	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्रम मंत्री)

(२)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्ध ३	शुद्ध ४
७६	२०	श्री विठ्ठल	श्री विट्ठल
७६	६	(वैर)	(वैर)
६०	५	अध्यक्ष महोदय,	अध्यक्ष महोदय
६१	शीर्ष	सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
६५–६६	शीर्षक	अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या –६ मार्च, ६४-अनुपूरक अनुदानों की संख्या ४६	अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ४६-६ मार्च, ६४-अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ४६
१०४.	१२	मांग संख्या ३५ पर	[मांग संख्या ३५ पर
११६	शीर्ष	(श्री रमानन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
१२०	१६	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
,,	२१	श्री विटठल	श्री विट्ठल
१३२	१०	राव श्री नारायणसिंह (उपाध्यक्ष,	(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष,
१३८	१०	पदासीन)	पदासीन)
		श्री बालकष्ण कौल	श्री बालकृष्ण कौल
१४०	१०	श्री बालकृष्ण कोल	श्री बालकृष्ण कौल
१४१	शीर्ष	(श्री सम्पतीलाल बोहरा)	(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)
१४२	शीर्षक	एर्वं विविध	एवं विविध
१४५	१३,१८व२७	श्री बालकृष्ण कोल	श्री बालकृष्ण कौल
१५०	१०	श्री योगेन्द्र नाथ टांडा	श्री योगेन्द्र नाथ हांडा
१५५	१५	श्री बालकृष्ण कोल	श्री बालकृष्ण कौल
१५७	५	श्री बालकृष्ण कोल	श्री बालकृष्ण कौल
१५८	५ व १८	,,	,,
,,	२६	श्री उमरावसिह डाबरिया	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
१५६	शीर्षक	–६ माच, ६४–	-६ मार्च, ६४-
१६२	शीर्षक	एव यवध	एवं विविध
१७२	३	श्री मानसिह महार	श्री मानसिंह महार
१७३	६	श्री चन्द्रसिह बरपा	श्री चन्द्रसिंह बर्फा

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१७७	शीर्ष	——	(श्री मानसिंह महार)
१७६	शीर्ष	(अब्दुल जब्बार)	(श्री अब्दुलजब्बार)
१८१	अन्तिम से ४	(वित्त मत्री)	(वित्त मंत्री)
१८५	१,५,७,१५	**श्री चन्द्रसिंह बरफा**	**श्री चन्द्रसिंह बर्फा**
१८६	अन्तिम	,, ,, ,,	,, ,, ,,
१८८	अन्तिम से ३	,, ,, ,,	,, ,, ,,
१६१	शीर्षक	४६ व ३५	४६ व ३५
१६२	शीर्षक	तथ	तथा
,,	७	**श्री कृष्णकुमार गोयल**	**श्री कृष्णकुमार गोयल**
१६७	शीर्ष	(श्री कृष्णकुमार गोयल)	(श्री कृष्णकुमार गोयल)
२२०	शीर्षक	ऋण तथा अग्रिम एवं विविध	--अनुपूरक अनुदान की मांगे
२२१से २३२ तक	शीर्षक	मांग संख्या ४६ व ३५-६ मार्च, ६४-ऋण तथा अग्रिम एवं विविध	शेष अनुपूरक अनुदान की-६ मार्च, ६४-मांगों पर मुख बन्ध
२२१	शीर्ष	——	(श्री उपाध्यक्ष)
२२५से २३३ तक	शीर्ष	——	(श्री उपाध्यक्ष)
२३३	शीर्षक	मांग संख्या ४६ व ३५-६ मार्च, ६४-ऋण तथा अग्रिम एवं विविध	अनुपूरक अनुदान की मांगें-६ मार्च, ६४-विनियोग (संख्या १) विधेयक, १६६४
२३५से २३८	शीर्षक	मांग संख्या ४६ व ३५,६ मार्च-६४--ऋण तथा अग्रिम एवं विविध	राजस्थान विनियोग (सं० १) -६ मार्च, ६४-विधेयक, १६६४
२३७		—— ——	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
२३६	३	तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	——
,,	कालम २३६ में स्कम्भ के नीचे	स्कम्भ	तारांकित प्रश्नों के शीर्षक स्कम्भ १
२४१	१	संक्षिप्त-विवरण	——
,,	पंक्ति ६ के सामने	स्कम्भ	स्कम्भ ६७

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२४३ से २४८	शीर्षक	परिशिष्ट-६ मार्च, ६४-परिशिष्ट	संक्षिप्त विवरण-६ मार्च, ६४-संक्षिप्त विवरण
२५०से २५३ तक	शीर्षक	——	परिशिष्ट
२५१	८	(भूं भूं नू)	(भुं भुं नू)
२५५से२५६	शीर्षक	——	परिशिष्ट
२५७	शीर्षक	——	परिशिष्ट
२६६	शीर्षक	——	परिशिष्ट

अतारांकित प्रश्न संख्या १११ का उत्तर

(कृपया कॉलम संख्या ७६, पंक्ति संख्या ३ देखिये)

१. दी भारत उद्योग सहकारी समिति लि०, अजमेर का पंजीयन २१ मार्च, १६५६ ई० को हुआ। सर्व श्री शिवराम इस समिति के मंत्री समिति के प्रारम्भ से २५ जून, १६६० तक व श्री सागरमल २६-६-६० से अभी तक हैं।

२. इस समिति के उद्देश्य बहुत ही व्यापक हैं जिनमें से विशेष तौर पर यह उद्देश्य हैं:—

समिति अपने सदस्यों को उद्योग व व्यापार के लिये ऋण देने, खादी स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों के लिए माल खरीदना, बेचना व उसका कार्य करना, खेती के लिए पट्टे पर या अन्य प्रकार से जमीन खरीदना व लेना व वैज्ञानिक तरीकों से खेती का इन्तजाम करना, सड़क, पुल, तालाब, आवास के मकान, सरकारी इमारतों आदि का बनवाना, खानों का काम करना, पैसेन्जर बसों व ट्रकों आदि का चलाना व व्यापार करना, खेती व खेती उद्योग से सम्बन्धित सर्व प्रकार की चीजें जैसे डेयरी फार्म, बाग-बगीचों की उपज और दुग्ध व अन्य वस्तुओं, जो कि प्राणी मात्र के उपयोग में आती हैं, का व्यापार करना व सब ऐसी अन्य चीजें जो कि व्यापारिक हों, का व्यापार करना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति ने पहले कुम्हारी उद्योग को चलाने के लिए एक व्यक्ति का प्रशिक्षण करवाया और फिर माखुपुरा में इसका आरम्भ भी किया किन्तु कार्य-स्थल बाजार से दूर होने के कारण और मेम्बरों की अन्य असुविधाओं को महसूस करते हुए समिति ने अपने कार्य-स्थल का स्थानान्तरण अजमेर के समीप ही पुष्कर रोड पर कर दिया

अजमेर में रहने वाले सदस्यों को शहर के बाहर किन्तु उसके पास ही रखकर उनके उद्योग को बढ़ावा दे सकें और उनकी आर्थिक स्थिति का विकास कर सके। इसके अतिरिक्त समिति ने खान चलाने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रूवल पर प्राप्त किया किन्तु अर्थाभाव में इस कार्य को नहीं कर सकी। राजस्थान ग्रामोद्योग बोर्ड की स्कीम के अन्तर्गत रेशा उद्योग में २८ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया।

समिति ने कुम्हार उद्योग के लिए अपना निजी वर्किंग शेड पुष्कर रोड पर बनवा लिया है। वर्तमान में समिति ने महिला विभाग का गठन करके कुटीर उद्योग के अन्तर्गत हाथ पिसे शुद्ध मसाले जनता में विक्रय कर रही है। समिति ने निर्माण के ठेके लेकर कार्य किया है और समिति रेल्वे विभाग व पी० डब्ल्यू० डी० विभाग की स्वीकृत सूची पर है।

(३) समिति को ५६-५७ में निम्न प्रकार के ऋण व अनुदान खादी कमीशन, बम्बई से प्राप्त हुए हैं :

क्र० उद्देश्य	ऋण राशि	अनुदान	योग
१. हिस्सा राशि अनुदान	—	५००)	५००)
२. कुम्हार उद्योग			
(अ) औजार	२६०५)	२६०५)	५८१०)
(ब) वर्क शेड बनाने	४५००)	४५००)	९०००)
(स) कार्यशील पूंजी	३०००)	—	३०००)
योग	१०४०५)	७६०५)	१८३१०)

आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से ऋण वापिस नहीं किया जा सका।

(४) जी नहीं। सहकारी विभाग द्वारा समिति का प्रथम ऑडिट सन् ५८ में करवाया गया इसके बाद सालाना ऑडिट होता रहा है।

(५) समिति की विभिन्न लेनदारियां (असेट्स) और देनदारियां ३०-६-६३ ई० के संतुलन चित्र के अनुसार (अन-ऑडिटेड) निम्न प्रकार हैं—

देनदारियां		लेनदारियां	
हिस्सा पूंजी	२४४०)	रोकड़	३) ६६
अमानतें	४२) ०१	बैंक में जमा	५३५) १०
ऋण		बैंक को हिस्सा	५०)
खादी कमीशन बम्बई	१०४०५)	वसूल करने योग्य पैसा	२०२)
अनुदान			
(अ) खादी कमीशन, बम्बई	७४०५)	कुम्हार उद्योग	१८७४३) ४०
(ब) खादी बोर्ड, जयपुर	११००)	रेशा उद्योग	१३६६) ४०
मुनाफा	२४) ६८	महिला विभाग	१५०)
		स्टॉक	३६३) १०
	२१४१६) ६६		२१४१६) ६६

* नोटः—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।